राजस्थान सरकार

जिला आपदा प्रबंधन योजना
(डी.डी.एम.पी.)–2025

जिला – फलौदी

श्रीमती श्वेता चौहान
अध्यक्ष, जिला आपदा प्रबन्धन समिति
फलौदी

श्री अजय
अतिरिक्त जिला कलक्टर, प्रभारी
जिला आपदा प्रबन्धन समिति, फलौदी

–: द्वारा :–

लालाराम कनिष्ठ सहायक,
कार्यालय जिला कलक्टर, फलौदी

अनुक्रमणिका

क.सं.	विषय सूची	पृष्ठ संख्या
अध्याय–1	प्रस्तावना	5
1.1	आपदा–परिचय	5
1.2	आपदा–परिभाषा एवं विशेषताएं	5
1.3	विकास और आपदा	6
1.4	बहु–आपदा अनुक्रिया योजना	6
1.5	जिला आपदा प्रबन्धन कार्य योजना के उद्देश्य	6
1.6	नीतिगत कथन	7
अध्याय – 2	जिले की रूपरेखा	8
2.1	भौगोलिक स्थिति	8
2.2	प्रशासनिक संरचना	8-9
2.3	भौतिक/आर्थिक/सामाजिक स्थिति	9-13
अध्याय – 3	जिले की विपदा एवं जोखिम की संवेदनशीलता का आंकलन	14
3.1	संभावित विपदाओं की पहचान	14
3.2	संवेदनशीलता	15
3.3	खतरा	15
अध्याय – 4	आपदा के दौरान प्रबन्धन हेतु सामान्य कार्य योजना	16-27
अध्याय – 5	जिले में संभावित आपदाएं एवं कार्य योजनाएं	28
5.1	सूखा	28-31
5.2	बाढ़	32-40
5.3	दुर्घटना	41-45
5.4	भूकम्प	45-48
5.5	टाग	48-54
5.6	रासायनिक एवं औद्योगिक दुर्घटनाएँ	54
5.7	ताप (लू) व शीतघात	54-57
5.8	वज्रपात	58-60
परिशिष्ट 1–17 सूची (पेज तीन पर)		61-121

परिशिष्टों की सूची

परिशिष्ट नं.	विवरण
परिशिष्ट नं. 1	महत्वपूर्ण दूरभाष नम्बरों की सूची
परिशिष्ट नं. 2	आपदा नियन्त्रण कक्ष की सूची जिला – फलौदी
परिशिष्ट नं. 3	जिला मुख्यालय पर पदस्थापित अधिकारियों/पीएमओ/बीसीएमओ की सूची
परिशिष्ट नं. 4	जिले के सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र के प्रभारी व उनके सम्पर्क नम्बरों की सूची
परिशिष्ट नं. 5	जिले के प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के प्रभारी एवं उनके सम्पर्क नम्बरों की सूची
परिशिष्ट नं. 6	एम्बुलेंसों की सूची (108 एम्बुलेंस बेस लोकेशन जिला – फलौदी)
परिशिष्ट नं. 7	गैस एजेन्सियों की सूची
परिशिष्ट नं. 8	पेट्रोल पम्पों की सूची
परिशिष्ट नं. 9	ब्लड बैंकों की सूची
परिशिष्ट नं. 10	पुलिस विभाग फलौदी की सूची
परिशिष्ट नं. 11	पुलिस विभाग में उपलब्ध वायरलैसों, वाहनों, कर्मचारियों की सूची
परिशिष्ट नं. 12	स्वयंसेवी संस्थाओं (एन.जी.ओ.) की सूची
परिशिष्ट नं. 13	जिला परिवहन विभाग के अधिकारियों एवं वाहनों की सूची
परिशिष्ट नं. 14	जिलों में बांधों की स्थिति व क्षमता की सूची
परिशिष्ट नं. 15	जिले में उपलब्ध विभिन्न तैराकों एवं आवश्यक बचाव उपकरणों की सूची
परिशिष्ट नं. 16	नगर **परिषद फलोदी** के अधिकारियों एवं संसाधनों की सूची
परिशिष्ट नं. 17	**फलौदी** एयर**फोर्स** डिजास्टर सम्बन्धी महत्वपूर्ण नम्बरों एवं उपकरणों की सूची

<u>फलौदी जिला मानचित्र</u>

अध्याय – 1 प्रस्तावना

<u>1.1 आपदा – परिचय</u>

आपदा को अग्रेजी में "Disaster" कहते हैं। Disaster जो दो शब्दों से मिलकर बना है–Dis +Astro जिसका अर्थ है Dis - बुरा या अशुभ और Astro - स्टार/नक्षत्र। जिसका अर्थ '<u>बुरा या अशुभ नक्षत्र</u>' है। इस बुरे समय में आई कोई भी ऐसी घटना जो चाहे मानव द्वारा निर्मित हो या प्रकृति द्वारा, अचानक हो या लगातार, जिसके द्वारा–मनुष्य, पशु, माल, कृषि, उपज, आधारभूत ढॉचा (Infrastructure) अथवा वातावरण का नुकसान हो तथा जिसके द्वारा हुए नुकसान की भरपाई क्षेत्रीय लोगों अथवा समूह द्वारा स्वयं न की जा सके। अचानक आई हुई आपात (संकट), विपत्ति, कष्ट, मुसीबत, कठिनाई जिसके कारण

आमजन के जीवन में व्यवधान/संकट पैदा हो जाता है साथ ही जीवन जीने की सारी व्यवस्थायें व दिनचर्यायें भी चरमरा जाती है।

1.2 आपदा – परिभाषा एवं विशेषताऐं

परिभाषा – आपदा अचानक आई हुई वह दुर्घटना, विपत्ति तथा बड़ी दुर्घटना है जिससे बड़े पैमाने पर जान–माल का नुकसान होता है।

विशेषताएं –

- आम जन–जीवन का अस्त–व्यस्त होना।
- इससे जान–माल का नुकसान, लोगों को चोट पहुंचना, कठिनाईयों का सामना करना पड़ता है और जिससे स्वास्थ्य पर भी बुरा असर पड़ता है।
- इससे सामाजिक संरचनाओं, अधिसंरचना, इमारतों, संचार व्यवस्था और अन्य अनिवार्य सेवाओं पर भी प्रभाव पड़ता है।
- इस समय प्रभावित समुदाय को भोजन, वस्त्र, आवास, चिकित्सा सुविधायें और सामाजिक देखभाल की भी जरूरत होती है।

–: शब्दावलियाँ :–

विपदा (Hazard)

प्रकृति या मानवकृत, धीरे–धीरे या अचानक होने वाली ऐसी घटना जो विनाश अथवा नुकसान का कारण बनती है।

जोखिम (Risk)

किसी घटना विशेष के कारण हो सकने वाले नुकसान (मौते, घायल व्यक्ति या जानवर, सम्पत्ति का विनाश तथा रहन–सहन और व्यापारिक गतिविधियों के गड़बड़ाने) को जोखिम की श्रेणी में रखा गया है।

आक्राम्यता (Vulnerability)

संवेदनशीलता वे परिस्थितियाँ हैं जो आपदा में होने वाले नुकसान को बढ़ावा देती है अथवा आपदा प्रबंधन में बाधक होती है। संवेदनशीलता भौतिक, सामाजिक, आर्थिक एवं व्यक्तिगत दृष्टिकोण के रूप में हो सकती है।

तैयारी (Preparedness)

किसी भी संकट की संभावना देखते हुए घटना से निपटने के इंतजाम को सुनिश्चित करने के लिए किए गए उपाय को तैयारी कहते हैं।

रोकथाम (Prevention)

आपदा को टालने के लिए उठाए गए कदम।

1.3 विकास और आपदा

इतिहास की शुरुआत से ही मनुष्य अपने अस्तित्व को बनाये रखने के लिए प्रकृति से संघर्ष कर रहा है। भले ही मनुष्य ने सामाजिक, वैज्ञानिक एवं तकनीकी क्षेत्र में काफी प्रगति कर ली है परन्तु आज भी आपदाएं उसके नियत्रण में नहीं है, वरन् प्रौद्योगिक विकास ने मनुष्यकृत आपदाओं के लिए नये द्वार खोल दिए हैं जो दिन–प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं। प्रतिवर्ष विश्व के कई भागों में एक या अधिक प्रकार की आपदाओं का विनाशकारी प्रभाव पड़ता है जिससे जान व माल का काफी नुकसान होता है। भारत देश भी बाढ़, भूकम्प, सूखा आदि प्राकृतिक आपदाओं से ग्रस्त है, जिनसे मानव जीवन को अधिकतम क्षति

होती है। सूखा व बाढ़ जैसी आपदाओं से फसल और वनस्पति के भारी नुकसान के अलावा पशु धन के साथ निजी तथा सार्वजनिक सम्पतियां भी नष्ट हो जाती है। 1984 मे आये भोपाल गैस कांड, 1999 में उड़ीसा में आये तूफान, 2001 में गुजरात का भूकम्प विनाश, 2009 में राजस्थान के ऑयल डिपो अग्नि कांड, 2013 में उत्तराखण्ड़, 2014 में जम्मू कश्मीर में बाढ़ एवं 2015 में आये नेपाल विनाशकारी भूकम्प के ताजे उदाहरण हैं ।

सही है कि ''विकास के साथ विनाश जुडा है'' परन्तु मौहल्ले, कबीलो, ढाणियों, आवासीय कॉलोनियों, कच्ची बस्तियों, औद्योगिक संस्थाओ, राजकीय संस्थाओ, खनन कार्यों गांवों, शहरों का सुनियोजित विकास, व्यवस्थित, क्रमबद्ध और पूर्व में आयी आपदाओं के मध्यनजर भविष्य में आने वाली आपदाओं या संकटो हेतु आपदा बचाव, सुरक्षात्मक उपाय को शामिल करते हुए विकास किया जाना चाहिए। जिससे आपदा के समय विनाश की संभावनाएँ काफी हद तक कम हो सकेगी।

1.4 बहु आपदा अनुक्रिया योजना

आपदा प्रबन्धन योजना राज्य एवं जिले में होने वाली संभावित आपदाओं जैसे–भूकम्प, बाढ़, चक्रवात, सूखा, महामारी, औद्योगिक व रासायनिक दुर्घटनाएँ, रेलवे व वायुयान दुर्घटनाएँ इत्यादि से निपटने हेतु एक सहायक दस्तावेज है। राजस्थान व सूखा एक दूसरे के पर्यायवाची बन गये है। पिछले 65 वर्षों (1950–2015) में मात्र दस वर्ष सूखा रहित रहे हैं जबकि 55 वर्षों में राज्य के किसी न किसी जिले का कोई न कोई भाग अकाल ग्रस्त रहा है। इस प्रकार राज्य में भीषणतम सूखा लगातार 1965–69, 1979–82, 1984–87, 1991–92, 1999–2000 मे रहा। 2000–2001 में धौलपुर को छोड़कर राज्य के समस्त जिले अकाल से प्रभावित रहे इसे (मेक्रो ड्रोट) ''वृहद अकाल'' की संज्ञा दी गई। राजस्थान में अकाल/सूखा आपदा की सम्भावना अधिकांशतः रहती है। सूखा मात्र प्राकृतिक कारणों से ही नहीं वरन् मानव के अनियन्त्रित जल विदोहन, गलत फसलों के चयन, पर्यावरण में असन्तुलन के कारण भी होता है। इसका प्रभाव प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रुप से सभी वर्गों के लोगों तथा मवेशियों पर पड़ता है। बाढ़ व भूकम्प भी ऐसी आपदाएं हैं जो विस्तृत क्षेत्र में जन, धन एवं पर्यावरण को प्रभावित करती है जबकि महामारी जैसी आपदा का प्रभाव विशाल जन समूह पर देखा जाता है। इन सभी प्रकार की आपदाओं के प्रभावी प्रबंधन हेतु व्यापक संसाधनों एवं प्रशिक्षित मानवशक्ति की आवश्यकता होती है।

जिला आपदा प्रबन्धन योजना, आपदाओं के प्रबंधन हेतु बहु–अनुक्रिया योजना है तथा प्रतिकुल स्थिति से निपटने के लिए यह संस्थागत ढांचे की रुपरेखा निश्चित करता है।

1.5 जिला आपदा प्रबन्धन कार्ययोजना के उद्देश्य

जिले में उच्च श्रेणी की तैयारी हेतु ऐसी कार्ययोजना स्थापित करना जिससे किसी भी संकट, घटना, दुर्घटना, आपदा होने से बचा जा सके। बचाव उपायो के उपरान्त भी आपदा आने या घटना घटित होने पर शीघ्र ही आमजन को राहत पहुंचाने के लिए तुरन्त कार्यवाही हो। जिले में उपलब्ध सभी सरकारी एवं गैर–सरकारी संस्थाओं और आमजन का सहयोग लेते हुये, सभी के बीच समन्वय स्थापित करते हुए क्रमबद्ध एवं सामुहिक प्रयास कर जन–धन का कम से कम नुकसान हो, प्रभावित जन की आवश्यक जरूरतों को पूरी करते हुए उनका पूर्नस्थापन कर सामान्य स्थिति बहाल कर लोगों को राहत पहुंचाना ही इस फलौदी जिले के कार्ययोजना (प्लान), 2025 का मुख्य उदेश्य होगा।

जिला आपदा प्रबन्धन कार्य योजना बनाने के उददेश्य निम्न हैं :–

1. जिले में आपदाओं से खतरे के प्रभाव का विश्लेषण कर जिले की तैयारियों को निर्धारित करना।
2. आपदा न्यूनीकरण के विभिन्न पहलुओं को क्षेत्र विशेष की विकास योजनाओं के काम में लाना।
3. जिले में पूर्व में हुई आपदाओं का विवरण, अनुभव के अनुसार भविष्य में उनसे निपटने के लिए रुपरेखा तैयार करना।
4. आपदा के आने पर विभिन्न विभागों के समन्वय एवं सामंजस्य से मानक कार्य प्रक्रिया अपना कर कार्यवाही का क्रियान्वयन करना।
5. भारत सरकार, राज्य सरकार की नीतिगत रुपरेखा (Policy Plan) के अन्दर जिला आपदा प्रबंधन योजना को एक प्रभावी प्रबन्धन योजना बनाना।

निश्चित योजना के अभाव में आपदा आने पर कार्यों का समन्वय सुचारु रुप से नहीं हो पाता। किसी एक कार्य पर अत्यधिक ध्यान दे दिया जाता है तथा अन्य कार्य जो कि अत्यन्त महत्वपूर्ण होते हैं उनको बिलकुल भुला दिया जाता है, ऐसी स्थिति खतरनाक हो सकती है। अतः पूर्व आपदा प्रबन्धन योजना अति–आवश्यक है, जिसमें कार्य बिन्दु निम्न प्रकार है :–

(क) प्रतिक्रिया कार्यों के सही क्रम की पूर्व योजना तैयार करना।
(ख) भागीदार विभागों की जिम्मेदारी निर्धारित करना।
(ग) कार्यरत विभिन्न विभागों के कार्य करने के तरीके का मानकीकरण (Standaristation) करना।
(घ) उपलब्ध सुविधा और स्त्रोतों की सूची तैयार करना।
(ड़) स्त्रोतों के प्रभावी प्रबन्धन की रचना करना।
(च) सभी सहायता कार्यों का पारस्परिक सम्पर्क सूत्र प्राप्त कर समन्वय करना।
(छ) राज्य स्तरीय नियंत्रण कक्ष से सहायता के लिये समन्वय स्थापित करना।
(झ) इस योजना अनुसार जोधपुर जिले में जिला प्रशासन नियंत्रण कक्ष स्थापित कर सभी विभागों, गैर–सरकारी संस्थानों और आमजन के मध्य एक सम्पर्क–कड़ी के रूप में कार्य करते हुए आपदा पूर्व तैयारी, आपदा दौरान तुरन्त कार्यवाही और आपदा के बाद प्रभावित जन को राहत एवं पुर्नस्थापन के लिए प्रभावी नियंत्रण रखते हुये कार्य करेंगे। जिससे प्रभावित लोगों को राहत प्रदान हो सके।

1.6 नीतिगत कथन

1984 मे आये भोपाल गैस कांड, 1999 में उड़ीसा में आये तूफान, 2001 में गुजरात का भूकम्प विनाश, 2013 में उत्तराखण्ड़ एवं 2014 में जम्मू कश्मीर में बाढ, 2015 में आये नेपाल विनाशकारी भूकम्प से हुई त्रासदी व जानमाल के भारी नुकसान से पूरे देश को जूझना पड़ा है। राजस्थान की मुख्य आपदाओं सूखा, बीकानेर–भरतपुर के आयुध डिपो में आग, बाड़मेर में कवास की बाढ़, 2009 में जयपुर के ऑयल डिपो का अग्नि कांड़, जोधपुर का मेहरानगढ़ हादसा, पिचियाक बांध का टूटना व लूणी नदी में बाढ़ के हालात उत्पन्न होना तथा पिछले कई सालों के सूखे के अनुभवों के आधार पर जिसमें संचार व्यवस्थाओं की असफलता, प्रशासनिक समन्वय की कमी, प्रेस तक सही सूचना का अभाव तथा उपलब्ध संसाधनों का सही ढंग से प्रयोग न होने के कारण कार्यवाही में देरी होती है। इसके लिए आवश्यक है कि राज्य एवं जिला स्तर पर इन आपदाओं से निपटने व बेहतर प्रबन्धन के लिए आपदा प्रबन्धन योजना तैयार की जावें ताकि बिना विलम्ब के कार्यवाही की जा सके। आपदा प्रबन्धन योजना में प्रत्येक विभाग की आपदा पूर्व, आपदा के दौरान व आपदा के बाद उनकी भूमिका तथा उपलब्ध संसाधनों का व्यापक उल्लेख होगा, जिससे शीघ्र प्रतिक्रिया कर आपदा को नियन्त्रित किया जा सके। आपदाएं चाहे प्राकृतिक हो या मानव निर्मित उन्हें पूर्ण रूप से रोका नहीं जा सकता परन्तु स्थानीय स्तर पर प्रत्येक ग्राम/वार्ड, पचांयत समिति, तहसील, उप खण्ड/शहर, जिला स्तर, राज्य स्तर, केन्द्र स्तर पर क्रमबद्ध पूर्व नियोजित (Pre Plan) के अनुसार विकास एवं आपदा बचाव के सभी उपाय एवं एक सुनियोजित तैयारी रखते हुऐ सभी संसाधनों को शामिल करते हुए एक कार्ययोजना तैयार की जायें जिससे आमजन को आपदा के समय राहत मिल सके।

जिले में किसी भी घटना, दुर्घटना और आपदा के समय कम से कम जान–माल का नुकसान हो, सभी आवश्यक व्यवस्थाएं सुचारू रूप से चल सके इसी लक्ष्य के मध्यनजर भारत एवं राज्य सरकार नीति के अनुरूप फलौदी जिले में आपदा प्रबन्धन योजना, 2025 तैयार की जा रही है। यह योजना/प्लान, 2025 फलौदी जिले में उच्च कोटी के आपदा प्रबन्धन, नियंत्रण एवं समन्वय में सहायक एवं मार्गदर्शक होगा। जिससे जरूरत पड़ने पर जिले में ही नहीं वरन् आस–पास के जिलो, राज्य एवं राष्ट्रीय स्तर पर भी राहत, बचाव एवं सहायता हेतु आपदा प्रबन्धन में उपयोगी सिद्ध होगा। जिला फलौदी में आपदा प्रबंधन समिति की बैठक **दिनांक 11.06.2025** को की गई। जिसमें सभी विभागो को दिशा–निर्देश दिये गये।

अध्याय – 2 जिले की रूपरेखा

2.1 भौगोलिक स्थिति

फलौदी जिला राजस्थान के पश्चिमी भाग 30.47 से 22.67 उत्तरी अक्षांश एवं 69.35 से 78.66 पूर्वी देशान्तर के मध्य स्थित है। जिला 197 किमी. उत्तर से दक्षिण तथा 208 किमी. पूर्व से पश्चिम की ओर फैला हुआ है। जिले का क्षेत्रफल 10663.59 वर्ग किमी. है। यहां 4 अन्य जिलों एवं एक देश की सीमाएं इससे लगती है। जोधपुर, बीकानेर, जैसलमेर, नागौर एवं पाकिस्तान के साथ लगी है। पश्चिम में इसकी सीमा पाकिस्तान से लगती है।

2.2 प्रशासनिक संरचना

राजस्थान राज्य में कुल 41 जिले हैं जो कि जयपुर, बीकानेर, उदयपुर, अजमेर, कोटा, जोधपुर, भरतपुर, कुल सात सम्भागों में विभक्त हैं। जिसके अन्तर्गत फलौदी जिला जोधपुर संभाग में आता है। वर्तमान में फलौदी जिले में कुल 8 तहसीलें है। जो निम्नानुसार है–

कार्यालय जिला कलक्टर (भू.अ.), फलौदी

तहसीलवार भू.अ. निरीक्षक वृतो व पटवार मण्डलो की सूचना

क.स.	उपखण्ड	कं.सं.	तहसील	उप तहसीलों का सं.	उप तहसील का नाम	भू.अ.निरीक्षक वृतो की सं.	पटवार मण्डलों की सं.	राजस्व ग्रमों की संख्या
1.	फलौदी	1	फलौदी	0	0	4	24	135
2.	लोहावट	2	लोहावट	0	0	4	21	145
3.	देचू	3	देचू	1	पीलवा	3	13	76
			सेतरावा	0	0	3	12	55
4.	बापिणी	4	बापिणी	1	मतोड़ा	2	12	36
5.	आऊ	5	आऊ	0	0	3	13	61
6.	बाप	6	बाप	1	भोखासर	11	39	221
				2	नोख			
			घंटियाली	0		5	17	47
योग	6		8	4	4	35	151	776

जिले को प्रशासनिक दृष्टि से वर्तमान में 6 उपखण्डों, 8 तहसीलों, में बांटा गया है। जिसका विवरण निम्न प्रकार हैः–

जिला	उपखण्ड	तहसील	उप तहसील	पंचायत समिति	कस्बा/शहर
फलौदी	1) फलौदी	फलौदी	0	फलौदी	फलौदी
	2) लोहावट	लोहावट	0	लोहावट	लोहावट
	3) बाप	बाप	शेखासर	बाप	बाप
			नोख		
	4) आऊ	आऊ	0	आऊ	आऊ
	5) बापिणी	बापिणी	मतोड़ा	बापिणी	बापिणी
	6) देचू	देचू	पीलवा	देचू	देचू
		सेतरावा			
योग	6	8	4	6	6

इसके अतिरिक्त जिले में एक नगर परिषद एवं एक नगर पालिका है। फलौदी शहरी क्षेत्र हेतु एक नगर परिषद कार्यरत है। अन्य जिलों की तरह यहां भी जिला कलक्टर जिला प्रशासन के प्रमुख है, जो जिला दण्डनायक का भी कार्य करते हैं। प्रत्येक तहसील का कार्यभार एक तहसीलदार को सौंपा गया है, जिसे कार्यकारी दण्डनायक के भी अधिकार प्राप्त है।

2.3 भौतिक / आर्थिक / सामजिक स्थिति

जनसंख्या

फलौदी जिले की वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या 738552 है जिसमें शहरी क्षेत्र की जनसंख्या 60455 है एवं ग्रामीण क्षेत्र की जनसंख्या 678097 है। http://www.censusindia.gov.in/pca/default.aspx

फलौदी जिले की जनसंख्या जनगणना 2011 के अनुसार निम्नानुसार हैः–

क्र.सं.	तहसील का नाम	पुरूष		स्त्री		कुल जनसंख्या
		नगरीय	ग्रामीण	नगरीय	ग्रामीण	
1.	फलौदी	26149	74749	83913	67726	192532
2.	लोहावट					121465
3.	देचू	.	.	.	.	77366
4.	बाप					107496
5.	आऊ					71537
6.	बापिणी	.	.	.	.	71678
7.	घंटियाली					59040
8.	सेतरावा	-	19454	-	17679	37133
9.						

वर्षा की सुचना

जिले की जलवायु की खास विशेषता तापमान की अधिकता, कम वर्षा एवं शुष्क मौसम है। सर्दियों का मौसम नवम्बर से मार्च तक चलता है। अप्रेल से जून तक गर्मी का मौसम रहता है। जुलाई मध्य में बरसात का मौसम प्रारम्भ होता है जो सितम्बर तक चलता है।

कुल मिलाकर जिले की जलवायु शुष्क एवं स्वास्थ्यवर्धक है। गर्मी के दिनों में गर्म लू दिनभर चलती है परन्तु रात ठंडी व सुहावनी हो जाती है। जिले में एक मौसम सम्बन्धी प्रयोगशाला हैं। जो कि फलोदी में स्थित है। ये प्रयोगशाला दक्षिण पूर्वी व उत्तरी पश्चिमी भागों में मौसम का ज्ञान कराती है। तापमान सर्दियों में बहुत कम हो जाता है एवं गर्मियों में बहुत बढ़ जाता है, फलोदी तहसील में तो तापमान और भी बढ़ जाता है।

Year	Temp. Max ('c)	Temp. Min ('c)
2025	50	32

जिले में तहसीलवार वर्षा की सूचना एम.एम. मे जिले की सामान्य वर्षा– 350 एमएम

तहसील का नाम	5 वर्षो की औसत वर्षा (2020–2023)	वर्ष 2021 की वर्षा	वर्ष 2022 की वर्षा	वर्ष 2023 की वर्षा	वर्ष 2024 की वर्षा
फलौदी	443 एम एम	423 एम एम	351.5 एम एम	555 एम एम	402 एमएम
लोहावट	324.6 एम एम	176 एम एम	478 एम एम	383 एम एम	630 एमएम
देचू	358 एम एम	211 एम एम	439 एम एम	386 एम एम	767 एमएम
बाप	362 एम एम	331 एम एम	506 एम एम	398 एम एम	275.5 एमएम
आऊ	671.5 एम एम	.	393.5 एम एम	540 एम एम	464 एमएम
बापिणी	346.2एम एम	283 एम एम	303 एम एम	345 एम एम	728 एमएम
घंटियाली	328 एम एम	208 एम एम	430 एम एम	346 एम एम	374 एमएम
सेतरावा	490.15 एम एम	लागू नहीं	400 एम एम	580.3 एम एम	939.5 एमएम
योग	**3282.4**	**1632**	**3301**	**3533.3**	**4580**
योग औसत	**410.3**	**233.1**	**412.6**	**441-66**	**572.5**

वन, वनस्पति एवं जीव जन्तु

जिले के थोड़े से भाग में ही वन आच्छादित पहाड़ियां है। इस वन क्षेत्र को सूखे पेड़ों और झाड़ियों वाले भाग को जंगलों की श्रेणी में रखा जाता है। रेतीली भूमि व शुष्क जलवायु के कारण इस क्षेत्र के पौधे सूखे और झाड़ीयुक्त हैं। यहां पेड़ पौधों की पाई जाने वाली किस्मों में विलायती खेजड़ा(प्रोसोपिस ल्यूलीफोर), कुम्भट(ऐकेसिया येनेगल), केर(कैपेरिस डेंसिडउआ), खेजड़ी(प्रोसोपिस स्थिसिजेरा), बबूल(ऐकेसिया अरेविका), बैर(जीजीफा जुजुआ), बुखन(मार्किन्सोनिया एक्यूलिएटा), ढाक(न्यूटिया जोनोरूपाना), हिंगोटा(बेजेना ईटीज/एजिप्सऐका), जलखारा तथा पीलू(सेल्वाडोरा ओलियान्डेज एण्ड पर्सिक), जंगली जलेबी(झंगडूलिअस), पापड़ी अथवा विरोल(होलोटेलिया इंटग्रकोलिया), नीम(एजेडिरेक्टाइंडिका), सरेस काला(एज्बीजिया लेम्बेक) तथा रोहिड़ा(टेकोर्पेला अंडुलाला) शामिल है। फल और पौधों में अनार तथा आम पर्याप्त संख्या में लगाये जाते हैं। यहां खीरा, ककड़ी आदि की बेले भी लगाई जाती है।

जिले में उगने वाली प्रमुख झाड़ियां तथा जड़ी बूटियां निम्नलिखित हैंः– आक(बिलाट्रोपिल प्रोसेरा), थोब(यूकोरिया निव्यूलिया), झाड़बेर(विजीप्सनम मोराटोअसा), खीप्रा(लेप्टाडेनिया पायरोटेक्विका), नागफनी पेड़(ओपेटिया डिलेन फोक/ केलीग्रोनम पोलीमोनाइडस), सेजणा(कोटोलेरिया बरिया) तथा रूई(एरना डोमेटोसा)। इस क्षेत्र में पाई जाने वाली घास की प्रमुख किस्में हैं– अंजन तथा धावण(फेंकल सेंटीग्रेटस), करड़(डिंकथिम सेनुलेटस), ग्रामना(पेनिकल एंरिडोटेल), मूंज(ऐकेरम ग्रिफिमथी), तांतीया(इलेसिने फलगलिफेरा) तथा गंथिया(डैस्टीलोक्टेनिअस सिंडिकम) प्रमुख है।

जिले में कोई बड़ा वन्य जीव अभयारण्य नहीं है, जिले में पाये जाने वाले जंगली पशुओं में प्रमुख हैः– गीदड (जेकाल), जंगली बिल्ली(वाईल्डकेट), लोमड़ी(फोक्स), नीलगाय, हिरण(डीयर), चिंकारा, खरगोश(डेयर), जंगली चूहा(वाइल्ड माऊस), सामान्य लंगूर(एप) तथा नेवला(मोंगूअ)।

जिले में पाये जाने वाले पक्षियों में प्रमुख हैः– बया(वीवर बर्ड), कोयल(कुक्कु), तोता(पेरट), गिद्ध(वल्चर), जंगली कोआ(वाइल्ड क्रो), बुलबुल(नाइटिंगल), उल्लू(ओवल), चील(काईट), हरे कबूतर(ग्रीन पीजन), सामान्य कबूतर(पिजन), सेंड ग्राउस, फीफाईल, मोर(पिकोक), बटेर(क्वेज) व जंगली बटेर– काला तीतर(ब्लेक पारटिज), भूरा तीतर(ब्राउन पारटीज), सारस(क्रेन), टिटहरी, लिटर इंग्रेल, ब्लाक(फलेमिगों), छोटी बतख(मामनटोल), चाहा पक्षी(स्पस) तथा गोडावन प्रमुख है। जिले में रेंगने वाले कीड़ों में छिपकली(लिजार्ड) तथा सांप(स्नेक) महत्वपूर्ण हैं।

भूमि

फलौदी जिला आकार में एक असमान आयत की तरह है। जिले का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल 1066393.98 हेक्टर है। फलौदी जिले में बाप नामक स्थान पर पर्मियन दृ कार्बोनिफेरस युग की हिमानीकृत चट्टानों के अवशेष मिले हैं। जिसे बाप बोल्डर कहा जाता है। फलोदी तहसीलों का क्षेत्र पूर्णरूप से रेतीला(रेगिस्तानी) है। फलौदी नदी विहीन जिला है। जिले का अधिकांश भाग भारतीय थार मरूस्थल का अंग है। यह एक सूखा सम्भावित क्षेत्र है।

- कृषि भूमि की ओर देखा जाये तो स्थिति सन्तोषजनक नहीं है। जिले की कृषि भूमि (मिट्टी) का वर्गीकरण केन्द्रीय मरू अनुसंधान संस्था (काजरी) एवं स्टेट सोइल सर्वे विभाग के अनुसार जिले की मिट्टी को ग्यारह भागों में विभक्त किया गया, जो निम्न हैं :–
- गहरी से ज्यादा गहरी मिट्टी जिसमें पानी का रिसाव बहुत है तथा रेतीलें टीलों के क्षेत्र।
- गहरी रेतीली मिट्टी जिसमें पानी का रिसाव ज्यादा है।
- गहरी हल्की टैक्सचराइज्ड मिट्टी जिसमें कुछ नमी रखने की क्षमता है, लेकिन हवा से भूमि का कटाव होता है।
- ऊथली से सामान्य रूप से गहरी हल्की टैक्सचराइज्ड मिट्टी जिसके नीचे सख्त भूमि है एवं आद्रता कम रखने की क्षमता है।
- सामान्य से गहरी मध्यम टैक्सचराईज्ड मिट्टी जिसमें नमी की क्षमता ठीक है।
- गहरी अच्छी टैक्सचराइज्ड मिट्टी जिसमें नमी की अच्छी क्षमता है।
- मैदानी ऊथली चट्टानी मिट्टी जो कृषि योग्य नहीं है।
- गहरी टैक्सचराइज्ड भूमि जिसमें नमी है, जिसमें भूमि क्षारीय एवं लवणीय है एवं पानी का स्तर ऊंचा है।
- बहुत गहरी हल्की टैक्सचराइज्ड उपजाऊ मिट्टी।

- ऊथली मिट्टी एवं पहाड़ियां।

प्राकृतिक वनस्पति

फलौदी जिले का अधिकांश भाग मरूस्थलीय क्षेत्र होने के कारण प्राकृतिक वनस्पति भी उसी प्रकार की पैदा होती है। जिन्हें पानी की न्यूनतम आवश्यकता हो। प्रमुख रूप से इस जिले में केर, खेजड़ी(जो रेगिस्थान का कल्पवृक्ष भी कहलाती है), बोरड़ी, कुम्मट, थोरे एवं जाल प्राकृतिक रूप से पाये जाते हैं। खेजड़ी जहां छाया एवं भूमि की उर्वरकता देती है, वहीं इसकी पत्तियां पशुओं को चरने के काम आती है। बोरड़ी के फल(बेर) खाने के काम आते हैं एवं पत्तियां पशुओं के चारे के रूप में काम आती है। केर एवं कुम्मट खाने के काम आते हैं। रेतीली जमीन एवं शुष्क जलवायु के कारण यहां की वनस्पति मुख्य रूप से झाड़ीनुमा एवं कांटेदार झाड़ियों के रूप में हैं। सामान्य रूप से पाये जाने वाले पेड़ों में विलायती खेजड़ी, कुम्मट, केर, बबूल, हिंगोटा, खारी जाल एवं पीलू, नीम, काला सरेस एवं रोहिड़ा हैं। जहां रबी की फसल होती है, उस क्षेत्र में अनार, अमरूद, बेर एवं नींबू के पेड़ भी पाये जाते हैं। झाड़ी के रूप में आक, थोर, थारबेरी, खींप, नागफनी, फोग, एंडिया एवं रूई प्रमुख हैं।

प्राकृतिक घास

पश्चिमी राजस्थान क्षेत्र सामान्य रूप से अकाल सम्भावित क्षेत्र हैं। इस कारण जिले में घास की कमी महसूस की जाती है। अकाल के वर्षों में घास एवं चारे को अन्य राज्यों में से मंगाना पड़ता है। हालांकि जिले में पौष्टिक घास भी प्राकृतिक रूप से पैदा होती है। अगर इसका विस्तार एवं दोहन उचित तरीके से किया जाये तो जिले में चारे की समस्या काफी हद तक हल हो सकती है। केन्द्रीय मरू अनुसंधान संस्था (काजरी) द्वारा प्राकृतिक घास के क्षेत्र चिन्हित किये गये हैं। जिले में प्रमुख रूप से जो घास पाई जाती है उनमें लोमआ, बुरट, टाटीया, माठी, धमण मुख्य है। इसके अलावा खरड़, ग्रामरा, मूंज आदि घास भी पाई जाती हैं।

भू–जल

भू–जल विभाग राजस्थान द्वारा भू–जल क्षमता का सर्वेक्षण जिले में कराया जाता है। केन्द्रीय मरू अनुसंधान संस्थान (काजरी) द्वारा भी भूमिगत जल स्त्रोत का नक्शा तैयार किया जाता है। भूमिगत जल क्षमता को 3 भागों में विभक्त किया जा सकता है, जो निम्न प्रकार है :–

क्र.सं.	क्षमता	क्षेत्र
1.	उच्च दोहन क्षेत्र	कुछ भाग फलोदी का।
2.	मध्य दोहन क्षेत्र	फलोदी का उतरी भाग, बाप उपखण्ड क्षेत्र का पूर्व एवं पश्चिमी भाग।
3.	लघु दोहन क्षेत्र	बाप का दक्षिणी भाग।

भूजल विभाग भी जिले में भू–गर्भीय जलस्त्रोतों का पता लगाने हेतु वर्ष भर कई कार्य करते हैं, जिससे जल की उपलब्धता, जल की गुणवत्ता एवं रासायनिक विश्लेषण, जिससे कृषकों को अपने खेतों में ट्यूबवेल, कुंए आदि खुदवाने में सुविधा हो सके। वर्ष 2002–2003 से उक्त कार्य बन्द कर दिये गये, उसके स्थान पर गत वर्ष में कृत्रिम पुनर्भरण ढांचा निर्माण के 2 के लक्ष्य दिये गये एवं पियाजीओमीटर निर्माण के 10 के लक्ष्य दिये गये, परन्तु इन लक्ष्यों की उपलब्धी शून्य ही रही।

वन सम्पदा

जिले में वन क्षेत्र की मात्रा बहुत नगण्य है। वर्षा की कमी के कारण वन क्षेत्रों में विस्तार नहीं हो पाता, वहीं जलाऊ ईंधन के रूप में पेड़ों की बहुत कटाई हो चुकी है तो दूसरी तरफ आवासीय कॉलोनियाँ बसाने से शनैः–शनैः वनों का क्षेत्र कम होता जा रहा है। वन क्षेत्रों से राज्य सरकार/वन विभाग को कोई विशेष आय नहीं होती, जबकि विभाग को वनों के संरक्षण एवं विकास पर बहुत व्यय करना पड़ता है।

सिंचाई

फलौदी जिले में बारह माह बहने वाली कोई नदी नहीं है। वर्षा की कमी एवं छितरी हुई वर्षा होने के कारण भू–जल का स्तर भी नहीं बढ़ पाता, जबकि भूजल का नित्य दोहन होने के कारण जल स्तर प्रतिवर्ष नीचे चला जाता है। जिन–जिन क्षेत्रों में भूजल का दोहन अत्यधिक किया गया है वहां नये दोहन हेतु विधायन की अपेक्षा रहती है। जहां पानी भी उपलब्ध है, वहां भी सिंचाई के तरीकों में परिवर्तन अपेक्षित है। अल्प दोहन क्षेत्र में जहां सिचांई से 10.08 लाख हेक्टर भूमि से फसल ली जा सकती थी, वहां अब पानी की कमी के कारण मात्र 0.75 लाख हेक्टर भूमि में ही सिंचाई हो पाती है। जिले में पानी के प्राकृतिक स्त्रोत (नदी, तालाब आदि) बहुत कम है।

दूसरी तरफ तेजी से होने वाले वाष्पीकरण से भी सिंचाई में काफी कठिनाई होती है। सिंचाई का मुख्य साधन कुंए तथा रियासत काल में बनाए गए कुछ पुराने जलाशय है। छोटे–छोटे जलाशय जिले के बहुत से गांव में है। लेकिन ये सभी पर्याप्त वर्षा के अभाव में सूख जाते हैं जिससे सिंचाई नहीं हो पाती। जिले में अधिकांशतः सिंचाई कुंए एवं ट्यूबवेल द्वारा ही होती है।

जिले में खनिज सम्पदा के भी प्रचूर भण्डार है। इसके अतिरिक्त सैण्ड स्टोन, मेसेनरी स्टोन, मुर्रम व मारबल पत्थर बहुतायत में उपलब्ध है। संगमरमर पत्थर डोलामाईट की कुछ खाने फलोदी तहसील में हैं जो जिले की प्रगति के लिए शुभ संकेत है।

क्र.स.	जिला	तहसील	निकट ग्राम	खनिज का नाम	विशेश विवरण
1.	फलौदी	देचू व सेतरावा	फतेहगढ़ देचू, खेतनगर	सैण्ड स्टोन	खनन पट्टे व क्वारी लाईसेंस
2.	फलौदी	बाप	भाखरिया, सोणदा, भोखासर, बंधेर, जानुपरा, बधाउडाव खीरवा।	मेसेनरी स्टोन	खनन पट्टा
3.	फलौदी	बाप	नूरे की भुर्ज	मुर्रम	खनन पट्टा
4.	फलौदी	फलौदी	फलौदी खो, रायडा, रोहिणा नगर, शिवपुरा व चैनपुरा कला।	मेसेनरी स्टोन	खनन पट्टा
`5.	फलौदी	आऊ	आऊ, सुवाप, संतोश नगर व हाजीसागर।	मेसेनरी स्टोन	खनन पट्टा
6.	फलौदी	लोहावट	मोरिया व देणोक	मारबल	खनन पट्टा
7.	फलौदी	बापिणी	जाटीसरा, बरसिंगों का बास, थाटों की ढाणी बरजासर, चैनपुरा।	मेसेनरी स्टोन	खनन पट्टा

अध्याय – 3 जिले की विपदा एवं जोखिम की संवेदनशीलता का आंकलन

आपदाएं जीवन पर प्रतिकूल प्रभाव डालती है। आपदा के घटित होने के उपरान्त सर्वत्र विनाश, दुर्दशा, संत्रास का दृश्य उत्पन्न हो जाता है। आपदा को जन्म देने वाले प्रकरण मानव व प्रकृति पर अत्यधिक प्रभाव छोड़ते हैं। आपदा प्रभावित लोगों को पुनः पूर्वास्थिति में आने में कई दशकों का समय लग जाता है। जीविका के निम्न स्तर व कम जागरूकता ने न केवल आपदाओं के भंयकर प्रभाव को बढ़ाया है बल्कि आर्थिक विकास में रूकावट का गम्भीर कारण भी बना है। आपदा के घटने से उसके प्रभाव व क्षेत्र की परिधि में सभी लोग प्रभावित होते हैं। लेकिन गरीब, महिलाएं, बच्चे व बुजुर्ग, अपंग लोग अधिक मात्रा में प्रभावित होते हैं क्योंकि उनकी आर्थिक एवं शारीरिक कष्ट सहन करने की क्षमता बहुत कम होती है।

अतः यह आवश्यक है कि किसी भी जिले में सम्भावित घटित होने वाली विपदाओं की पहचान, उससे होने वाले जोखिम, उसकी परिधि में आने वाले क्षेत्रों, बच्चों, बुजुर्गो, महिलाओं, निशक्तजनों व गरीबी रेखा से नीचे जीवन–यापन करने वाले लोगों की पहचान, भौतिक संवेदनशीलता एवं उससे होने वाली आर्थिक हानि का अनुमान, उस क्षेत्र में रहने वाले लोगों का आर्थिक, सामाजिक व भौतिक संवेदनशीलता की पहचान व लोगों की आपदाओं के प्रभाव से निपटने के लिए क्षमता का आंकलन करके जोखिम की संवेदनशीलता को याद कर लिया जाये जिससे आपदाओं के खतरे को कम करने के लिए योजना तैयार करके क्रियान्वित किया जा सके।

3.1 संभावित विपदाओं की पहचान

आपदा प्रबन्धन पर घटित उच्च स्तरीय कमेटी ने 31 तरह की आपदाओं को चिन्हित किया हैं, जिन्हें मुख्य 5 भागों में विभक्त किया हैं :–

- <u>जलवायु सम्बन्धित</u> – बाढ़, सूखा, चक्रवात, बादल का फटना, गर्म और ठण्डी हवाएं, तूफान एवं बिजली का गिरना।
- <u>भूगर्भ सम्बन्धित</u> – भूकम्प, भूस्खलन, बांध का टूटना, खान में आग लगना।
- <u>रासायनिक औद्योगिक एवं परमाणु सम्बन्धित</u> – रासायनिक एवं औद्योगिक विपदा एवं परमाणु विपदा।
- <u>दुर्घटना सम्बन्धित</u> – आग, बम विस्फोट, वायु, सड़क एवं रेल दुर्घटना, खान में बाढ़ आना, मुख्य भवनों का ढहना।
- <u>जैविक आपदाएं</u> – माहमारी, टिड्डी दल आक्रमण, जानवरों की महामारी इत्यादि।

फलौदी जिले की विपदा एवं जोखिम की संवेदनशीलता का आंकलन के लिए जिले के अधिकारियों, जनप्रतिनिधियों, गैर सरकारी संगठनों ने जिला आपदा प्रबन्धन योजना पर एक दिवसीय कार्यशाला में होने वाले सम्भावित आपदाएं, उनसे कौन–कौन से लोग प्रभावित हो सकते हैं तथा विपदाओं से निपटने के लिए क्षमता का आंकलन किया।

कार्यशाला में जिले में सम्भावित दस आपदाएं चिन्हित की गई। इनमें से मुख्य 7 विपदाओं के लिए विस्तृत व विशिष्ट कार्य योजना एवं अन्य विपदाओं के लिए सामान्य कार्ययोजना बनाने की अनुशंसा की गई।

जिले में विशिष्ट सम्भावित आपदाएं

1. सूखा
2. बाढ़
3. सड़क/रेल/वायु दुर्घटना
4. औद्योगिक दुर्घटनाएं
5. आग
6. भूकम्प
7. अन्तर्राष्ट्रीय सीमा के मद्देनजर युद्ध एवं आक्रमण जैसी आपदा को भी नकारा नहीं जा सकता।

3.2 संवेदनशीलता

किसी भी स्थान की संवेदनशीलता वहां के लोगों के जीवन स्तर, वहां की स्थिति, रहने के स्थान व घटना घटने के समय पर निर्भर करती है।

(1) भौतिक संवेदनशीलता

भवन, आधारभूत ढांचा, जीवन धारक वस्तुओं की पूर्ति का मार्ग, परिवहन, दूरसंचार, जनसुविधाएं, आवश्यक जन सेवाएं जैसे स्वास्थ्य, जलापूर्ति तथा कृषि।

घरों को उनकी बनावट, भवन सामग्री के प्रयोग के आधार पर 4 मुख्य भागों में वर्गीकृत कर सकते हैं –

- मिटटी की दीवार ढालू, कच्ची मिट्टी की ईटों एवं स्थानीय उपलब्ध पत्थर – जिले का लगभग 15 प्रतिशत भाग संशोधित सरकारी मापक के अनुसार VII (MK) तक तीव्रता के भूकम्प आने के मध्यम नुकसान सम्भावित क्षेत्र में आता हैं।
- पक्की हुई ईंटों या बड़े पत्थर के घर – जिले में पकी हुई ईंटों या बड़े पत्थरों के बने घरों को अत्यधिक नुकसान वाले सम्भावित क्षेत्र में मध्यम नुकसान होने की संभावना है।
- सुदृढ़ या मजबूत इमारतें, लकड़ी के ढांचों के साथ – इस प्रकार के घरों को कम नुकसान होने की सम्भावना है अर्थात् भुकम्प की दृष्टि में कुछ हद तक इसे ठीक कहा जा सकता है।
- हल्के लकड़ी पत्ते आदि की झौंपड़िया – हल्के भवन निर्माण के घर जैसे झौंपड़िया, हल्के लकड़ी, पत्तों आदि की सामग्री से बनी हुई है, जो भुकम्प की दृष्टि से तो काफी सुरक्षित हैं, लेकिन तेज हवाएं अगर 47 एम/सै. से चलती है तो इन घरों में अत्यधिक नुकसान की सम्भावना है।

(2) आर्थिक, सामाजिक संवेदनशीलता

हानि, प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष, गौण प्रभाव, गरीबी, संसाधनों की कमी।

3.3 खतरा

भौतिक, सामाजिक एवं पारिस्थितिक आदि कमजोर संरचनाओं को खतरा अधिक होता है। यह इस बात पर निर्भर करता है कि विपदा की प्रचण्डता कितनी थी और असुरक्षा की स्थिति कितनी थी। खतरा विपदा और संवेदनशीलता पर निर्भर करता है।

1. फलौदी जिले की शुष्क मरूस्थलीय एवं अरावली पर्वतमाला की भौगोलिक स्थिति के कारण जिले में बरसात बहुत ही कम होती है इसलिए सूखा/अनावृष्टि का खतरा बना रहता है।

2. फलौदी जिले में भूकम्प संवेदनशील क्षेत्र नहीं है परन्तु 2001 के गुजरात भूकम्प के झटके एवं छोटे–बड़े भूकम्प के कई झटके महसूस किये गए है। जोधपुर में भूकम्प जैसी आपदा आने पर जिले में भवनों/घरों का निर्माण में पत्थरों का ज्यादा प्रयोग होने के कारण सबसे ज्यादा खतरे की सम्भावना रहेगी।

3. कभी–कभी जिलें में अत्यधिक बरसात होने से बाढ़ आने पर ग्रामीण क्षेत्र में मिट्टी के एवं कच्चे मकान होने से बाढ़ में सबसे ज्यादा खतरा ग्रामीण क्षेत्र, नदी के तटीय क्षेत्र और निचले क्षेत्र में खतरे की सम्भावना ज्यादा रहेगी।

4. अर्न्तराष्ट्रीय सीमा के पास का जिला होने के कारण समसमायिकी की दृष्टि से खतरे की सम्भावना को नकारा नही जा सकता ।

5. बे–मौसम बरसात, ओलावृष्टि, अतिवृष्टि, लू/तापघात आदी से जिले में जीरा, ईसबगोल की खेती के मध्यनजर आर्थिक एवं सामाजिक खतरे की सम्भावना ज्यादा है।

प्रत्येक आपदा के प्रबन्धन हेतु जिला कलेक्टर उत्तरदायी होगा। इसके लिए जिला कलेक्टर आपदा के समय अपनी आपातकालीन शक्तियों का उपयोग करके कोई भी निर्णय ले सकता है तथा किसी भी विभाग को आपातकालीन सेवा प्रदान करने का दिशा–निर्देश दे सकता है। जिला कलेक्टर की अनुपस्थिति में अतिरिक्त जिला कलेक्टर जिला आपदा प्रबन्धन के लिए उत्तरदायी होंगे।

स्थायी व्यवस्था

जिला कलेक्टर जिला स्तर पर एक जिला आपदा प्रबन्धन समिति (DDMC) का गठन करेंगे।

क्र. सं.	विभाग		दूरभाष नम्बर	
			कार्यालय	निवास
1.	जिला कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट	अध्यक्ष	02925–222323	
2.	अपर जिला कलक्टर	सह अध्यक्ष	7665297536	
3.	चैयरमैन, नगर परिषद	सह अध्यक्ष		
4.	आयुक्त, नगर परिषद	सदस्य	7737750806	––
5.	जिला पुलिस अधीक्षक	सदस्य	02925–299100	–
6.	अति.मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद	सदस्य	9929902198	
7.	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी	सदस्य	9414703357	
8.	उपवन संरक्षक, वन विभाग	सदस्य	9413608077	
9.	सहायक प्रबंधक, डेयरी विभाग	सदस्य	9414495975	
10.	उप निदेशक, कृषि विभाग	सदस्य	9414301947	
11.	उप निदेशक, पशुपालन विभाग	सदस्य	9166369909	
12.	महाप्रबंधक, औद्योगिक विभाग	सदस्य	8769798259	
13.	अधीक्षण अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग	सदस्य	9950109619	
14.	अधीक्षण अभियन्ता, पीएचईडी,	सदस्य	9414480604	
15.	अधीक्षण अभियन्ता, इगानप	सदस्य	9829010912	
16.	अधीक्षण अभियन्ता, डिस्कॉम,	सदस्य	9413359211	
17.	जिला शिक्षा अधिकारी (प्रारम्भिक / माध्यमिक शिक्षा)	सदस्य	6350263775	
18.	स्टेशन मास्टर, रेलवे	सदस्य	9413585828	
19.	जिला सांख्यिकी अधिकारी	सदस्य	9929665159	
20.	जिला परिवहन अधिकारी	सदस्य	9460107907	
21.	जिला सहायक सूचना एवं जनसम्पर्क अधिकारी	सदस्य	7065597992	
22.	जिला रसद अधिकारी	सदस्य	9772201975	
23.	जेटीओ, बीएसएनएल	सदस्य	9465791300	
24.	प्रभारी अधिकारी, एयरफोर्स	सदस्य	9660291369	
25.	जिला कमाण्डेन्ट (आरएसी / एसडीआरएफ)	सदस्य	2570071	––
26.	कमाण्डेन्ट, एनसीसी, जोधपुर	सदस्य	2512937	––
27.	जिला कमाण्डेन्ट (होमगार्ड)	सदस्य	2510212	––

जिला कलेक्टर संसाधनों एवं दक्ष लोगों की सूची तैयार करवायेगा तथा प्रत्येक विभाग से अप्रेल के प्रथम सप्ताह में संसाधन सूची में संशोधन करेगा तथा सूचना सचिव, सहायता को भेजेगा।

उपखण्डों पर नोडल अधिकारियों को नियुक्त करना तथा आदेश देना। इससे आपदा आने पर अधिकारी स्वयं चार्ज सम्भाल लेंगे।

- जिले में आपदा नियन्त्रण कक्ष की स्थापना करेगा। आपदा नियन्त्रण कक्ष 24 घंटे कार्यरत होगा ।
- आपदा नियन्त्रण कक्ष में आपदा प्रबन्धन समिति के सदस्य के नाम, पते व दूरभाष नम्बर होंगे जिला आपदा प्रबन्धन योजना की एक प्रति सदैव सभी सदस्यों के पास उपलब्ध रहेगी।

नियंत्रण कक्ष

- नियंत्रण कक्ष जिला कलेक्ट्रेट में स्थापित होगा।
- नियंत्रण कक्ष में कुल 3 व्यक्तियों की तीन पारी में नियुक्ति होगी (3 व्यक्ति हर पारी में)
- नियंत्रण कक्ष में आपदा प्रबन्धन नियंत्रण कक्ष व सभी विभागों के विभागाध्यक्षों के नाम, पता व फोन नम्बर होंगे।
- नियंत्रण कक्ष के फोन नम्बर आसान व याद रखने योग्य होने चाहिये। अगर हो सके तो तीन अंकों (103) का नम्बर दिया जा सकता है ताकि आम व्यक्ति सूचना आसानी से दे सके।

आपदा के समय की जाने वाली कार्यवाही

आपदा की सूचना प्राप्त होते ही रेस्पोन्स टीम तुरन्त प्रभावित स्थल पर पहुंचकर प्राथमिक उपचार कराना, गम्भीर रोगियों को प्राथमिक उपचार पश्चात् जिला अस्पताल में रैफर करना एवं आवश्यकता होने पर (महामारी के समय) रोकथाम की कार्यवाही करना आदि। अतिवृष्टि एवं बाढ़ की स्थिति को मद्देनजर रखते हुए जिले के सभी चिकित्सा अधिकारियों एवं पेरा मेडिकल स्टाफ को मुख्यालय पर रहने हेतु पाबन्द करना।

जिले में आपदा के सम्बन्ध में नोडल विभागो की सूची

नोडल विभाग का नाम	सम्बन्धित आपदा
आपदा प्रबन्धन एवं सहायता विभाग	अकाल/सूखा, ओलावृष्टि, गर्म एवं शीतलहरें, बिजली का चमकना, चक्रवात, भूस्खलन
ऊर्जा विभाग	ऊर्जा उत्पादन, वितरण एवं संचरण सम्बन्धी आपदा
पुलिस/गृह	आतंकवादी हमले, पुलिस हमले, संकट सम्बन्धी मुख्य कानून प्रणाली, नाभिकीय, रासायनिक, जैविक एवं मौसम विज्ञान सम्बन्धी आपदा, वायु, सडक, रेल दुर्घटना, मेले एवं त्योहार सम्बन्धी आपदा
जल संसाधन	बाढ एवं जल निकासी प्रबन्ध, बांध का टूटना एवं अचानक भारी वर्षा आना
सार्वजनिक निर्माण विभाग	भूकम्प, मुख्य भवनो के क्षतिग्रस्त एवं गिरना से उत्पन्न आपदा
खनिज विभाग	खदानों में आग एवं बाढ तथा ज्वालामुखी विस्फोट सम्बन्धी आपदा
औद्योगिक विभाग	रासायनिक एवं औद्योगिक आपदा
राजस्व विभाग	गांव में आग सम्बन्धी आपदा एवं नाव का पलटना
वन विभाग	वन में लगी आग
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग	जैविक एवं महामारी, संक्रामक बीमारियां और बाढ के समय दूषित आहार
कृषि विभाग	प्लेग सम्बन्धी आपदा
पशुपालन विभाग	मवेशियों/मृत पशुओ से उत्पन्न संक्रामक बीमारी सम्बन्धी आपदा

जिला कलक्टर/जिला प्रशासन

आपदा पूर्व तैयारी	आपदा के दौरान तैयारी	आपदा के बाद तैयारी
• जिला आपदा प्रबन्धन समिति का गठन करना। • जिले में आपदा सम्बन्धी सभी सुरक्षात्मक पहलुओं को शामिल करते हुये आपदा प्रबन्धन प्लान समय–समय पर अपडेट के साथ तैयार रखना। • जिले के सभी विभागों को आपदा सम्बन्धी जागरूकता, जानकारी, प्रशिक्षण, समन्वय एवं तैयारी के लिए कार्यशालाएं एवं मीटिंग का आयोजित करना। • जिले में नियन्त्रण, समन्वय एवं सम्पर्क सूत्र हेतु वायरलेस, टेलीफोन (हेल्प लाईन नं., ई–मेल), कम्प्युटर, टेलीविजन मय तकनीकी एवं प्रशिक्षित स्टाफ के एक हाइटेक नियन्त्रण केन्द्र की स्थापना करना।	• समग्र समन्वय एवं पर्यवेक्षण। • आपदा स्थल पर नियंत्रण कक्ष की स्थापना करना। • आपदा स्थल पर स्वास्थ्य, राहत, जानकारी आदि के लिए अलग–अलग काउन्टर बनाना। • आपदा स्थल के नियंत्रण कक्ष पर सभी सूचनाओं को इकट्ठा करवाना तथा राज्य नियंत्रण कक्ष तक सूचनाओं को भेजना। • रेलवे व यातायात विभाग से सामंजस्य स्थापित करके आने जाने की सुविधा प्रदान करना। • प्रभावित लोगों को समुचित सहायता की व्यवस्था करना। • जरूरत पड़ने पर सेना से सहायता लेना। • पीडितों को आर्थिक मदद प्रदान करना।	• प्रभावित आमजन का पुर्नस्थापन करना • आपदा से हुए नुकसान आदि के लिए विशेष सर्वेक्षण दल की स्थापना करना। • आपदा से हुई हानि, नुकसान के मुआवजे की व्यवस्था करना। • सामान्य व्यवस्था पुनः बहाल कराना।

रसद विभाग

आपदा पूर्व तैयारी	आपदा के दौरान तैयारी	आपदा के बाद तैयारी
• जिले में आपदा के समय व्यवस्था हेतु खाद्य एवं आपूर्ति, आवश्यक वस्तुओं यथा भोजन, कपडा और ईंधन की सुचारू व्यवस्था एवं आरक्षित भण्डारण की व्यवस्था क्या होगी । • जोधपुर जिले की जनसंख्या एवं वर्तमान आपदा के मध्यनजर खाद्य पदार्थ (गेहूं, चावल, दाल, फूड पैकेट्स, चप्पल, ब्रेड–दूध, कपडे, केरोसीन, डीजल, पेट्रोल, त्रिपाल, टेन्ट, गैस सिलेण्डर आदि) का अतिरिक्त एवं आरक्षित भण्डारण रखने की व्यवस्था करना। • सम्बन्धित स्वयंसेवी संगठनों, थोक विक्रेताओं, निजी दुकानदारों, पेट्रोल पम्पों, ऑयल डिपों, राशन डीलरों, सरकारी एवं गैर सरकारी गोदामों आदि के सम्पर्क सूत्र, सूचियां तैयार रखना।	• अस्थाई कैम्प हेतु टेन्ट, त्रिपाल, दरियें, बिस्तर आदि की व्यवस्था करना। • घटना घटित होने, आपदा आने पर रसद सामग्री आपूर्ति करना। • खाद्य सामग्री, पेट्रोल, डीजल व केरोसीन आदि का आरक्षित भण्डार प्रशासन की मांग पर उपलब्ध कराना। • भोजन पैकेट, राहत सामग्री, कपडे एवं आवश्यक जरूरत की वस्तुओं का वितरण करना। • स्वयंसेवी संगठनों, बाहर से मिली सहायतार्थ सामग्री का समुचित भण्डारण, सुरक्षा एवं वितरण की व्यवस्था करना। • राहत सामग्री हेतु स्वयंसेवको के साथ समन्वय रखना।	• सहायतार्थ हेतु सरकारी, गैर सरकारी एवं स्वयंसेवी संगठनों से प्राप्त राहत सामग्रियों का उचित वितरण एवं निपटान। • सडे–गले, संक्रामित खाद्य एवं पेय पदार्थों का समय पर निस्तारण करवाना। • समाज के कमजोर तबके के समूह के बचाव हेतु अन्त्योदय अन्न, अन्नपूर्णा अन्न योजना, गरीबी की रेखा से नीचे वाले तबके सार्वजनिक वितरण व्यवस्था का प्रभावी कियान्वयन करना।

जिला पुलिस विभाग

आपदा पूर्व तैयारी	आपदा के दौरान तैयारी	आपदा के बाद तैयारी
• जिले, वृत, थाना, अपने क्षेत्र के सभी सुरक्षात्मक पहलुओं को शामिल करते हुये जिले में पुलिस व्यवस्था सम्बन्धी आपदा प्रबन्धन प्लान समय–समय पर अपडेट के साथ तैयार रखेंगे। • आपदा सम्बन्धी संवेदनशील क्षेत्र, दुर्घटना प्रभावित क्षेत्र को चिन्हित करें। • आपदा समय यातायात व्यवस्था दूरस्थी हेतु तैयारी रखें। • लोगों को समय पर आपदा सम्बन्धित चेतावनी / सूचना उपलब्ध कराने की योजना तैयार रखें। • आपदा के दौरान कानून व्यवस्था बनाने हेतु सम्पूर्ण तैयारी रखेंगे। • आपदा से निपटने के लिए कन्ट्रोल रूम स्थापित किया जायेगा जो 24 घण्टे कार्यरत रहेगा।	• आपदा सम्बन्धी चेतावनी, थानो, चोकियों, बीट प्रणाली, वायरलैस, अन्य सम्प्रेषण साधनों के द्वारा प्रभावित जनसमूहों को चेतावनी पहुंचाना। • आपदा के दौरान वायरलैस एवं संचार व्यवस्था उपलब्ध करवाना। • लोगों की जान–माल की रक्षा करना एवं कानून व्यवस्था बनाये रखना। • वायरलैस मोबाइल व अन्य सम्पर्क सूत्र 24 घण्टे(राउण्ड द क्लॉक) ऑन रखेंगे। • आपदा ग्रस्त क्षेत्रों में यातायात व्यवस्था बनाये रखना। • अनावश्यक भीड़ नहीं होने देंगे। • असामाजिक तत्वों व आपराधिक प्रवृति के लोगों पर नजर रखेंगे व निरोधात्मक कार्यवाही करेंगे।	• प्रभावित आमजन का पुर्नस्थापन करने में प्रशासन की मदद करेंगें।

सिंचाई विभाग

आपदा पूर्व तैयारी	आपदा के दौरान तैयारी	आपदा के बाद तैयारी
• आपदा सम्बन्धी सम्पूर्ण तैयारी सुनिश्चित करना। • आपदा प्रबन्धन कन्टीजेन्सी प्लान तैयार करना। • नहरों बांधो एवं अन्य सिंचाई स्त्रोंतों की समय पर मरम्मत एवं सुरक्षा सुनिश्चित करना। • जिले में आपदा प्रबन्धन सम्बन्धी अपनी भागीदारी निभाना।	• आपदा की सूचना मिलने पर विभागाध्यक्ष अपने विभाग के सभी अधिकारियों व कर्मचारियों को ड्यूटी पर बुलाएंगे। • रिहायशी क्षेत्रों से बाढ़ के पानी की निकासी हेतु आवश्यक कदम उठायेगा। • बाढ़ के पानी के लिए उचित मार्ग बनाना ताकि वह शीघ्र निकासी हेतु उचित मार्ग बनाना व अवरोधों को हटाना। • बचाव व राहत कार्यों के लिए नांवों की व्यवस्था करना। • गोताखोरों एवं तैराकों से सम्पर्क कर उनकी सेवाएं लेना। • कंकड़ पत्थर और मिट्टी से भरे थेलों से बाहव को रोकना।	• क्षतिग्रस्त बांधो, तालाबो आदि की मरम्मत व्यवस्था करना। • जल सुरक्षा एवं संरक्षण के उपाय करना।

	• बांधों व तालाबों में आई दरारों को बन्द करने हेतु तत्काल व्यवस्था करना।	

जिला आपदा प्रबन्धन एवं सहायता विभाग

आपदा पूर्व तैयारी	आपदा के दौरान तैयारी	आपदा के बाद तैयारी
• जिला आपदा प्रबन्धन प्लान/योजना को तैयार एवं समय पर अपडेट कराना। • जिला आपदा आई.डी.आर.एन प्लान/योजना को सभी विभागों से सूचनाएं प्राप्त कर समय–समय पर अपडेट करना। • केन्द्र सरकार, राज्य सरकार, आपदा प्रबन्धन अधिनियम, 2005, आपदा प्रबन्धन एवं सहायता विभाग, राज. जयपुर, अध्यक्ष (कलक्टर) जिला आपदा प्रबन्धन के निर्देशानुसार सभी विभागों से आपदा सम्बन्धी व्यवस्था की पालना सुनिश्चित कराना एवं चाही गई सूचनाएं एकत्रित कर भिजवाना। • जिले के विभागों को आपदा सम्बन्धी जागरूकता, जानकारी, प्रशिक्षण, समन्वय एवं तैयारी के लिए कार्यशालाएं एवं मीटिंग का आयोजित करना एवं आवश्यक सेवाओं के अधिकारियो/कर्मचारियों को आपदा प्रबन्धन सम्बन्धी प्रशिक्षण दिलाना। • जिले में विभागवार आपदा सम्बन्धी तैयारियां सुनिश्चित करवाना एवं कन्टीजेन्सी प्लान तैयार करवाना। • जिला आपदा नियन्त्रण कक्ष कलेक्ट्ट परिसर में स्थापित कर समुचित व्यवस्थाएं सुनिश्चित करना। • जिले में आपदा प्रबन्धन, सहायता एवं नागरिक सुरक्षा विभाग नोडल एजेन्सी का कार्य करेंगे। • सम्भावित आपदाओं के मध्यनजर सभी विभागों के साथ मीटिंग/कार्यशाला/प्रशिक्षण आयोजित कर आपदा सम्बन्धी तैयारी सुनिश्चित कराना। • जिले में सम्भावित भविष्य की आपदाओं को मध्यनजर विकास कार्य हो, सम्बन्धित विभागों से पालना कड़ाई से कराया जाना।	• आपदा के दौरान सभी विभागों में समन्वय स्थापित कर प्रभावित जन को तुरन्त राहत एवं सहायत प्रदान करना। • जिले में सभी क्षेत्रों से सूचनाएं प्राप्त कर आपदा प्रभावित क्षेत्र घोषित कराना। • आपदा के समय सभी विभागों से सम्पर्क बनायें रखकर आपदा सम्बन्धी कार्यों पर नियन्त्रण रखना। • आमजन, हताहतों, प्रभावित लोगों को राहत एवं सहायता हेतु नियमानुसार सभी उपाय करना।	• जान–माल की हुई क्षति का सर्वे कराया जाकर अभावग्रस्त/आपदाग्रस्त क्षेत्र घोषित कराना। • जान–माल की हुई क्षति का सर्वे कराया जाकर उचित मुआवजे की व्यवस्था करवाना। • अस्थाई कैम्पों में रहने वाले प्रभावित जन का पुर्नस्थापन करना। • बेघर एवं असहाय लोगों की मदद करवाना एव उनकी आवश्यक जरूरतों की पूर्ति कराना। • सामान्य जन जीवन व्यवस्था पुनः बहाल करना। • सभी विभागों से आपदा सम्बन्धी कार्यों का फीडबैक प्राप्त करना। • आपदा प्रबन्धन सम्बन्धी अच्छे कार्यों के लिए प्रंशसा एवं पुरस्कृत करना। • आपदा प्रबन्धन सम्बन्धी कार्यो के प्रति लापरवाही एवं कर्तव्यभंग अधिकारियो/कर्मचारियों को दण्डित करना।

नागरिक सुरक्षा विभाग

आपदा पूर्व तैयारी	आपदा के दौरान तैयारी	आपदा के बाद तैयारी
• नागरिक सुरक्षा प्लान तैयार कर समय–समय पर अपडेट रखना। • डिविजन वार्डन, पोस्ट वार्डन एवं सेक्टर वार्डन की नियुक्तियां, नागरिक सुरक्षा के स्वयंसेवकों को आपदा प्रबन्धन प्रशिक्षण दिया जाकर स्थानीय स्तर पर नागरिक सुरक्षा को मजबूत बनाया जाना। • सर्च एवं बचाव, जिला त्वरित रेस्पोंस टीमों को तैयार करना। • सभी विभागों से सम्पर्क कर आपदा प्रबन्धन को लागू करना। • स्थानीय स्तर पर आमजन व जिले में कर्मचारियों/अधिकारियों को आपदा प्रबन्धन सम्बन्धी जागरूकता अभियान, प्रचार–प्रसार एवं प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाना। • राष्ट्रीय, राज्य एवं जिला प्रशासन की तरफ से उपलब्ध करवाई गई चेतावनी को जिले में उपलब्ध सभी सम्प्रेषण एवं संचार माध्यमों से आमजन तक आपदा सम्बंधी चेतावनी देना। • प्रभावित क्षेत्रों से प्रभावित लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाना।	• आपदा के दौरान घटना/दुर्घटना या आपदा आने पर प्रथम रेस्पोंडर के रूप में नागरिक सुरक्षा स्वयंसेवकों द्वारा कार्य करना। • मांग अनुसार नागरिक सुरक्षा स्वयं सेवकों को उपलब्ध करवाना। • कानून व्यवस्था में मदद करना। • सर्च, बचाव एवं राहत कार्य भुारू करना। • मौके पर सभी विभागों के बीच नोडल एजेन्सी का कार्य करना एवं सूचनाएं सम्प्रेषण करना। • स्थानीय स्तर पर प्रथम उपचार देना एवं गंभीर घायलों को अस्पताल भेजने की व्यवस्था कराना। • मलबे में फंसे लोगों को सुरक्षित बाहर निकालने की व्यवस्था करना। • राजकीय/निजी सम्पत्ति को नियमानुसार राजकोष में जमा कराना। • असामाजिक तत्वों पर नजर रखना एवं उनकी सूचना पुलिस व जिला प्रशासन को देना।	• सभी विभागों के सहयोग से पुर्नस्थापन कराना। • अस्थाई कैम्पों से पुनः उनके घरो में पहुंचाने के लिए मदद करना। • राजकीय एवं निजी धन/सम्पत्ति को नियमानुसार उनके वारिश को दिलवाने में मदद करना। • मुआवजा, क्षतिपूर्ति दिलवाने में प्रशासन की मदद करना। • जान–माल की हुई हानि का सर्वे कराया जाकर सूचना भिजवाना। • सामान्य स्थिति लाने में मदद करना।

भारत संचार निगम लिमिटेड/ दूरसंचार विभाग

आपदा पूर्व तैयारी	आपदा के दौरान तैयारी	आपदा के बाद तैयारी
• जिले में सभी आवश्यक सेवाओं व सम्बन्धित विभागों, कन्ट्रोल रूमों व अन्य सम्पर्क सूत्र लाईनों को चैकिंग कर दूरस्त हालत में रखे जाने हेतु सुनिश्चित करेंगे। • फलौदी जिले की पुलिस कन्ट्रोल रूम नं. 100, अग्निशमन कन्ट्रोल रूम नं. 101 को मोबाइल सेवा से जुडी रहने एवं यह लाईने दूरस्त रहे इस हेतु व्यवस्था करना, जिससे फलौदी जिले के आमजन अपनी समस्या या शिकायत दर्ज करा सके।	• सभी विभागों के कन्ट्रोल रूम के सम्पर्क सूत्र लाईन को दूरस्त रखेंगे। • बाढ एवं अतिवृष्टि के दौरान संचार, मोबाइल व सैटेलाईट फोन की व्यवस्था को दूरस्त रखेंगे। • आपदा/घटनास्थल/अस्थाई राहत कैम्प/अस्थाई बचाव कैम्प/अस्थाई कन्ट्रोल रूम हेतु अस्थाई सम्पर्क सूत्र लाईन/मोबाइल/हेल्पलाईन/सी.यू.जी. की व्यवस्था करना । • जनता तक सही सूचना पहुंचाना।	• सभी क्षतिग्रस्त हुई लाईनों को मरम्मत एवं सही कर सामान्य स्थिति बहाल करेंगे।

	• टूटी हुई जनसंचार व्यवस्था को पुनः चालू करना।	

जन स्वास्थ्य एवं अभियांत्रिकी विभाग

आपदा पूर्व तैयारी	आपदा के दौरान तैयारी	आपदा के बाद तैयारी
• जिले में सम्बन्धित सम्भावित आपदाओं से निपटने हेतु विभाग का पेयजल सम्बन्धी व्यवस्था एवं कन्टीजेनसी प्लान समय–समय पर अपडेट के साथ तैयार रखना। • आपदा के समय पेयजल आपूर्ति की वैकल्पिक व्यवस्था की तैयारी रखना। • अग्निशमन के लिए अलग से जल उपलब्ध करवाने की व्यवस्था करना। • आवश्यकता पड़ने पर जल सप्लाई बन्द करने की व्यवस्था पूर्व में करके रखना। • जलाशयों एवं जल की सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित करना। • पानी की सप्लाई लाईने, नहरे, कुएं, बावडियां, तालाबों आदि में शुद्व एवं सुरक्षित पानी रहे इस हेतु उचित व्यवस्था करना। • बरसात के जल संरक्षण एवं वाटर हार्वेस्टिंग व जल बचाव आदि के बारे में लोगों को जागरूक एवं इस हेतु प्रयास करना।	• आपदा की सूचना मिलने पर विभागाध्यक्ष अपने विभाग के सभी अधिकारियो/ कर्मचारियों को ड्यूटी पर बुलायेंगें। • पेयजल व्यवस्था सम्बन्धी कन्ट्रोल रूम (24 घण्टे) स्थापित करना एवं उसकी सूचना जिला कन्ट्रोल रूम को देना। • आपदा प्रभावित जनता को स्वच्छ और सुरक्षित पेयजल पानी उपलब्ध कराना। • जरूरत पडने पर अग्निकाण्ड स्थान, अग्निशमन साधनों, अस्पतालों, अस्थाई शिविरों के लिए समुचित जल की व्यवस्था करवाना। • भवनों या सिवरेज लाईनों, जल आपूर्ति लाईनों के क्षतिग्रस्त होने पर सम्बन्धित क्षेत्र की जल व्यवस्था बन्द करना। • टूटी हुई पाइप लाईनों को तुरन्त प्रभाव से ठीक करवाने हेतु विभाग के कर्मचारियों को निर्देशित करना व ठेकेदारों को नियुक्त करना। • बाढ, अतिवृष्टि के समय नीचले (लो लाईन एरिया) क्षेत्रों में पानी निकालने हेतु पम्पसेट की व्यवस्था करना।	• क्षतिग्रस्त पेयजल लाईनों को दूरस्त कर सुचारू रूप से पेयजल व्यवस्था करना। • सामन्य व्यवस्था पुनः बहाल करना। • संक्रामित रहित एवं शुद्व पेयजल व्यवस्था करना। (ब्लीचिंग पाउडर आदि)

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग

आपदा पूर्व तैयारी	आपदा के दौरान तैयारी	आपदा के बाद तैयारी
• नियन्त्रण कक्ष स्थापित करना। • आपदा की सूचना मिलने पर विभागाध्यक्ष अपने सभी अधिकारियो/कर्मचारियो को ड्यूटी पर बुलायेंगे। • जिले में सम्भावित आपदाओं के मध्यनजर चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सम्बंधी व्यवस्था के लिए यौजना तैयार करना। • एम्बुलेंस प्रबन्ध प्लान तैयार करना एवं उन्हें तैनात करना। • क्लोरीन की टिकिया एवं ब्लीचिंग पाउडर एवं अन्य आवश्यक औषधियों एवं दवाओं का रिजर्व भण्डार रखना। • ब्लड बैंको में रिजर्व ब्लड की व्यवस्था रखना।	• घटना स्थल पर चिकित्सकों/ पैरामेडिकल स्टाफ को तुरन्त तैनात करना, जिससे उपचार दिया जाकर चिकित्सा सम्बन्धी व्यवस्था संभालना। • अस्पतालों मे घायलों को भर्ती करवाने हेतु उचित जगह की व्यवस्था करना। • पीडितों को समय पर अस्पताल पहुंचाना। • सम्पूर्ण जिले में एम्बुलेंस की व्यवस्था इस तरह की जाये कि घटना स्थल पर शीघ्र पहुंच सके। • अन्य निजी, ट्रस्टों, स्वयंसेवी संस्थाओं के अस्पतालों/मोबाईल यूनिटो/एम्बुलेंसो, अन्य संसाधनों एवं मदद हेतु सम्पर्क करना। • ब्लड बैंकों को आपदा स्थल व अस्पतालों में रक्त पहुंचाने की व्यवस्था करना।	• चिकित्सा सम्बन्धी सभी व्यवस्थाओं की सूचना जिला कन्ट्रोल रूम को देना। • घायल/अतिघायल एवं मृतकों की सूची तैयार कर जिला कन्ट्रोल रूम को उपलब्ध करवाना। • अस्थाई राहत शिविरों/ प्रभावित क्षेत्रों में स्वास्थ्य शिविरों की स्थापना करना। • संक्रामक बीमारियों/ महामारियों के रोकथाम के उपाय करना।

• आपात स्थिति में स्वैच्छिक ब्लड दान करने वाले स्वयं सेवकों की सूची तैयार रखना।		

जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, फलौदी

आपदा पूर्व तैयारी	आपदा के दौरान तैयारी	आपदा के बाद तैयारी
• जिले में विद्युत व्यवस्था सम्बन्धी सभी सुरक्षात्मक पहलुओं को शामिल करते हुये ''विद्युत व्यवस्था आपदा प्रबन्धन प्लान'' समय–समय पर अपडेट के साथ तैयार रखेंगे। • 24 घंटे(राउण्ड द क्लॉक) कन्ट्रोल रूम एवं हेल्पलाईन, टोल फ्री नम्बर स्थापित किये जायेंगे। जिसकी सूचना जिला प्रशासन कन्ट्रोल रूम में उपलब्ध करवायेंगे। • कर्मचारियों एवं अधिकारियों की ड्यूटी 24 घण्टे राउण्ड द क्लॉक लगा दी जाए तथा पहले से उनकी जिम्मेदारियां तय कर दी जायें। • सभी विद्युत लाईने, ढीले पड़े तार, जमीन पर रखे ट्रांसफॉर्मर आदि को दूरस्थ करावें। • बाढ या अत्यधिक वर्षा आने पर जमीन पर करण्ट नहीं फैले, यह व्यवस्था पहले से सुनिश्चित करेंगे। • विद्युत आपूर्ति से कोई जनहानि, पशुहानि न हो यह व्यवस्था भी सुनिश्चित करेंगे। • प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय पारी की टीमों को संगठन कर तैयार रखना।	• विद्युत लाईनों/तार टूटने एवं इनमें करण्ट आने की सूचना मिलने पर तुरन्त लाईनों में विद्युत प्रभाव बन्द कर दिया जावें तथा सुधार कार्यवाही शीघ्रता से पूरी करना। • घटना घटित होने पर विद्युत सम्बन्धी सम्पूर्ण व्यवस्था देखने हेतु सम्बन्धित अधिकारी/टीम/तकनीकी कर्मचारी तुरन्त मौके पर पहुंच विद्युत व्यवस्था को संभालेंगे। • आपदा स्थल पर बिजली आपूर्ति का प्रबन्ध करना। • विद्युत लाईने/तारों को दूरस्थ कर विद्युत सप्लाई की व्यवस्था करेंगे। • अस्थाई राहत कैम्प, कुएं, ट्यूबवेल व अस्थाई भरे पानी की निकासी हेतु अस्थाई विद्युत व्यवस्था सुनिश्चित करेंगे। • जल आपूर्ति के लिए विद्युत सप्लाई लाईनों को उच्च मानकता से दूरस्थ हालत में रखेंगे जिससे पेयजल व्यवस्था सुचारू रूप से चल सके।	• विद्युत तार/पोल/लाईन सभी जो आपदा के दौरान क्षतिग्रस्त हुई हो उन्हें पुनः दूरस्थ करेंगे। • क्षतिग्रस्त लाईनों से करण्ट नहीं फैले इस हेतु व्यवस्था सुनिश्चित की जायेगी। • सभी व्यवस्था दूरस्थ की जाकर विद्युत व्यवस्था की पुनः बहाली की व्यवस्था करेंगे एवं सामान्य हालात पैदा करेंगे।

प्रादेशिक परिहवन अधिकारी/आगार प्रबन्धक, आर.एस.आर.टी.सी.

आपदा पूर्व तैयारी	आपदा के दौरान तैयारी	आपदा के बाद तैयारी
• जिले में सम्बंधित आपदा के मध्यनजर परिवहन व्यवस्था सुचारू रूप से चले, बचाव एवं राहत हेतु वाहन उपलब्ध करवाने आदि व्यवस्था हेतु कन्टीजेन्सी प्लान तैयार रखना। • परिवहन एवं वाहन व्यवस्था हेतु कन्ट्रोल रूम (24 घण्टे) स्थापित करना। • स्कूलो/महाविद्यालयों/विश्वविद्यालयों/मोटर वाहन ट्रेनिंग स्कूलों एवं आमजन को सम्भावित दुर्घटनाओं, आपदाओं से बचने हेतु जागरूक अभियान चलाना। • जिले में वाहनों की उपलब्धता, टांसपोर्ट एवं ट्रेवल्स एजेन्टों की सूची मय सम्पर्क सूत्र के	• लोगों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाने, खाद्य, पानी, कपडे एवं आवश्यक जरूरत की चीजों को जिला रसद अधिकारी की मांग के अनुसार परिवहन संसाधन उपलब्ध करवाना। • जरूरत पड़ने पर जिले में किसी क्षेत्र विशेष को खाली कराने, लोगों को सुरक्षित जगह पर लाने व ले जाने एवं बचाव, राहत टीमों व वाहन उपलब्ध करवाना। • बाढ के दौरान नदियों नालों में पानी के अतिरिक्त बहाव होने की स्थिति में पानी के बहाव क्षेत्र में वाहनों को	• आपदा के बाद पुर्नस्थापन में परिवहन सम्बन्धी व्यवस्था करना। • आपदा सम्बन्धी परिवहन सम्बन्धी की गई कार्यवाही एवं व्यय सम्बन्धी जिला प्रशासन को रिपोर्ट प्रस्तुत करना। • आपदा के दौरान दिये गये निजी वाहनों को पुनः रिलीज करना।

समय–समय पर अपडेट की जाकर तैयारी हालत में रख व्यवस्था सुनिश्चित करना।	प्रवेश नहीं करने के लिए चालकों एवं परिचालकों को अपने स्तर पर जागरूक एवं पाबन्द करना।	

सार्वजनिक निर्माण विभाग

आपदा पूर्व तैयारी	आपदा के दौरान तैयारी	आपदा के बाद तैयारी
• सम्भावित आपदाओं के मध्यनजर सुरक्षात्मक उपायों को शामिल करते हुये कन्टीजेन्सी प्लान तैयार करना। • सम्भावित आपदाओं के मध्यनजर भूकम्परोधी, अग्निशमन योजना के अनुसार निर्माण एवं विकास कार्य किये जाये। • पंजीकृत ठेकेदारो/उनके पास उपलब्ध संसाधनों की सूची मय सम्पर्क सूत्र के रखना, आवश्यकता होने पर आपदा के दौरान मदद ली जा सके। • जेसीबी, हेडपम्प, रोड रोलर व नियुक्त वाहन चालको एवं ठेकदार मालिको की सूची तैयार रखें, आवश्यकता होने पर उन्हें तुरन्त सूचित कर समुचित व्यवस्था की जा सके। • आवश्यकतानुसार बहाव क्षेत्रों में पहचान बोर्ड गहराई को दर्शाते हुये लगाये जाये। • जर्जर अवस्था में समय रहते सरकारी भवनो, सडकों व पुलों आदि की मरम्मत करेंगे व अति जर्जर एवं खतरनाक पुलों एवं [illegible] को गिराया जाकर नये निर्माण की [illegible] करेंगे।	• जिले की प्रमुख नदियों में गुजरने वाले मुख्य सडकों पर नदियों के बहाव के दौरान कर्मचारियों/सैनिकों को तैनात करें ताकि पानी के बहाव के दौरान वाहनों को नदियों में प्रवेश से रोका जा सके। • आपदा की सूचना मिलने पर विभागाध्यक्ष अपने विभाग के सभी अधिकारियो/कर्मचारियों को ड्यूटी पर बुलायेंगे। • सडको, रोडो, आपदा स्थलों पर आये मलबे को हटाने हेतु तुरन्त व्यवस्था करना। • सार्वजनिक निर्माण विभाग बाढ एवं अतिवृष्टि एवं अन्य आपदा के दौरान हैलीकॉप्टर लेण्ड करने हेतु अस्थाई हेलीपेड का तुरन्त निर्माण करने हेतु सम्बन्धित उपखण्ड अधिकारी एवं तहसीलदार व जिला प्रशासन से	• सडको, रोडो, आपदा स्थलों पर आये मलबे को हटाने हेतु व्यवस्था करना। • आपदा के दौरान क्षतिग्रस्त हुये भवनो को मरम्मत व अतिक्षतिग्रस्त (गिरने योग्य भवनो) को गिराये जाने की कार्यवाही की जाये जिससे ओर ज्यादा जानमाल का नुकसान न हो। • अस्थाई कैम्पों की व्यवस्था में मदद करना। • सामान्य व्यवस्था बहाली में विभाग की तरफ से योगदान देना।

नगर परिषद

आपदा पूर्व तैयारी	आपदा के दौरान तैयारी	आपदा के बाद तैयारी

• फलौदी जिले को सुनियोजित विकास एवं आपदा प्रबन्धन हेतु सम्पूर्ण सुरक्षात्मक पहलुओं के मध्यनजर आपदा प्रबन्धन योजना/प्लान समय–समय पर अपडेट कर तैयार हालत में रखेंगे। • जिले में भविष्य की सम्भावित आपदा के मध्यनजर योजनाबद्ध विकास की रूपरेखा तैयार कर उसके अनुसार कार्यवाही करना। • सामुदायिक भवनो, विवाह स्थलों, धर्मशालाओं, होटलों आदि की सूची मय सम्पर्क सूत्र के तैयार रखना एवं आवश्यकता होने पर सम्पर्क कर इनसे मदद लेना। • आपदा सम्बन्धी आवश्यक उपकरणों को पूर्व में खरीद कर उन्हे चालू हालत में रखना। • पानी निकासी हेतु पम्पसेटों की उचित व्यवस्था करना। • सिवरेज लाईनों की साफ–सफाई का कार्य 15 जून से पूर्व पूर्ण कर लिया जाना। • पहले से आपदा से निपटने हेतु प्रशिक्षित टीम तैयार करने एवं उनके सम्पर्क सूत्र मुख्यालय पर रखना। • कन्ट्रोल रूम स्थापित कर उसकी जानकारी एवं तैयारी की सूचना जिला नियन्त्रण केन्द्र को उपलब्ध करवाना। • निर्माण कार्यों व अन्य सभी ठेकेदारों की सूची मय सम्पर्क सूत्र के कन्ट्रोल रूम में रखना। • आपदा आने पर अधिकारियो/कर्मचारियों की जिम्मेदारियां पहले से सुनिश्चित कर लेना।	• घटना/दुर्घटना होने पर तुरन्त मौके पर पहुंचना, राहत कार्य में मलबा हटाने, रास्ते से अवरोध हटाने, सिवरेज लाईनों को दूरस्थ करने, रोड लाईटों को ठीक करना, रास्ते में पडे पेड–पौधों को हटाने व अन्य व्यवस्था सुनिश्चित करना। • प्रभावित क्षेत्र के लोगों को सुरक्षित स्थान पर ले जाने, अस्थाई कैम्प की व्यवस्था करना। • ट्रेक्टर ट्रोली तथा पम्पसेटों की उपलब्धता करना। • मिट्टी के कट्टे व अन्य आपदा सम्बन्धी सामग्री/उपकरण उपलब्ध कराना। • प्रभावित स्थान/घटनास्थल के आस–पास साफ–सफाई एवं स्वच्छता रखना। • आग जैसी आपदा के समय तुरन्त प्रभाव से अग्निशमन सेवाएं प्रदान करना। • मृत पशुओं आदि का निस्तारण करना।	• अस्थाई कैम्पों के लिए उच्चाधिकारियों के निर्देशानुसार व्यवस्था सुनिश्चित करना। • क्षतिग्रस्त रोड, सीवरेज, रोड लाईटे आदि को समय–समय पर दूरस्त करना। • शहर मे फैली गन्दगी को हटाना, साफ–सफाई एवं स्वच्छता रखना। • संक्रामक, मौसमी एवं महामारियां बचाव हेतु डीडीटी अथवा अन्य दवाईयां का छिडकाव तथा सफाई व्यवस्था करना। • नीचे गिरे पेड–पौधें, मलबे आदि को हटाकर रोड़ों, रास्तो, गलियों के अवरोध को दूर करेंगे एवं आवगामन को सुगम बनाये जाने की व्यवस्था सुनिश्चित करेंगे। • सरकारी एवं गैर सरकारी भवनो, दीवारों की मरम्मत एवं ज्यादा क्षतिग्रस्त भवनों, दीवारों को गिराना जिससें कि ओर जानमाल का नुकसान न हो सके। • आपदा बाद शव निपटान की व्यवस्था करना।

अन्य विभाग

जिला कलक्टर एवं जिला प्रशासन जिला आपदा प्रबन्धन अधिनियम, 2005 एवं जिला आपदा योजना के अनुसार जिले में सभी विभागों को उचित आपदा प्रबन्धन हेतु उपरोक्तानुसार विभागवार जिम्मेवारियां निर्धारित की है। इसके अलावा भी कई केन्द्रीय एवं राज्य विभाग जिले में स्थापित है। इनका भी आपदा पूर्व,दौरान व बाद (आपदा प्रबन्धन) में सेवाएं ली जायेगी एवं जिम्मेवारियां भी सौंपी जा सकेगी। विभाग आपदा जैसी मानव जीवन एवं संवेदनशील विषय को मध्यनजर अपने योगदान के लिये आगे आयेंगें। जिला कलक्टर, आपदा प्रबन्धन सहायता एवं नागरिक सुरक्षा विभाग से अपने दिये जाने वाले योगदान से भी अवगत करायेंगे। उपरोक्त जिम्मेवारियों के अतिरिक्त जिला प्रशासन अन्य विभागों एवं मौका हालात एवं परिस्थितियों के अनुसार आपदाओं पर नियन्त्रण हेतु जिम्मेवारी सौंपी जायेगी।

जिले में आपदा प्रबन्धन हेतु आम जनता द्वारा किये जाने वाले उपाय/ध्यान रखेन योग्य बिन्दु

क्या करें ?	क्या न करें ?
• परिवार/समुदाय स्तर पर आपदा प्रबन्धन समझ विकसित करना। • अपने प्राथमिक उपचार एवं सामान्य बचाव के किट/उपकरण को तैयार रखना। • जिस क्षेत्र में रहते हैं उस क्षेत्र की पानी की भराव की क्षमता, रास्ते के बारे में बुजुर्गजन एवं अन्य स्त्रोतों से जानकारी रखना। • अनजान असामाजिक तत्वों एवं आपराधिक प्रवृतियों वाले लोगों की सूचना पुलिस को देना। • अपने घरों, आस–पास के क्षेत्रों की साफ–सफाई रखना। • घर एवं आस–पास के क्षेत्र में अग्नि, बिजली आदि खतरनाक स्थितियों को समय रहते दूरस्त कराना। • खाद्य पदार्थो, जल एवं आवश्यक वस्तुओं का मौसम अनुसार पर्याप्त भण्डारण की व्यवस्था रखना। • रेडियों, टेलीविजन एवं अन्य संचार साधनों से जानकारी रखना। • अपने परिवार की आपदा बचाव हेतु योजना तैयार रखें, बाढ़ आने की संभावना होने पर बाढ़ प्रभावित क्षेत्र के जन अपने आवश्यक चीजे (गहने, नकदी, जरूरी कागजात) लेकर सुरक्षित जगह पर पहुंचना। • बाढ जैसी खतरनाक स्थिति पैदा होने पर समय रहते ऊंचे स्थानों पर चले जाना एवं नियन्त्रण कक्ष को सूचना देना। • घबराये नहीं, शान्त रहें जीवन जीने के उपायों को पहले करें। • जिला प्रशासन, पुलिस एवं अन्य साधनों से मिलने वाली चेतावनी के अनुसार शीघ्र कार्यवाही करना। • जिला प्रशासन, पुलिस एवं अन्य संस्थाओं द्वारा किये जाने वाले राहत एवं बचाव कार्यो में अनावश्यक भीड़ न करते हुये उनकी मदद एवं सहयोग करना। • आपदा के समय परिवार/पडोस एवं समुदाय के साथ रहना। • बच्चो, बुर्जुगों की मदद करना एवं उन पर नजर रखना। • चिकित्सा सम्बन्धी देख–रेख रखना। • यातायात नियमों का पालना करना। • पेयजल स्त्रोतों को स्वच्छ एवं साफ–सुथरा रखना। • शोचालय का उपयोग करना आदि।	• जिला प्रशासन एवं पुलिस की चेतवानी को नजर–अन्दाज न करना। • बहते पानी में वाहन या स्वयं निकलने की कोशिश नहीं करना। • बिजली के तारों एवं अन्य उपकरणों को अनावश्यक नहीं छुना। • प्रदूषित पानी, खाद्य पदार्थों का प्रयोग नहीं करना। • राहत सामग्री वितरण में अव्यवस्था नहीं करना। • खुले में शोच नहीं करना। • कूडा–करकट, घरेलू एवं अन्य सामग्री को इधर–उधर नहीं फेंकना।

5.1 सूखा

फलौदी जिला पश्चिमी राजस्थान के थार मरूस्थल में स्थित है। यहां की जलवायु शुष्क एवं गर्म होने व पश्चिमी राजस्थान की विशेष भौगोलिक स्थिति के कारण जिले की सबसे प्रमुख आपदा सूखा (अकाल) है। जो यहां अकाल पडना एक सामान्य बात है।

अकालों की प्रचण्डता के अनुसार इन्हें चार श्रेणियों में विभाजित किया जा सकता है–

1. अन्न काल
2. जल काल
3. तृण काल (चारे का अभाव)
4. त्रिकाल (अन्न, जल व चारे तीनो का अभाव)

सन् 1842–43 में पड़े विनाशकारी अकाल का नाम **'सहसा मूदसा'** रख दिया गया। विक्रम संवत् 1956 (सन् 1899 ई.) में पडे भयंकर अकाल को **'छप्पनियां अकाल'** का नाम दिया गया। जन व पशुधन की हानि व पलायन की अधिकता से इस कुख्यात अकाल को आज तक लोग भूले नहीं है। पश्चिमी राजस्थान में प्रारम्भ से ही अकाल जैसी आपदा से निपटने के लिए अनेक उपाय किये जाते रहें हैं। जैसे–जल संग्रह के लिए नाड़ी, तालाब, झीले, बावडियां, टांके आदि बनवाये जाते है। अनाज इकठ्ठा करने के लिए कोठरी/भखारी का प्रयोग किया जाता, चारों का सग्रंह करने के लिए कराईयो/पचावा आदि का प्रयोग कर स्थानीय लोग सूखा जैसी आपदा का प्रबन्धन परम्परागत तरीके से करते हैं। प्रारम्भ में पशुपालन पर विशेष बल दिया जाता था ताकि वर्षा कम होने पर आजीविका आसानी से चल सके।

सूखा जल के अभाव का संचयी प्रभाव होता है, जिसका प्रभाव एक प्राकृतिक आपदा के रूप में कृषि प्राकृतिक परिवेश तथा सम्बन्धित प्रक्रमों पर पड़ता है। इसकी प्रभावशीलता निरन्तर बढ़ती जाती है तो अकाल की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। भारतीय मौसम विभाग ने सूखे को दो रूपों क्रमशः प्रचण्ड सूखा व सामान्य सूखा में विभक्त किया है। प्रचण्ड सूखें में 50 प्रतिशत से कम बारिश होती है, जबकि सामान्य सूखे में औसत वर्षा से 25 प्रतिशत बारिश कम होती है। सिंचाई आयोग द्वारा दी गई सूखे की परिभाषा के अनुसार यह वह स्थिति है जिसमें उस क्षेत्र में सामान्य वर्षा से 75 प्रतिशत कम वर्षा हुई हो। यदि यह कमी 25 से 50 प्रतिशत के मध्य है तो इसे सीमित सूखे की स्थिति तथा यदि यह कमी 50 प्रतिशत से अधिक हो तो इसे गम्भीर सूखे की स्थिति के रूप में परिभाषित किया जाता है।

सूखा एक धीरे–धीरे होने वाली ऐसी प्राकृतिक आपदा है। यह हमें निपटने का काफी समय भी देता है। जल का उचित प्रबन्धन न होने के कारण समय के साथ प्रभाव की बढ़ता जाता है और हमें इससे निपटने का मौका मिल जाता है। सूखे का मुख्य कारण बारिश की कमी तथा पानी के सही संरक्षण का अभाव होना है।

सूखे के सामान्य संकेतक

- जलाशयों में पानी का – वर्षा का कम होना या समय पर ना होना या कम जल संग्रहण।
- भू–जल स्तर का कम होना।
- कुंओं का सूखना।
- फसलों का नष्ट होना।

सूखे के प्रकार

- **मौसम विज्ञान सम्बन्धी सूखा** – अपर्याप्त वर्षा, अनियमितता, पानी का असमान वितरण।

- जल विज्ञान सम्बन्धी सूखा – पानी का अभाव, भू–जल स्तर का निम्न होना, जल स्त्रोतों का अवक्षय, तालाबों, कुंओं तथा जलाशयों का सूखना।
- कृषि सम्बन्धी सूखा – फसलों अथवा चारे की कमी, मृदा की नमी में कमी।

प्रभावित क्षेत्र

संवत् 2080 के दौरान वर्षा की कमी के कारण कुल 776 गांवों में से 383 गांव अकालग्रस्त घोषित किये गये थे। इस प्रकार वर्षा नियमित नहीं होने के कारण खरीफ की बुवाई का कार्य पूर्ण नहीं हो पाता है तथा जो बुवाई की गई, वह भी वर्षा के अभाव में नष्ट हो जाती है। वर्षा के फसल के आवश्यकतानुसार नहीं होने के कारण फसलों को बहुत अधिक नुकसान होता रहा है। जिले का सम्पूर्ण क्षेत्र सूखा प्रभावित क्षेत्र ही माना जाता है।

सूखे की कार्ययोजना

दीर्घकालीन उपाय जिसके परिणामस्वरूप ऐसी स्थिति उत्पन्न न हो अथवा समस्या अधिक विकराल रूप न ले। इसके घटित होने के तुरन्त बाद, ताकि कम से कम सम्भाव्य हानि हो सके तथा जन सामान्य को इनसे लड़ने व जीतने में मदद मिल सके।

सूखा पूर्व तैयारी

- सम्बंधित विभाग अकाल से निपटने हेतू लोगों को परम्परागत एवं आधुनिक उपायों का प्रशिक्षण दिया जाकर जन चेतना व जागरूकता अभियान चलाया जाना।
- अकाल से निपटनें हेतू प्राचीन तरीकों, ऐतिहासिक पृष्ठभूमियों को मध्यनजर रखते हुए नये शोध किये जाकर व परम्परागत उपायों से चारा व अनाज का भण्डारण हेतू प्रचार प्रसार किया जाना।
- सरकारी, गैर सरकारी एवं जनसहभागिता को शामिल किया जाकर वर्षा जल सरंक्षण कार्यक्रम एवं सरंक्षण जागरूक अभियान करना।
- अकाल प्रभावित क्षेत्रों का चिन्हिकरण।
- चारा–चारे की कमी से प्रभावित गांवों का चिन्हीकरण।
- चारे की उपलब्धता वाले गांव/तहसील, व आसपास क्षेत्र के जिले, राज्यों चिन्हीकरण व उनसे सम्पर्क साधना।
- अनाज की उपलब्धता सुनिश्चित करना।
- जानवरों के लिए शिविरों के स्थान चिन्हित करना।
- पेयजल की उपलब्धता सुनिश्चित करना।
- सम्भावित चारा डिपो के स्थान चिन्हीत करना।
- स्वयंसेवी संस्थाओं का चिन्हिकरण करना।
- सूखे के दौरान फैलने वाली सम्भावित बीमारियों के निवारण हेतु तैयारी रखना।
- रोजगार के सृजन के अवसर हेतु राहत कार्यों आदि की विकास योजना तैयार करना।
- परम्परागत जल के स्त्रोतों को खुदाई, सफाई और उनके रखरखाव को सुनिश्चित करना।
- स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराने हेतू वैकल्पिक व्यवस्था प्लान तैयार किया जाना।
- ज्यादा से ज्यादा पेड़–पौधे लगाये जाकर हरियालो राजस्थान, हरा भरा जोधपुर का अभियान चलाना।
- मरूस्थलीकरण को रोकने हेतु काजरी, आफरी, प्रशासन एवं वन विभाग की तरफ से सघन वृक्षारोपण किया जाना।
- जिले में घरों, सरकारी एवं गैर सरकारी संस्थानों में वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम को लागू किया जाना।
- पानी का दोहरा प्रयोग करें। नहानें, कपडे धोने या बर्तन साफ करने के पश्चात् पानी को अन्य कार्यों पेड–पौधे, इत्यादि में काम में ले।
- अपनी कार/स्कूटर/साइकिल को पानी से धोने के स्थान पर गीले व सूखे कपड़े को प्रयोग में ले।

सूखे के समय कार्य योजना

- सूखा प्रभावित क्षेत्रों की घोषणा करना।
- चारे पानी व अनाज कमी के क्षेत्रों का चिन्हीकरण कर जरूरत की प्राथमिकता के अनुसार व्यवस्था करना।
- सभी सरकारी अधिकारियों व कर्मचारियों, गैर सरकारी एवं स्वयं सेवी संगठन/दानदाताओं की सेवाएं लेना।

जिला प्रशासन	• सम्पूर्ण जिले में अकाल की सम्भवना व उसकी स्थिति की रिपोर्ट उपखण्ड, तहसील, पटवार स्तर पर गिरदावरी रिपोर्ट के अनुसार जिले में अकाल की वस्तुस्थिति शीघ्र तैयार की जायेगी । • प्रभावित क्षेत्रों में राहतकार्यों की शुरूआत। • तहसीलवार प्रभावित क्षेत्रों में रोजगार सृजन। • अकाल राहत के तहत आरम्भ किये गये कार्यों हेतु मजदूरों को समय पर भुगतान • कुंओं, बावड़ी, तालाब, टांका, नहरें, नालें, झरनें, जल आने के रास्ते आदि को गहरा/साफ–सफाई करना। • उपलब्ध पानी के स्त्रोतों का संवर्धन • निजी कुंओं को किराये पर लेना • हैण्डपम्पों की मरम्मत करवाना • परम्परागत जल स्त्रोतों जैसे बावड़ी, टांका आदि का पुनः जीविकरण • परिवहन, टेंकर व रेल • आवश्यक खाद्य सामग्री का सार्वजनिक वितरण • खाद्य सामग्री पर मूल्य नियन्त्रण
नागरिक सुरक्षा एवं आपदा सहायता विभाग	• सभी विभागों में समन्वय, सहभागिता, नियन्त्रण व उच्च कोटि का आपदा प्रबन्धन हेतु नोडल विभाग/कार्यालय का कार्य करेंगे। • आम जन, सरकारी एवं गैर सरकारी संस्थाओं को सूखे के पूर्व, दौरान व बाद की स्थितियों से निपटने हेतु परम्परागत एवं आधुनिक तरीकों का प्रचार प्रसार करना व उन्हें प्रशिक्षण देने का मुख्य कार्य रहेगा।
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य	• प्रभावित जनसामान्य की चिकित्सकीय देखभाल सुनिश्चित करना • मौसमी बीमारियों/संक्रामक रोगों की रोकथाम के लिए चिकित्सकीय एवं पेरोमेडिकल स्टाफ की उचित व्यवस्था • राहत कार्य के स्थलों पर मेडिकल किट एवं स्टाफ की उपलब्धता सुनिश्चित करना
पशुपालन विभाग	• मवेशियों के लिए शिविर लगाना • संक्रामक रोगों की रोकथाम के लिए पशुओं की उचित चिकित्सकीय देखभाल करना • बड़ी संख्या में पशुओं की मृत्यु रोकने के लिए पशु चिकित्सक कर्मी, दवाईयां एवं समय पर उनका संचालन करना • पशुओं के लिए चारा उपलब्ध करवाना • पशुओं को उचित स्थान पर स्थानान्तरित करना
जनस्वास्थ्य अभियान्त्रिकी	• प्रभावित क्षेत्रों में पर्याप्त मात्रा में जल की आपूर्ति एवं उसका परिवहन सुनिश्चित करना • ग्रीष्म ऋतु आपात योजनाओं का प्रभावी एवं समय पर क्रियान्वयन
खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति	• समाज के कमजोर तबके के समूह के बचाव हेतु अन्त्योदय अन्न, अन्नपूर्णा अन्न योजना, गरीबी की रेखा से नीचे वाले तबके सार्वजनिक वितरण व्यवस्था का प्रभावी क्रियान्वयन
स्वयं सेवी संगठन	• राहत कार्यों एवं पेयजल आपूर्ति में स्वयं सेवी संगठनों की भागीदारी • इस विपत्ति हेतु जिला प्रशासन को वित्तीय सहायता उपलब्ध करवाना
समेकित बाल विकास सेवाएं	• बच्चों एवं गर्भवती माताओं हेतु समेकित बाल विकास सेवाओं का प्रभावी क्रियान्वयन • राहत कार्य स्थलों पर पूरक पोषाहार उपलब्ध करवाना

जन साधारण हेतु आवश्यक निर्देश	• सुकाल के समय चारे एवं अनाज का परम्परागत तरीकों से भण्डारण रखना। • अकाल/सूखा से बचने हेतु परम्परागत उपायों के अनुसार तैयारी रखना। • राहत कार्यों के अन्तर्गत जल संरक्षण/एकत्रीकरण के कार्यों का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित करना • सूखा से बचने के लिए क्या करें क्या ना करें की जानकारी रखना। • लगातार समाचार पत्रों, रेडियो, टेलीविजन पर प्रसारित होने वाली चेतावनियों को सुने व उनके द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुसार कार्य करे। • पानी की बचत करें तथा इसे बर्बाद होने से रोकें। जब भी नल से पानी व्यर्थ बहता देखें, तुरन्त नल को बन्द करें। • गिलास में एक बार में उतना ही पानी लें जितनी आपको प्यास हो। पूरा गिलास लेकर पानी भरकर व झूठा पानी छोड़ने से पानी बर्बाद होता है। अगर कोई मेहमान भी गिलास में पानी छोड़ जाय तो उसे पेड़ या पौधे में डाले। • पाईप लाईन अथवा टंकी से पानी लीक होते ही उसे ठीक करवाये। ताकि बूंद–बूंद करके पानी बेकार न बहता रहे। • कहीं भी पाईप लाईन टूटी हो और पानी सड़क अथवा अन्य किसी स्थान पर व्यर्थ बह रहा हो तो जलदाय विभाग को सूचित करें तथा लिकेज को रोकने के प्रयास करें। • घरों में वे ही पौधे लगाये, जिन्हें कम पानी की जरूरत हो। घास में दो दिन में एक बार पानी दे। फल सब्जी व कपड़े धोकर पानी नाली की जगह घास अथवा पौधों में डाले। • जलसंग्रहण हेतु बनाए गए कुंओं, तालाब आदि की सफाई रखे। • सोने से पहले घर के सारे नलों को अच्छी तरह से बन्द करें। • ब्रश अथवा मंजन करते समय नल खुला न छोड़े बल्कि एक मग अथवा गिलास में पानी भरकर दांत साफ करें। • नहाते समय बाल्टी व मग का प्रयोग करके नहाएं क्योंकि फंव्वारे व टब बाथ से पानी अधिक बर्बाद होता है। • हाथ साफ करने के लिए पहले साबुन लगाये व बाद में नल खोलकर हाथ धोएं। • अपनी गाड़ी को साफ करने के लिए पानी के पाईप का प्रयोग न कर गीले अथवा सादे कपड़े का प्रयोग करें। • कम से कम बर्तनों का प्रयोग कर हम बर्तनों को धोने के उपयोग में आने वाले पानी को बचा सकते हैं। • जल संरक्षण के लिए किये जा रहे प्रयासों में अपना सहयोग सुनिश्चित करें।

5.2 बाढ़

बाढ़ प्राकृतिक जल चक्र का एक अंग है, जिसका प्रत्यक्ष सम्बन्ध वर्षा से हैं एवं यह जल प्रबन्धन को प्रभावित करती है। यदि किसी क्षेत्र में वर्षा अधिक मात्रा में होती है तो नदियां असंतुलित होकर उफान अवस्था में आ जाती है और बाढ़ की उत्पत्ति होती है। इस विकट पर्यावरणीय परिस्थिति का प्रभाव उक्त क्षेत्र की पारिस्थितिकी पर पड़ता है। बाढ़ का सामान्य अर्थ होता है कि विस्तृत स्थलीय भाग का लगातार कई दिनों तक जलमग्न रहना। यद्यपि बाढ़ के लिए प्रकृति ही उत्तरदायी है लेकिन मानवीय क्रियाकलाप भी कम उत्तरदायी नहीं है। हालांकि राजस्थान राष्ट्रीय स्तर पर बाढ की संभावनाओं वाले क्षेत्र की श्रेणी में नहीं आता है, किन्तु यह भी एक वास्तविकता है कि राजस्थान के कुछ क्षेत्र बाढ से प्रभावित होते रहते है और फलौदी जिले में भी बाढ जैसी आपदा की संभावना रहती है। भारत भी बाढ़ से प्रभावित होने वाले देशों में से एक है। विश्व में बाढ़ से होने वाली 20 प्रतिशत मौते भारत में होती है। भारत के कुल क्षेत्रफल का 8 वां भाग बाढ़ से प्रभावित होता है, जो कि लगभग 4.10 करोड़ हैक्टटेयर है।

बाढ़ के प्रकार : बाढ़ मुख्यतः तीन प्रकार की होती है–

1. **आकस्मिक स्थानीय बाढ़** – अपेक्षाकृत अधिक बहाव के कारण अल्पकाल (कम समय) में यह बाढ़ आती है। एक छोटे क्षेत्र में केन्द्रित बारिश के कारण, नदी का बहाव कई गुना अधिक बढ़ जाता है और इससे विनाशकारी प्रभाव होने लगता है। सूखी और आंशिक रूप से सूखी बंजर भूमि पर इस तरह की बाढ़ का आना आम बात है।

2. **नदी की बाढ़** – भारी बारिश के कारण नदी के अपने औसत स्तर से अधिक ऊपर तेजी से बहने के कारण यह बाढ़ आती है।

3. **तटीय बाढ़** – तटीय बाढ़, तूफान के कारण उत्पन्न उत्पातों अथवा ज्वार के साथ समुद्र की लहरों के अचानक उठने से आती है। इसके कारण समुद्रीय बांध टूट जाते हैं और नदी के जल को समुद्र के पानी से मिलने से राके देते हैं व परिणाम स्वरूप बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हो जाती है।

बाढ़ के मुख्य कारण

- अत्यधिक वर्षा
- बांध/तालाब/एनिकट का टूटना
- पेड़ों की संख्या में कमी
- वृहत अपवाह क्षेत्र
- उष्ण कटिबंधीय व विक्षोभ
- अपवाह में अवसादीकरण
- बादल का फटना
- भूकम्प
- चक्रवात
- सूनामी

बाढ़ बचाव उपयोगी सामग्री

1) रस्सियां	2) लाईफबॉय, लाईफ जैकेट, लाईफबैल्ट
3) वाटर प्रुफ ट्यूब	4) 20 ली. के वाटरप्रुफ खाली जरीकन
5) 200–200 लीटर के वाटरप्रुफ खाली बैरल	6) सूती पेन्ट
7) बांस	8) बांस की सीढ़ी
9) खाली बोतल	10) सूखा नारियल

जिले में बाढ़ का इतिहास तथा सम्भावना

फलौदी जिले में मुख्यतः अत्यधिक वर्षा होने तथा लगातार बारिश हो जाने, छोटे–छोटे एनिकट के टूटने, बडी बांध को नुकसान पहुंचने, पानी के रास्तों में अतिक्रमण कर देने, नालो व नहरों के रास्ते परिवर्तन कर देने और बडे बांधों के नुकसान के कारण एवं अरबसागरीय मानूसन से आये चक्रवाती तूफान एवं बदलते मौसम के कारण फलौदी जिले में बाढ़ की आशंका

हो सकती है। वर्तमान में पिछले वित्तिय वर्ष ओलावृष्टि एवं अतिवृष्टि से फलौदी जिले की प्रमुख फसले जीरा, ईसबगोल में भयंकर हानि हुई। जिससे जिले के किसानों को बहुत बडा नुकसान झेलना पडा।

जब कभी इस जिले में भारी वर्षा या बादल फटते हैं तो बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। बाढ के समय निचले क्षेत्रों में पानी भर जाता है और इससे आमजन प्रभावित होता है।

अधिक वर्षा के कारण नीचे स्तर के प्रभावित क्षैत्र (Low Laying Area) की तहसीलवार निम्नानुसार सूची है :–

क.सं.	तहसील	क्षैत्र का विवरण
1	फलौदी	खिचन, लोहावट, मनचितियां, सनवाडा।

बाढ़ कार्य योजना

फलौदी जिले में बाढ़ जैसी आपदा को प्रबन्धन एवं नियन्त्रण हेतु बाढ़ पूर्व तैयारी, बाढ के दौरान कार्यवाही, बाढ के बाद की कार्यवाही प्रभावी तरीके से की जाकर जिले में इस आपदा का प्रबन्धन किया जायेगा।

बाढ पूर्व तैयारी

फलौदी जिले में ग्राम / वार्ड / प.स. / तहसील / ब्लॉक / उपखण्ड / नगरपालिका / नगरपरिषद एवं जिले स्तर पर निम्नलिखित अनुसार बाढ से पूर्व तैयारी की जायेगी जिससे बाढ जैसी आपदा आने पर कम से कम नुकसान हो।

- सभी पटवार, तहसील, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, नगर पालिका, नगरपरिषद, जिला परिषद, नगर निगम एवं सम्बन्धित विभाग के स्तर पर सम्पूर्ण जिले में प्रमुख नदियों, एनिकटो, तालाबों, बांधों, अत्यधिक वर्षा होने पर भराव क्षमता एवं बाढ प्रभावित क्षेत्रों को चिन्हिकरण कर प्रभावित होने वाली जनसंख्या का घनत्व एवं उनके पास में ही अस्थाई तौर पर स्थित प्रभावित लोगों हेतु सुरक्षित ऊंचे स्थानों एवं वैकल्पिक मार्गों एवं यातायात व्यवस्था आदि को चिन्हिकरण करके बाढ बचाव योजना तैयार की जायेगी।
- जलाशयों की खुदाई तथा तथा प्राकृतिक अपवाह पर हुए अतिक्रमण को मानसून के आने से पहले हटाना।
- प्राकृतिक अपवाह में आने वाले रेल पटरियों के नीचे पुलों, सड़क पुलों के नीचे से मिट्टी निकालना।
- बाढ़ सम्भावित क्षेत्रों में से पानी निकालने हेतु निकास व्यवस्था को बनाना।
- बाढ़ का पुर्वानुमान तथा चेतावनी देना।
- बाढ़ से सुरक्षित घरों का निर्माण।
- संवेदनशील क्षेत्रों में साईन बोर्ड प्रदर्शित करना।
- बाढ़ से बचने के लिए जन चेतना शिविरों का आयोजन तथा बाढ़ के प्रभावों से बचने के लिए क्या करें क्या न करें को विभिन्न सूचना माध्यमों जैसे– रेडियो, अखबार, दूरदर्शन तथा बुकलेट के माध्यम से लोगों तक पहुंचाना।
- बाढ द्वारा प्रभावित क्षेत्रों की शिनाख्त करना तथा उनके विस्तृत मानचित्र बनाना।
- विगत वर्षों में आई भीषण बाढ का विवरण तैयार किया जाना। जिसमें बाढ प्रबन्धन एवं पुनः सामान्य स्थिति बाहाल की गई कार्यवाही का उल्लेख हो।
- जिन स्थानों पर उचित रूप से पानी का बहाव न होता हो व पानी रूके रहने के कारण बाढ की स्थिति उत्पन्न होती है ऐसे स्थानों को चिन्हित कर उन स्थानों से पानी निकालने सम्बंधित योजना बनाई जाना।
- जिला मुख्यालय पर कलेक्टर की अध्यक्षता में राहत कमेटी बनाना जिसमें विभिन्न विभागों के अध्यक्षों एवं स्वयंसेवी संस्थाओं की सहभागिता हो।
- जनस्वास्थ्य अभियान्त्रिकी विभाग के सभी कर्मचारियों को मुख्यालय पर रहने तथा जन–जन को शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने की व्यवस्था करना।

- चिकित्सा विभाग को बाढ से उत्पन्न बीमारियों से निबटने हेतु दवाईयों व रेस्पोन्स टीम के साथ तैयार करना।
- रसद विभाग द्वारा खाद्य सामग्री तथा पेट्रोल, डीजल व केरोसीन की उपलब्धता निश्चित करना।
- सभी रेल की पटरियां, नदियां और नहरों का सम्बन्धित अधिकारियों द्वारा मानसून पूर्व निरीक्षण किया जाना।
- आपदा काल हेतु कंकड, पत्थर और खाली थैलों को तैयार करना।
- दुर्घटना सम्भावित क्षेत्र की निगरानी निरन्तर रखना।
- उचित नियन्त्रण कक्ष की स्थापना करना जो कि 24 घन्टे कार्यरत रहेगा।
- संचार हेतु मोबाइल वायरलैस व पेजर आदि की व्यवस्था करना।
- अच्छी हालत में मैनुअल नावें और उपकरण सहित मोटर बोट्स व पर्याप्त मात्रा में जीवन रक्षक जैकटों की व्यवस्था करना।
- राजपथ/रेल अधिकारियों को सतर्क रहने को कहना।
- विभिन्न स्तर के अधिकारियों व कर्मचारियों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन कर उन्हें तैराकी, प्राथमिक चिकित्सा, नाव चलाने आदि सभी जिम्मेदारियों के लिए प्रशिक्षित किया जाना।
- नियमित अन्तराल में बाढ चेतावनी देने हेतु दूरदर्शन और प्रेस मीडिया से उचित संपर्क स्थापित करना।
- अपने क्षेत्र में जन संबोधन प्रणाली स्थापित करना और स्वैच्छिक संगठनों को सतर्क रहने को कहना।
- बाढ से प्रभावित होने वाले चार–पांच गांवों की एक बचाव व राहत टीम का निर्माण करना जो आपदा के समय मनुश्यों व जानवरों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाने व उन्हें राहत सामग्री उपलब्ध करानें में मदद कर सके।
- मानसून पूर्व निरीक्षण में निम्न स्थान सम्मिलित होंगे– पुल और पुलिया के नीचे बहने वाली नदियों और नहरों से गाद निकालना, नदी और नहर बांधों की मरम्मत करना, रेल की पटरियां, पुलिया और पुल की मरम्मत, बांधो के दरवाजो की ग्रीसिंग आदि करना।
- क्रीक में गाद के कारण नदी बहाव के अवरोधों को दूर करना।

बाढ़ आने के ठीक पहले क्या करे ?

- ताजा संकट कालीन सूचनाओं के लिए लाउडस्पीकर, रेडियों अथवा टेलीविजन को निरन्तर ध्यानपूर्वक सुने।
- अपनी कीमती चीजों (Valuable) एवं महत्वपूर्ण कागजातों (Important Paper) को ऐसे सुरक्षित स्थान पर रखें, ताकि शीघ्र साथ ले जाया जाकर ऊंचे व सुरक्षित स्थान पर जा सके, ताकि बाढ़ के दौरान उन्हें नुकसान न हो अथवा कम से कम हो।
- प्राथमिक चिकित्सा सामग्री तथा अन्य आवश्यक सामान सुरक्षित स्थान पर रखना सुनिश्चित कर लें।
- ऊंचे तथा सुरक्षित स्थान पर पर्याप्त खाद्य सामग्री तथा पेयजल जमा कर लें।
- अगर आप बाढ़ की चपेट वाले क्षेत्र में रहते हैं तो तुरन्त परिवार सहित सुरक्षित स्थान पर चले जाये।
- नालियों को साफ रखें।
- प्रशासन व अन्य पुख्ता चेतावनी की पालना अवश्य करें।

बाढ़ के समय क्या करे ?

- जहां तक सम्भव हो, विद्युत उपकरणों और स्विच को बन्द रखें।
- ऊंचे स्थान पर चले जायें, घर के भीतर है तो ऊपरी मंजिल पर चले जायें।
- सांप तथा अन्य विषैले जीवों पर नजर रखें।
- बाढ के पानी को नहीं पीये। बरसात के पानी को स्वच्छ बर्तन में इकठ्ठा करके ही पीने के प्रयोग में लें।
- बहते झरने से बचें तथा तेज बहते पानी में चलने, तैरने अथवा खेलने का प्रयास कभी ना करें।

बाढ़ के तुरन्त बाद क्या करे ?

- बाढ़ के पानी से घिरी इमारतों से दूर रहें।

- नदी तट से दूर रहें।
- खाने के सामान को ढ़क कर रखें तथा उबले हुए पानी को ही पीयें।
- सोते समय मच्छरदानी का प्रयोग करें व जहरीले जन्तुओं पर नजर रखें।
- आवश्यकता होने पर आवश्यक चिकित्सा सामग्री का प्रबन्ध करें।
- राहत कार्यों में प्रशासन व सामाजिक कार्यकर्ताओं की मदद करें।

जिला प्रशासन– सामान्य एवं अन्य व्यवस्था

- सभी सम्बन्धित विभागों से बाढ नियन्त्रण हेतु कन्टीजेन्सी प्लान तैयार कराना।
- बचाव एवं राहत टीमें तैयार रखना।
- जिला मुख्यालय एवं आवश्यक विभागों में 24 घण्टे संचालित कन्ट्रोल रूम स्थापित कराना।
- सम्बन्धित विभागों के अधिकारियो/कर्मचारियों की जिम्मेदारियां तय करना।
- बाढ बचाव सम्बन्धी सम्पूर्ण तैयारी जांचना।
- सुरक्षित स्थानों का चयन।
- सहायता राशि तथा रोजगार उपलब्ध कराने का प्रबन्धन।
- वाहनों की उपलब्धता निश्चित करना।
- सिविल डिफेन्स, होमगार्ड, पुलिस, आरएसी, एसडीआरफ आदि बाढ़ बचाव टीमों को पूरी तरह सतर्क रहने के निर्देश जारी करना।
- सिंचाई विभाग बांधों के पानी से उत्पन्न बाढ़ की स्थिति के अतिरिक्त अतिवृष्टि के कारण जल पलवन की स्थिति में नोडल एजेन्सी के रूप में राज्य सरकार के आदेशानुसार कार्य करेगा।

जल संसाधन विभाग

जिले में बाढ जल निकासी बांध का फटना, बादल फटना आदि आपदाओं के प्रबन्धन के लिये नोडल विभाग होगा।

जल संसाधन खण्ड जोधपुर के क्षेत्राधिकार में इस खण्ड के अन्तर्गत जोधपुर जिले में 3 उपखण्ड कार्यालय क्रमशः जल संसाधन उपखण्ड, जोधपुर (प.स. देचू, बाप, तिंवरी, औसियां, फलोदी, बापिणी, लोहावट), जल संसाधन उपखण्ड–द्वितीय, जोधपुर(प.स. मण्डोर, लूणी, शरेगढ, शेखाला, बालेसर), जल संसाधन उपखण्ड, बिलाडा (प.स. भोपालगढ, पीपाड सिटी, बिलाडा) फ्लड मेमोरेन्डम के अनुसार जोधपुर जिले के लिए बाढ/आपदा प्रबन्धन के लिए अधिशाषी अभियन्ता जल संसाधन खण्ड, जोधपुर को नोडल एजेन्सी घोषित किया है।

जिला फलौदी में कुल 43 सिंचाई के निर्मित बांध/एनिकट/खडीन है। राज्य सरकार के आदेशानुसार इनका हस्तांतरण पंचायत समिति को किया जा चुका है। इनकी देखभाल व मरम्मत का कार्य सम्बन्धित विकास अधिकारी द्वारा किया जाएगा व अपने सम्बन्धित पंचायत समिति के अधीन बांधो व तालाबों की देखरेख, मरम्मत एवं सुरक्षा प्रमाण पत्र मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला कलक्टर व जल संसाधन विभाग को भिजवाया जाना सुनिश्चित करेंगे।

जिला फलौदी कार्यालय अधि ाशी अभियन्ता, जल संसाधन खण्ड, जोधपुर के कार्यक्षेत्र में आता है जिसके अधीन निम्नुनसार उपखण्ड कार्यालय कार्यरत है।`

क्र.सं.	उपखण्डों का नाम	पंचायत समिति
1	सहायक अभियन्ता, जल संसाधन उपखण्ड जोधपुर	मण्डोर, कैरू, लूणी, धवा, औसियां, तिंवरी, भोरगढ़, बालेसर, चामू, सेखाला, लोहावट।
2	सहायक अभियन्ता, जल संसाधन उपखण्ड, बिलाड़ा	बिलाड़ा, भोपालगढ़, पींपाड़ भाहर, बावड़ी, बापिणी तथा आऊ।
3	सहायक अभियन्ता, जल संसाधन उपखण्ड, पोकरण	फलौदी, बाप, घंटियाली, देचू।

अत्यधिक वर्षा होने पर बांधों व नहरों द्वारा प्रभावित बाढ की स्थिति में दैनिक जल का प्रवाह, टैंक गेजेज एवं वर्षा के आंकडों का संकलन के लिए रिजनल बाढ नियत्रंण कक्ष (Regional Flood control cell) की स्थापना सिंचाई परिसर, लाल सागर जोधपुर में की गई हैं। अधीक्षण अभियंता जल संसाधन वृत, जोधपुर की निगरानी में अधिशाषी अभियंता एवं प्रावैधिक सहायक के चार्ज में इस रीजनल बाढ नियंत्रण कक्ष का प्रभारी नियुक्त किया जाता है, जो कि प्रतिवर्ष 15 जून से 30 सितम्बर तक चौबीस घंटों कार्यरत रहता है। जिसका टेलीफोन नम्बर 0291–2570153 है।

वायर लैस स्टेशनों से बांधों/नदियों के गेजेज तथा वर्षा मापक यत्रों से प्राप्त वर्षा के आंकडों का संप्रेषण स्थापित वायरलैस स्टेशनों से किया जाता है।

बाढ पूर्वानुमान प्रबंधन :

दैनिक मौसम पूर्वानुमान की सूचना मैट्रोलोजिकल डिपार्टमेन्ट, जयपुर से रिजनल बाढ नियत्रंण कक्ष में प्राप्त की जाकर सम्बन्धित फील्ड ऑफिसर को संप्रेषण की जाती है तथा स्थानीय समाचार पत्रो को नियमित रूप से अवगत करवाया जाता है।

नोटः– जिला फलौदी में कोई भी विभागीय रेनगेज स्टेशन स्थापित नहीं है एवम् जल संसाधन विभाग द्वारा राजस्व विभाग के अधीन तहसील कार्यालय में स्थापित रेनगेज द्वारा प्राप्त दैनिक वर्शा उच्चाधिकारियों को भिजवायी जाती है।

जिला रसद विभाग

जिले में बाढ के मध्यनजर खाद्य पदार्थ (गेहूं, चावल, दाल, फूड पैकेट्स, चप्पल, ब्रेड–दूध, कपडे, केरोसीन, डीजल, पेट्रोल, त्रिपाल, टेन्ट, गैस सिलेण्डर आदि) का अतिरिक्त एवं आरक्षित भण्डारण रखने की व्यवस्था करना एवं जरूरत पडने पर प्रशासन की मांग के अनुसार उन्हें उपलब्ध कराने, अस्थाई कैम्पो की व्यवस्था करना। रसद सामग्री संबंधी संपूर्ण जिम्मेवारी विभाग की होगी।

चिकित्सा विभाग

बाढ़ की स्थिति में कई प्रकार की बीमारिया फैल जाती है, इसलिये मौसमी बीमारियों के रोकथाम हेतु चिकित्सा विभाग की जिम्मेदारी है कि दवाईयों का प्रचूर मात्रा में भण्डारण रखेंगे। सभी चिकित्सालयों में आवश्यकता अनुसार दवाईयों को रिजर्व रख दी जावें।

उपलब्ध संसाधन

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, स्वास्थ्य सेवा संबंधी अधिकारी नोडल अधिकारी होगा। बाढ़ की स्थिति उत्पन्न होने पर चिकित्सा संसाधन/सुविधाओं का प्रयोग किया जा सकता है।

जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी विभाग

स्वच्छ एवं सुरक्षित जल उपलब्ध/सप्लाई करने के लिये जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के कार्यालय अद्यीक्षक प्रभारी अधिकारी होंगे। नियन्त्रण कक्ष – जिले में बाढ़ की स्थिति से निपटने हेतु नियन्त्रण कक्षों की स्थापना की गई है, जो 24 घण्टे कार्यरत रहेंगे। संकटकाल में विभाग द्वारा पानी की सप्लाई पुनः शुरू की जाने की व्यवस्था की जायेगी। पेयजल के शुद्धिकरण हेतु पर्याप्त मात्रा में ब्लीचिंग पाउडर उपलब्ध करवाना। समस्त अधिशाषी अभियन्ताओं, सहायक अभियन्ताओं, कनिष्ठ अभियन्ताओं एवं तकनीकी कर्मचारियों को इस दौरान मुख्यालय पर ही उपस्थित रहने के निर्देश दिये जायेंगे।

नागरिक सुरक्षा विभाग

आपदा एवं सहायता विभाग से निरन्तर सम्पर्क रहते हुए जिले में बाढ प्रबन्धन व्यवस्था सुनिश्चित करायेंगे। जिला स्तरीय नियंत्रण कक्षा स्थापित कर संचालन करना एवं आवश्यकतानुसार नागरिक सुरक्षा स्वयंसेवको की राहत बचाव एवं संचार टीमे उपलब्ध करवाना।

प्रादेशिक परिवहन अधिकारी/आगार प्रबन्धक, राज. राज्य पथ परिवहन निगम

- आपदा स्थल पर आवश्यकतानुसार वाहन उपलबध करवाना।
- लोगों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाने, खाद्य, पानी, कपडे एवं आवश्यक जरूरत की चीजों को जिला रसद अधिकारी की मांग के अनुसार बेलगाडी/ऊंटगाडी/पानी के टेंकर/ट्रेक्टर/ट्रक/बसें उपलब्ध करवाना।
- जरूरत पड़ने पर जिले में किसी क्षेत्र विशेष को खाली कराने, लोगों को सुरक्षित जगह पर लाने व ले जाने एवं बचाव, राहत पार्टियों/टीमों को लाने–ले जाने हेतु व जिले में अन्य विभागों की मांग के अनुसार नियन्त्रक/कलक्टर के निर्देशानुसार वाहन उपलब्ध करवाना।
- बाढ के दौरान नदियों नालों में पानी के अतिरिक्त बहाव होने की स्थिति में पानी के बहाव क्षेत्र में वाहनों को प्रवेश नहीं करने के लिए चालकों एवं परिचालकों को अपने स्तर पर जागरूक एवं पाबन्द करना।

मुख्य कार्यकारी अधिकारी, समस्त उपखण्ड अधिकारी, तहसीलदार एवं विकास अधिकारी, जिला शिक्षा अधिकारी (प्रा./मा.)

- स्थानीय जन में से गौताखोरों, तैराकों व अन्य तकनीकी जानकार एवं प्रशिक्षित सदस्यों के सम्पर्क सूत्र मय सूची अपने पास रखना।
- सभी तहसील मुख्यालय पर दिनांक 15 जून से राउण्ड द क्लॉक बाढ नियन्त्रण कक्ष स्थापित कर दैनिक वर्षा की सूचना नियन्त्रण कक्ष को भिजवाना।
- सम्बन्धित उपखण्ड अधिकारी अपने क्षेत्र में ऐसे सभी तालाबों, बांधों आदि की निगरानी, निरीक्षण का दायित्व ग्राम/ग्राम पंचायत/ब्लॉक स्तरीय अधिकारियों या पंचायत समिति कार्यालय के कर्मचारियों को व्यक्तिशः सौंपना।
- प्रत्येक ग्राम/ग्राम पंचायत/ब्लॉक स्तर पर खाली कट्टे, तगारी, गैंती, फावडे, रस्से, गोताखोर, श्रमिक आदि की उपलब्धता पूर्व में ही सुनिश्चित कर लेना।
- तहसीलदार अपने अधीनस्थ कार्यरत पटवारी/गिरदावर आदि को मुख्यालय पर बने रहने के लिए पाबन्द करें तथा बाढ/अतिवृष्टि से सम्बंधित सूचना समय पर भेजने हेतु तैयार रहने हेतु निर्देशित करना।
- उपखण्ड व तहसील स्तर पर बाढ बचाव बाबत बैठकों की व्यवस्था करना।
- अपने क्षेत्रों में घटनास्थल/मौके पर पहुंचकर बचाव एवं राहत कार्य शुरू कराना।
- बाढ एवं अतिवृष्टि के दौरान उपखण्ड अधिकारी अपने क्षेत्र के प्रभारी अधिकारी रहेंगें तथा विकास अधिकारी व तहसीलदार सहायक प्रभारी अधिकारी होने से अपने क्षेत्र की राहत सम्बंधी समस्त गतिविधियों को संभालेंगे।
- बेघर व असहाय हुये लोगों के लिये सहायता एवं राहत की व्यवस्था करवाना।
- बाढ, अतिवृष्टि एवं अन्य आपदा से प्रभावित लोगों को सीआरएफ नियमों के अन्तर्गत राहत देने सम्बन्धी प्रस्ताव जिला मुख्यालय के निर्देशानुसार तहसीलदार के मार्फत तैयार करवाकर उपखण्ड अधिकारी अपनी स्पष्ट अनुशंसा सहित तत्काल जिला कार्यालय भेजना।

पुलिस विभाग

जिले में बाढ जैसी स्थिति में आमजन तक चेतावनी पहुँचाना, यातायात व्यवस्था, कानून व्यवस्था और राहत टीमें स्थापित कर बाढ नियंत्रण में जिला प्रशासन की मदद करेंगे।

एसडीआरएफ/आरएसी

स्थानीय स्तर एवं स्थानीय टीमों के कंट्रोल में बाढ की स्थिति नियंत्रण में नहीं आने पर जिला प्रशासन आर.ए.सी. फलौदी में गठित एसडीआरएफ की टीम का जिला कलक्टर के निर्देशानुसार सहयोग लिया जायेगा। इस हेतु मानसून के दौरान टीमो को पहले से ही सम्पर्क कर तैयार रहने हेतु निर्देश दे दिये जायेगा।

गृह रक्षा विभाग (होमगार्ड)

जिला कलक्टर निर्देशानुसार बाढ नियंत्रण केन्द्र एवं बाढ प्रभावित क्षेत्र जिला प्रशासन की मांग अनुसार रेस्क्यू गोताखोर तैराक आदि टीमों को जिला प्रशासन एवं पुलिस के सहयाग हेतु तैनात करेंगे।

बाढ के समय किये जाने वाली कार्यवाही

आपदा की सूचना प्राप्त होते ही रेस्पोन्स टीम तुरन्त प्रभावित स्थल पर पहुंचकर प्राथमिक उपचार कराना, गम्भीर रोगियों को प्राथमिक उपचार पश्चात् जिला अस्पताल में रैफर करना एवं आवश्यकता होने पर (महामारी के समय) रोकथाम की कार्यवाही करना आदि।

कन्ट्रोल रूम व्यवस्था

आपातकालीन सेवाओं के लिए मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिले तथा ब्लॉक स्तर पर भी एक–एक रेपिड रेस्पोन्स टीम का गठन करेंगे।

1.	चिकित्सा अधिकारी	01
2.	स्वास्थ्य निरीक्षक	01
3.	मेल नर्स	01
4.	एमपीडब्ल्यू	01
5.	वार्ड बाय	01
6.	वाहन चालक मय वाहन	01

नियंत्रण कक्ष

- नियंत्रण कक्ष (ई.ओ.सी.) नागरिक सुरक्षा कार्यालय के पास जिला कलेक्ट्रेट में 24 घण्टे राउण्ड द क्लॉक स्थापित किया गया है। आपदा एवं सहायता हेतु नोडल अधिकारी अति. जिला कलक्टर फलौदी एवं सहायक प्रभारी अधिकारी उपखण्ड अधिकारी, फलौदी होंगे।
- नियंत्रण कक्ष के प्रत्येक पारी में एक पारी प्रभारी एवं अन्य कर्मचारी एक रिजर्व कर्मचारी कुल 12 व्यक्तियों की तीन पारी में नियुक्ति की गई है ।(3 व्यक्ति हर पारी में)
- नियंत्रण कक्ष में आपदा प्रबन्धन नियंत्रण कक्ष व सभी विभागों के विभागाध्यक्षों के नाम, पता व फोन नम्बर होंगे।
- नियंत्रण कक्ष के फोन नम्बर सुविधा की आसाानी के लिये हेल्प लाईन नम्बर 02925–299200 रहेगे।
- नियंत्रण कक्ष में नागरिक सुरक्षा के 21 स्वयंसेवको की एक रेस्क्यू टीम 24 घण्टे मय रेस्क्यू सामग्री के राउण्ड द क्लॉक 24 घण्टे ड्यूटी करने व घटना घटित होने पर घटनास्थल पर पहुँच आमजन को राहत पहुचॉने के लिये नागरिक सुरक्षा नियंत्रण कक्ष के में तैनात किया गया है।

जिला नियंत्रण कक्ष के कार्य

- सभी विभागो के नियंत्रणा कक्ष अधिकारियों के कार्यालय/निवास के बेसिक/मोबाईल व अन्य सम्पर्क सूत्र.नम्बर एवं नाम पते अपडेट के साथ तैयार रखेंगे।
- जिले में घटना एवं दुर्घटना के समय संबंधित विभाग को समय पर सूचित करना एवं इसकी सूचना उच्चाधिकारियों को देना।
- नियन्त्रण कक्ष में पंजिका का संधारण किया जायेगा जिसमें शिकायत सूचनाएं घटनाएं/दुर्घटनाऐं आदि का सूचनाओं का अंकन किया जायेगा एवं उस पर की गई कार्यवाही का अंकन किया जायेगा।
- स्थानीय मौसम विभाग प्रतिदिन तापमान विण्ड वेलोसिटी एवं सापेक्ष आद्रर्ता की सूचना और सम्बनधित तहसील उपखण्ड से वर्षा की सूचना प्राप्त कर प्रातः 08.00 बजे उच्चाधिकारियों से अनुमोदन के बाद राज्य स्तर के नियंत्रण कक्ष को भेजी जायेगी।

बाढ कन्ट्रोल रूम स्थापित कर सम्पर्क सूत्र नेटवर्क तैयार करना

जिले में भी बाढ़ से निपटने हेतु 15 जून से 30 सितम्बर तक बाढ़ नियन्त्रण कक्ष (DEOC) की स्थापना नागरिक सुरक्षा कार्यालय के पास छव्ब कक्ष में की गई है, जो जिले में सिंचाई विभाग–तहसील नियन्त्रण कक्ष **से दैनिक वर्षा, अतिवृष्टि,** बाढ़

की स्थिति की सूचना प्राप्त कर प्रतिदिन 10 बजे STATE EOC को प्रेषित करेंगे। समय–समय पर उच्चाधिकारियो एवं निम्नलिखित नियन्त्रण कक्ष को सूचना उपलब्ध करायेंगे।

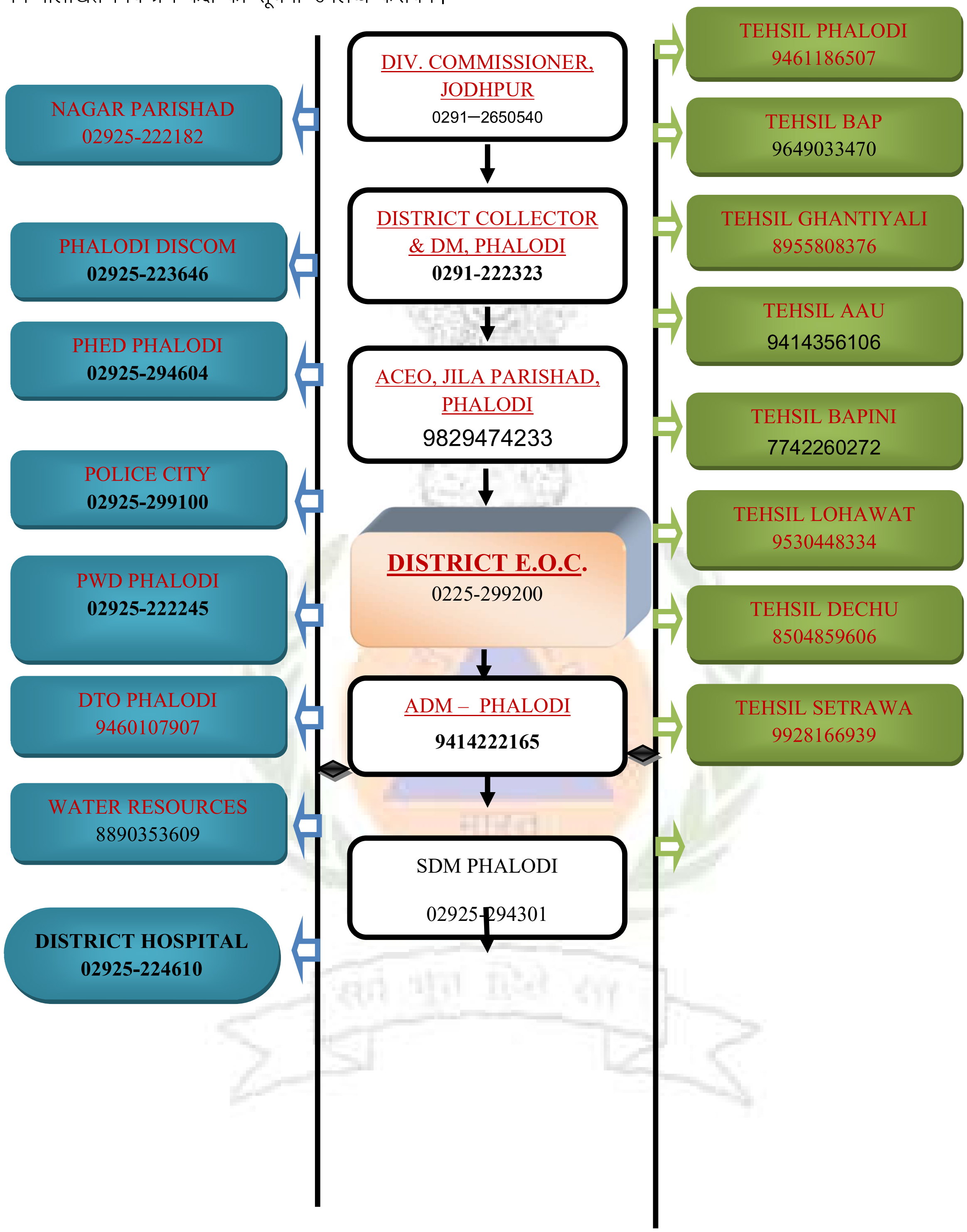

5.3 दुर्घटना

विज्ञान व तकनीकी विकास ने जहां मानव जीवन को सुखदायी बनाया है वहीं पृथ्वी को वर्तमान में एक गांव की संज्ञा दी जा रही है। दूरियों को घण्टों में गिना जाने लगा है। यातायात के नियमों का सही ढंग से पालन न करने, असावधानियों के कारण व तकनीकी खराबी के कारण दुर्घटनाओं की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है।

भारत में दुर्घटनाओं के कारण जितने लोग मरते हैं, उनमें लगभग 37 प्रतिशत केवल सड़क दुर्घटनाओं के फलस्वरूप मरते हैं। स्थिति की भयावहता का अन्दाज इस तथ्य से लगाया जा सकता है कि प्रतिदिन हर घण्टे में 10 व्यक्ति सड़क दुर्घटनाओं से मृत्यु का ग्रास बनते हैं एवं इनसे 4 गुणा अर्थात् 40 व्यक्ति घायल होते हैं जिनमें बहुत से उम्र भर के लिए अपंग हो जाते हैं।

मोटर वाहनों की संख्या के अनुपात के आधार पर भारत में सड़क दुर्घटनाओं की संख्या विकसित देशों की तुलना में बहुत अधिक हैं एवं इससे भी अधिक चिन्ताजनक बात यह है कि दुर्घटनाओं में प्रतिवर्ष लगभग 4 प्रतिशत की वृद्धि हो जाती है। आवश्यकता इस बात की भी है की वृद्धि पर रोग लगाई जाय एवं इसमें मरने वालों के आंकड़ों में कमी भी की जाये।

सड़क दुर्घटनाओं के मुख्य कारण

- गाड़ी चलाने में लापरवाही
- यातायात नियमों का पालन न करना
- खराब सड़कें
- सड़कों पर अत्यधिक वाहन व भीड़
- गाड़ियों का अनुचित रखरखाव

कार्य योजना

दुर्घटना कहीं भी किसी भी रूप में घट सकती है। अगर कोई दुर्घटना हो गई है तो दुर्घटनाग्रस्त आदमी को तत्काल प्राथमिक उपचार की आवश्यकता होती है। इसके लिए जरूरी है कि हम दुर्घटनाग्रस्त आदमी को लाचार न छोड़कर उसकी मदद करें तथा 100, 101, 102 पर तुरन्त सूचना दें। प्राथमिक चिकित्सा प्रदान करने के लिए सिर्फ प्रशासन या डॉक्टर ही जिम्मेदार नहीं है बल्कि दुर्घटना स्थल पर उपलब्ध अन्य लोग भी उसकी मदद कर सकते हैं।

दुर्घटना से पूर्व :

<u>संरचनात्मक उपाय</u> – दुर्घटना सम्भावित क्षेत्रों का चिन्हिकरण करके जरूरत के अनुसार वहां गति अवरोधक, साइन बोर्ड आदि लगाये जा सकते हैं।

<u>गैर–संरचनात्मक उपाय</u> – सड़क दुर्घटना से बचने के लिए

- सड़क नियमों का पालन करें
- तेज रफ्तार से गाड़ी न चलाये
- शराब पीकर गाड़ी न चलाये
- हेलमेट पहने, सीट बेल्टे बांधे
- बांयी तरफ से ओवरटेक न करें
- हाथ देकर एकदम न मुड़े
- दांयी व बांयी और ध्यान से देखकर ही सड़क पार करें
- आगे चलते वाहन से दूरी बनाए रखे
- रात्रि में वाहन की हेडलाईट को डिप करके ही चले
- बच्चों को सड़क पर न खेलने दें
- बच्चों को गाड़ी न चलाने दें

दुर्घटना के दौरान :

जिला प्रशासन का कर्तव्य

- दुर्घटनाग्रस्त लोगों को तुरन्त चिकित्सालय पहुंचाने की व्यवस्था करना।
- राहत शिविरों का प्रबन्धन
- अफवाहों को फैलने से रोकना
- असामाजिक तत्वों पर निगरानी रखना
- पीड़ितों को आर्थिक मदद देना
- जनता तक सही सूचना पहुंचाना
- हानि का आंकलन करना

चिकित्सा विभाग

- डॉक्टरों व पेरा मेडिकल स्टाफ की व्यवस्था करना
- एम्बूलेन्स का प्रबन्ध करना
- प्राथमिक उपचार उपलब्ध करवाना
- दवाईयां व उपचार के साधन उपलब्ध करवाना

पुलिस विभाग

- दुर्घटना स्थल पर भीड़ को संतुलित करना
- सुरक्षा व्यवस्था करना
- कानून एवं व्यवस्था बनाए रखना
- संचार व्यवस्था उपलब्ध कराना

रेलवे विभाग

- जनता तक सही सूचना पहुंचाने के लिए नियन्त्रण कक्ष स्थापित करना
- चिकित्सा व्यवस्था करना
- एक्सीडेन्ट वैन की व्यवस्था करना
- बचाव दल का प्रबन्धन करना
- पीड़ितों की पहचान करना तथा उन्हें आर्थिक मदद देना

परिवहन विभाग

- घायलों को पहुंचाने हेतु यातायात साधनों का प्रबन्ध करना

सार्वजनिक निर्माण विभाग

- वैकल्पिक रूट की व्यवस्था
- क्षतिग्रस्त वाहनों को उठाने के लिए क्रेन, ट्रेक्टर, डम्पर, एलएनटी आदि की व्यवस्था

नगर निगम/नगरपालिका/पंचायत

- टेण्टों की व्यवस्था

- पानी के टेंकरों की व्यवस्था
- अग्निशमन वाहनों की व्यवस्था
- जनरेटरों की व्यवस्था
- मृतकों के अन्तिम संस्कार हेतु प्रबन्धक
- दुर्घटना स्थल पर साफ सफाई की व्यवस्था करना

रसद विभाग

- खाद्य सामग्री तथा भोजन के पैकेटों की व्यवस्था करना
- केरोसीन, डीजल, पेट्रोल आदि की व्यवस्था करना

स्वयं सेवी संगठन

- राहत व बचाव कार्यों में प्रशासन की मदद करना
- पीड़ित लोगों को उपचार की सेवाओं की व्यवस्था करना

दुर्घटनाओं में जनता का कर्तव्य

दुर्घटना की स्थिति में दुर्घटनास्थल पर उपलब्ध लोगों का कर्तव्य है अपने स्तर पर पीड़ित व्यक्ति की जांच करें तथा उसका शीघ्रातिशीघ्र चिकित्सा सुविधा उपलब्ध करायें। उच्च न्यायालय के अनुसार अस्पताल में उपलब्ध चिकित्सकों का कर्तव्य है कि घायल व्यक्ति का तुरन्त उपचार करें। घायल को अस्पताल पहुंचाने वाले व्यक्ति के बारे में जांच पड़ताल न की जावें।

अगर दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति बेहोश हैं तो

- आवाज देकर, गाल पर थपकी देकर, कान को चुटकी से दबाकर आंख खुलवाने की कोशिश करें।
- आंख न खोलने पर पता लगाये कि छाती अथवा पेट पर सांस चल रही है अथवा नहीं।
- इसके लिए नाक या मुंह के सामने हाथ रखकर या कान को मुंह के पास ले जाकर महसूस करें तथा हाथ या गर्दन की नब्ज देखें।

(ये सभी काम पूरे शरीर पर सरसरी निगाहें दौड़ाते हुए जल्द से जल्द ही कर लें। नही तो घायल पूर्ण बेहोशी (कोमा) में चला जायेगा)

सांस व दिल की धड़कन चलाने के लिए

- सबसे पहले घायल को पीठ के बल सख्त जमीन या तख्ते पर लिटा दें तथा उसके कपड़ों को ढीला कर दें।
- सिर को पीछे की ओर करें जिससे जबान की रूकावट खत्म हो जाये।
- ठोड़ी को आगे ले आए जिससे रूकावट खुल जाए।
- जबड़े के नीचे का हिस्सा ऊपर की ओर उठाकर आगे कर दें।
- इसी के साथ दोनों पैर एक–डेढ़ फीट ऊंचे करें। इससे पैरों का खून मस्तिक में जाएगा तथा उसे ज्यादा ऑक्सीजन मिलेगी।
- यदि सांस की नली में थूक, खून या उल्टी इक्ट्ठी हो तो घायल को एक करवट देकर किसी कपड़े या रूई से निकाल दें।
- यदि इतने पर भी सांस चलना शुरू न हो तो मुंह से मुंह लगाकर 15 से 18 बार सांस लें। यदि पेट में हवा भरती नजर आए तो हाथ से नाभी के ऊपर के हिस्से को दबाकर हवा निकाल दें।
- मुंह से नाक द्वारा अथवा एयरवे या एम्बू रीससिटेटर से भी सांस दी जा सकती है।
- यदि दिल की धड़कन रूक जाये तो बंद मुट्टी के निचले हिस्से से छाती के बीच में एक मुक्का मारे अथवा चार–पांच सेटीमीटर का दबाव डालते हुए एक मिनिट में 60–80 बार दबाव डाले।

यदि एक्सीडेन्ट में घाव हो गये हैं और खून बह रहा हो तो

- रोगी को बिठा या लिटा दें ताकि खून कम बहे।
- घाव पर साफ कपड़े की पट्‌टी लगाकर हथेली से दबाव डाले तथा दबाव बनाये रखे।
- घायल भाग को स्थिर रखें।
- बहते खून को रोकने के लिए हाथ तथा पैर पर रबरबैण्ड या कपड़े से बन्ध लगा दें तथा उसे हर 30 मिनिट बाद ढीला करके फिर लगाये ताकि आगे का हिस्सा काला न पड़े।

यदि घायल को मानसिक आघात (सदमा) लगा हो जैसे –

इसमें आघात के मुख्य लक्षण ये हैं :–

- चक्कर तथा शिथिलता
- उल्टी होना
- ठंडी व गीली त्वचा
- बेहोशी
- धमनी की धड़कन क्षीण तथा तीव्र होना
- शरीर की जीवन आवश्यक क्रियाए मंद हो जाना तो खून को बहने से फौरन रोकें। खून की कमी से होने वाली जटिलताओं के अलावा इसको देखकर घायल व्यक्ति का मानसिकता सदमा विशेष रूप से बढ़ता है।
- रोगी को तसल्ली दें तथा उसका डर दूर करें।
- पीठ के बल लिटा दें। सिर नीचा करके एक ओर झुका दें।
- रोगी को कम्बल में लपेट दें।
- प्यास लगे तो पानी के घूंट, चाय, कॉफी या तरल पदार्थ दें।
- जल्द से जल्द अस्पताल ले जायें।

जलते हुए व्यक्ति का बचाव

- घटनास्थल से दूर ले जाकर जले हुए हिस्से पर 10 मिनिट तक ठण्डे पानी का प्रवाह करते रहे।
- जले हुए हिस्से को साफ मुलायम कपड़े या गॉज से ढक दें।
- प्राथमिक उपचार के बाद घायल को तुरन्त अस्पताल पहुंचाने की व्यवस्था करें।`

5.4 भूकम्प

भूकम्प पृथ्वी के आन्तरिक असन्तुलन, भ्रंशन, भूपटल का संकुलन तथा प्लेट विवर्तनिक कारणों से आता है। सामान्यतः भूगर्भिग चट्‌टानों के विक्षोभ के स्त्रोत से उठने वाली लहरदार कम्पन्न को भूकम्प कहते हैं। जिस प्रकार शान्त जल में पत्थर के टुकड़ों को फेंकने पर आयात आने वाले स्थानों के चारों ओर लहर उत्पन्न होती है, ठीक उसी प्रकार भूगर्भिक चट्‌टानों में विक्षोभ से चारों ओर भू–तरंगे प्रवाहित होती है। अधिकांशतः भूकम्प भूतल से ठीक 50 से 100 किमी. की गहराई का उत्पन्न होते हैं। जिस स्थान पर ये उत्पन्न होते हैं, उसे उद्‌गम केन्द्र या भूकम्प मूल कहते हैं। इस उद्‌गम केन्द्र के ठीक ऊपर भूसतह पर स्थित स्थान को अधिकेन्द्र कहते हैं।

भूकम्प एक आपदा के रूप में प्रलंयकारी तबाही मचाती है। भूकम्प अन्य प्राकृतिक आपदाओं जैसे भूस्खलन, बाढ़ तथा आग आदि गतिशील कर देता है। भूकम्प के कारण जहां एक ओर प्राकृतिक परिदृश्य विकृत होता है, वहीं दूसरी ओर मानव निर्मित संरचनाओं को भी हानि पहुंचाती है, जिसकी पुनः पूर्ति दीर्घकाल में ही सम्भव हो पाती है तथा इसका प्रभाव राज्य एवं राष्ट्रीय विकास पर भी परिलक्षित होता है।

26 जनवरी, 2001 को गुजरात में 6.9 रिक्टर मापक पर भूकम्प आया था। यह विगत 150 वर्षों में सर्वाधिक भीषणतम भूकम्प था। जिसका केन्द्र भुज से 60 किमी. दूरी पर था। इस भूकम्प से लगभग 20,000 लोग काल का ग्रास बन गये तथा 33,000

से ज्यादा लोग घायल हो गये। राज्य में लगभग 30 हजार करोड़ रू. की सम्पत्ति नष्ट हो गई। इस भूकम्प से कच्छ जिला सबसे अधिक प्रभावित हुआ। इसमें 550 गांव पूर्ण रूप से तबाह हो गये तथा 16,000 लोग मारे गये।

भूकम्प के मुख्य कारण

- ज्वालामुखी क्रिया
- भ्रंशन
- भूसंतुलन में अव्यवस्था
- जलीय भार
- भूपटल में संकुचन
- गैसों का फैलाव

भूकम्पों की तीव्रता

बिल्डिंग मैटेरियल एण्ड टेक्नॉलोजी प्रमोशन काऊंसिल (BMTPC) ने एटलस के अनुसार सिसमिक जोन नक्से तैयार कर इसे पांच भागों में विभक्त किया है। अनुमानतः संशोधित मर्करी मापक (MSK) पर IV-V तीव्रता वाले भूकम्प 7700 वर्ग किमी. में महसूस होते हैं, जबकि IX-X तीव्रता वाले भूकम्प 500,00 वर्ग किमी. क्षेत्र में महसूस किये जाते हैं।

1) **क्षेत्र V** :– इस क्षेत्र में संशोधित सरकारी मापक के अनुसार IV या इससे अधिक तीव्रता का भूकम्प सम्भावित क्षेत्र हैं। इस क्षेत्र को अत्यधिक नुकसान सम्भावित क्षेत्र भी कहा जाता है।

2) **क्षेत्र IV** :– इस क्षेत्र संशोधित सरकारी मापक पर VII सम्भावित क्षेत्र है इसे उच्च नुकसान सम्भावित क्षेत्र भी कहते हैं।

3) **क्षेत्र III** :– इस क्षेत्र में सरकारी मापक पर VII की तीव्रता भूकम्प आ सकता है। इसे मध्यम नुकसान सम्भावित क्षेत्र के नाम से भी जाना जाता है।

4) **क्षेत्र II** :– क्षेत्र में सम्भावित तीव्रता VI है। इसे संशोधित सरकारी मापक पर निम्न नुकसान सम्भावित क्षेत्र भी कहते हैं।

5) **क्षेत्र I** :– इस क्षेत्र के लिए संशोधित सरकारी स्केल पर M M V या इससे भी कम तीव्रता का भूकम्प सम्भावित है। इसे अत्यन्त कम नुकसान वाला क्षेत्र भी कहते हैं।

भूकम्पों की तीव्रता	तीव्रता के लक्षण भूकम्पों का प्रभाव	रिक्टर मापक परिणाम
यान्त्रिक	केवल भूकम्प लेखी यन्त्र से भूकम्प का अनुभव होता है।	0
क्षीण	केवल कुछ विशेष व्यक्तियों द्वारा अनुभव।	3.5
अल्प	आराम करते हुए व्यक्तियों द्वारा अनुभव।	4.2
साधारण	चलते हुए व्यक्तियों द्वारा अनुभव तथा खड़ी निर्जीव वस्तुओं में कम्पन्न।	4.3
आद्रबल	सभी को अनुभव, सोये व्यक्ति जाग जाते हैं।	4.8
प्रबल	सभी लटकी वस्तुंए हिलने लगती है।	4.9 – 5.4
अतिप्रबल	दीवारों में दरार पड़कर भूकम्प का आतंक छा जाता है।	5.5 – 6.1
विनाशात्मक	ऊंची इमारतें गिर जाती है, मकानों में दरार पड़ जाती है।	6.2
विनटकारी	मकान धंस जाते हैं। भूमि में दरारें पड़ जाती है। पाईप लाईनें टूट जाती है।	6.2 – 6.9
सर्वनाशी	धरातल में लम्बी दरारें पड़ जाती है। ढालों में भूस्खलन होता है।	7.0 – 7.3
अतिविनाशी	पुल, रेलवे लाईनें टूट जाती है। महान भूस्खलन नदियों में बाढ़ आ जाती है।	7.4 – 8.1

प्रलयकारी	सर्वनाश, धरातलीय पदार्थ हवा में उछलने लगते हैं। धरातल में धंसाव तथा उभार उत्पन्न हो जाते हैं।	8.1 से अधिक

मध्यम नुकसान सम्भावित क्षेत्र

फलौदी जिले का लगभग 5 प्रतिशत भाग मध्यम नुकसान सम्भावित क्षेत्र में आता है, जिसमें कानासर, बाप, देदासरी, सिहड़ा, लोहावट, कालूपाबूजी, चाडी, भोजासर, घंटियाली, जाम्बा, फलोदी सम्मिलित है।

कार्य योजना

जिला प्रशासन

- सभी विभागों को आपदा से निपटने के लिए सचेत करना तथा उनमें समन्वय स्थापित करना।
- आपदा स्थल पर नियन्त्रण कक्ष की स्थापना करना।
- सहायता सामग्री, भोजन आदि की व्यवस्था करना।
- कानून एवं व्यवस्था बनाए रखना।
- प्रमाणिक सूचना प्राप्त करना व मीडिया के जरिये उसे लोगों तक पहुंचाना।

नागरिक सुरक्षा बल, एनसीसी, एनएसएस तथा स्काउट्स एण्ड गाईड्स

- स्वयं सेवियों की उपलब्धता निश्चित करना।
- मलबे में फंसे हुए लोगों को निकालने में प्रशासन की सहायता करना।
- पीड़ितों को सुरक्षित स्थान तक पहुंचाना।

पुलिस प्रशासन

- कानून एवं व्यवस्था की सार सम्भाल करना।
- वायरलैस आदि से सूचना पहुंचाना।
- संचार के अन्य साधनों की व्यवस्था करना।

सार्वजनिक निर्माण विभाग

- मलबा आदि उठाने के लिए वाहन उपलब्ध कराना।
- राजकीय एवं निजी क्षेत्र में उपलब्ध जेसीबी एवं अन्य उपकरणों की व्यवस्था करना।
- अन्य ऊंचे व आपदा सम्भावित भवनों की जांच करना तथा उन्हें खाली करवाने में प्रशासन की मदद करना।

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग

- आपदा स्थल पर तुरन्त चिकित्सा शिविर लगाना।
- लोगों को प्राथमिक उपचार उपलब्ध कराना।
- बुरी तरह से घायल लोगों को अस्पताल पहुंचाना।
- चिकित्सकों, पैरा मेडिकल स्टाफ व दवाईयां उपलब्ध कराना।
- अग्निशमन केन्द्र, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति, जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी, स्वयं सेवी संस्थाएं, नगर परिषद, विद्युत, पशुपालन, दूर संचार विभाग, सिंचाई तथा अन्य विभाग सामान्य कार्य योजना के तहत अपना कार्य पूर्ण करेंगे।

क्या करें क्या न करें ?

भूकम्प पूर्व

- हमेशा यह ध्यान रखना चाहिये कि गम्भीर भूकम्प के फलस्वरूप अधिकांशतः समस्याएं गिरती हुई वस्तुओं जैसे छत का प्लास्टर, विद्युत उपकरण आदि से होती है, भूमि की क्षति से नहीं।
- अलमारियों में सिर से ऊंचे स्थान पर भारी वस्तुओं को न रखें। भारी गमलों वाले पोधों को झूलने हेतु नहीं लटकाए। किताब रखने की अलमारी, केबिनेट एवं दीवार पर लगी सजावटी वस्तुएं पलट कर गिर सकती है।
- खिड़की तथा भारी वस्तुएं जो गिर सकती हैं, उन्हें बिस्तर से दूर रखें। बिस्तर के ऊपर दर्पण पिक्चर फ्रेम आदि नहीं लटकाए।
- ऐसे उपकरण जो गैस, विद्युत लाईन को क्षति पहुंचा सकते हैं उन्हें मजबूती प्रदान करें।
- लटकाने वाले बिजली के सामान मजबूती के साथ छत पर लगावें तथा निकास के रास्ते में भारी अस्थिर वस्तुओं को न रखें।
- आपातकालीन सामग्री (जल, दीर्घ अवधि तक रहने वाला तुरन्त तैयार करने योग्य भोजन, प्राथमिक उपचार किट, दवाईयां, आग बुझाने के उपकरण आदि) को अपने घर अथवा कार में सुगम पहुंच हेतु उपलब्ध रखें।

आपदा के दौरान व पश्चात्

- शांत रहे, घबराए नहीं।
- कांच, खिड़की, अलमारी, केबीनेट एवं बाहरी दरवाजों से दूर रहें। यदि हो सके तो मेज पलंग आदि मजबूत फर्नीचर के नीचे घुस जायें अथवा दरवाजे के नीचे या किसी कोने में बैठ जाए व अपना सिर एवं शरीर अपने हाथों, तकियों, कम्बल, किताबों आदि से ढक लें ताकि गिरने वाली वस्तुओं से स्वयं की रक्षा कर सकें।
- बाहर की ओर तब तक न भागे जब तक सुनिश्चित हो जाये कि जहां से निकल रहे हैं वह रास्ता सुरक्षित है।
- भूकम्प के दौरान बाहर निकलने के लिए स्वचालित सीढ़ियों का उपयोग न करें सम्भवतः विद्युत आपूर्ति बन्द हो सकती है। सीढ़ियों की ओर न भागे, क्योंकि ये धरातल की तुलना में अधिक क्षतिग्रस्त हो सकती है तथा इससे निकास भी सम्भवतः प्रभावित हो सकता है।
- कभी भी मुख्य द्वार से बाहर की ओर व मुख्य बड़ी दीवार के नजदीक खड़े न हों क्योंकि सामान्यतः यह असुरक्षित स्थान है।
- जब आप बाहर है तो भूकम्प की स्थिति में इमारतों, दीवारों, पेड़ों विद्युत तारों से दूर रहें। खुले क्षेत्र में तब तक रूकें जब तक कम्पन्न खत्म न हो।
- अगर आप वाहन चला रहे हैं तो गाड़ी को भवन व बड़े पेड़ों से दूर सुरक्षित स्थान पर रोक कर खड़े हो जायें एवं अन्दर रहें। यद्यपि कम्पन्न विस्तृत रूप में आ सकते हैं किन्तु यह प्रतीक्षा करने के लिये सुरक्षित स्थान है। पत्थर की संरचनाओं अथवा ऊंची इमारतों के नजदीक न रहें। फ्लाई ओवर, पुल के नीचे या ऊपर न रहे।
- वाहन चलाते समय भूकम्प से होने वाले खतरों जैसे गिरती हुई वस्तुएं, गिरी हुई विद्युत लाईनों, टूटे अथवा धंसे हुए रास्तों एवं पुलों को अवश्य देखों।
- भूकम्प झटके रूकने पर मलबे में फंसे लोगों को निकलवाने में मदद करें।
- चोट की जांच करें तथा घायलों को प्राथमिक उपचार प्रदान करें। पुलिस 100/अग्निशमन केन्द्र 101/रोगी वाहन 102 को सूचना दें।
- आग की जांच करें।
- गैस के लीक की सम्भावना से इमारत को खाली करें। गैस स्टोव, मोमबत्ती व माचिस न जलाए।
- विद्युत को तब तक न जलाए जब तक यह सुनिश्चित न हो जाए कि गैस लीक नहीं हो रही है।
- आपातकालीन अवस्था को छोड़कर फोन का उपयोग न करें।
- भीषण भूकम्प के कुछ दिनों बाद तक भूकम्प के पश्चात् के झटकों के लिए तैयार रहें जो सामान्यतः बड़े भूकम्प के बाद आते हैं एवं ये पहले से ही क्षतिग्रस्त/कमजोर ढांचों को अतिरिक्त हानि पहुंचा सकते हैं।

5.5 आग

मानव सभ्यता के विकास के क्रम में आग का स्थान महत्वपूर्ण है। प्रारम्भिक काल में मानव स्वरक्षा के लिए तथा भोजन पकाने के लिए आग का प्रयोग करता था। वर्तमान समय में भी आग का स्थान उतना ही महत्वपूर्ण है। अगर आग को मानव जीवन से निकाल दिया जाये तो वर्तमान सभ्यता पाषाण युग में वापस चली जाएगी। आग के प्रयोग में असावधानी के कारण भीषण अग्निकाण्ड दृष्टिगोचर होते हैं। उपहार सिनेमा काण्ड व डबवाली अग्निकाण्ड इस प्रकार की आपदा के उदाहरण है।

व्यावसायिक व रिहायशी भवनों में आग की दुर्घटनाएं प्रायः सामान्य बात हो गई है। घरों में या व्यावसायिक प्रतिष्ठानों में एक बार आग लगने पर अनियन्त्रित हो जाती हैं क्योंकि वहां पर लकड़ी, कपड़े, रासायनिक पदार्थ, रसौई गैस, मिट्टी का तेल प्रयोग किया जाता है। बहु–मंजिला इमारतों में आग लगने से लोगों की मृत्यु हो जाती है। बिजली के उपकरणों के द्वारा शहरों में विशेषतया बहुमंजिली इमारतों में सही ढंग से व समय पर देखभाल न करने व लापरवाही के कारण भयावह आग लग जाती है। ग्रामीण क्षेत्रों में अप्रेल–मई स्थानीय लोग अपने खेतों में आग लगाकर लापरवाही से छोड़ देते हैं। मोटर मार्गों की मरम्मत और डामर डालते समय श्रमिक आग लगाकर छोड़ देते हैं। अधिक तापमान, कम नमी, वायु वेग तथा लगातार शुष्कता के बने रहने पर आग लगने की सम्भावना बढ़ जाती है। ज्वलनशील घास–पत्ती, लकड़ी एवं सड़क पर चलती मोटर गाड़ी की चिंगारी पड़ने पर एवं कभी–कभी बिजली गिरने से भी आग लग जाती है।

ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी व अशिक्षा के कारण सामान्यतया लोगों के द्वारा लापरवाही बरतने से आग लगती है और फूस के बने मकानों तथा गर्मी के मौसम में कटी व सूखी फसल आबादी के अन्दर या उसके निकट इकट्ठा किये जाने के कारण आग तेजी से फैलती है। मार्च से जून की अवधि में मौसम शुष्क होने एवं प्रायः तेज हवाओं के चलने के कारण गांव के एक किनारे में लगी आग तेजी से दूसरे किनारे तक फैल जाती है और देखते ही देखते गांव जलकर नष्ट हो जाता है।

जिले में अधिकतर अग्निकाण्ड मानजनित होते हैं। बिजली सॉर्ट सर्किट व आकाशीय बिजली गिरने से आग लगती है। अग्निकाण्ड से जनहानि, पशुहानि, निजी सार्वजनिक परिसम्पतियों को काफी क्षति होती है।

अग्निकाण्ड की अन्य सम्भावनाएं

सामान्य रूप से होने वाले अग्निकाण्डों के अतिरिक्त कुछ अग्निकाण्ड की घटनाएं ऐसी भी हो सकती है, जिन पर यदि त्वरित नियन्त्रण न किया जाये तो वे अत्यधिक भयंकर रूप ले सकती हैं यथा –

1) वे औद्योगिक इकाइयां जहां अत्यधिक ज्वलनशील रसायनों का भण्डारण अथवा प्रयोग होता है। ऐसी इकाइयों को चयनित कर उनकी कैमिकल फैक्ट शीट बनाई जा चुकी है।

2) कुकिंग गैस/औद्योगिक गैस के भण्डार गृह ऐसे भण्डारगृहों को अनुज्ञापन ही ऐसे स्थलों के लिए होता है जो आबादी से दूर खुले हुए क्षेत्र में हो ताकि किसी अप्रत्याशित आपदा की स्थिति में जन–धन हानि कम से कम हो।

कार्य योजना

जिला स्तर पर आग से निपटने हेतु प्रबन्ध योजना तैयार करना अत्यन्त आवश्यक है ताकि दुर्घटना के समय न्यूनतम समय में तत्परतापूर्वक कार्यवाही करके स्थिति की भयावहता पर अंकुश लगाया जा सके।

आग से बचने सम्बन्धी सावधानियां

बिजली

- बिजली की फिटिंग कुशल मिस्त्री (कारीगर) से ही करवायें।
- बिजली कभी भी डाइरेक्ट लाईन से ना लें।
- बिजली का उपयोग कभी भी ओवर लोड ना लें।
- बिजली की फिटिंग हेतु आई.एस.आई. द्वारा पास फिटिंग सामान या यंत्रों का उपयोग करें।
- बिजली या किसी प्रकार का वेल्डिंग करवाते समय ध्यान रखें कि उसमें जलने वाला पदार्थ भरा नहीं है।

- वेल्डिंग करवाते समय ध्यान रखें कि पास में जलने वाला सामान तो नहीं रखा हैं।
- पास में डीसीपी एक्ट्रीग्यूयर या रेत की बाल्टी रखें।
- बिजली के स्टोव में टू–पिन का ही प्रयोग किया जावें।
- पाण्डाल मण्डप या अस्थाई सभी मण्डप में बिजली की आग इत्यादि का पूर्ण ध्यान रखा जावें।
- बिजली के मीटर से अनावश्यक छोड़खानी ना करें।

<u>रसौईघर</u>

- रसौईघर में जलने वालों पदार्थों का भण्डारण नहीं करना चाहिये।
- रसौई खुली खिड़कीदार होनी चाहिये।
- अगर मालूम हो जावें कि गैस लिकेज है तो बिजली के स्वीच को ऑन, ऑफ ना करें।
- कार्य पूरा होने पर रेग्यूलेटर को ऑफ करना ना भूले।
- अगर नलकी में आग लग रही हो तो रेग्यूलेटर को बन्द करें, या सिलेण्डर को बाहर खींच लावें।
- गैस कम्पनी फायर ब्रिगेड को, पुलिस को 101 पर टेलीफोन करें।
- गैस ज्यादा लिकेज हो तो ऊपर मंजिल वालों को सूचित करते हुए रसौई की सारी खिड़की दरवाजे खोल दें।
- रसौई में पानी के स्प्रे या गीले कम्बल का उपयोग करें।
- गैस सिलेण्डर या नलकी का समय–समय पर गैस कम्पनी से चैक करवायें, गैस की नलकी आईएसआई मार्का ही होनी चाहिये।
- रसौई घर की छत पर जलने वाले पदार्थ ना हों, हो तो नीचे ना हों।

<u>गांवों व जंगल की आग के बचाव</u>

- कभी भी खुले चूल्हें को ना रखें।
- चिमनी, लालटेन, लैम्प आदि को शीशे से ढक कर ही रखें।
- बीड़ी सिगरेट आदि के टुकड़ों का पूर्ण रूप से बुझाकर ही फैंकना चाहिए।
- पिकनिक मनाकर आते समय आग अगर जलाई है तो पूर्ण रूप से बुझाकर आवें।
- जंगल से रेल या बस कार आदि से गुजरते समय जलती बीड़ी सिगरेट के टुकड़े ना फेंके।
- घास खलिहान पुआल आदि को पूर्ण सुखाकर ढेरी बनावें, जिससे की स्पोन्टेनिकस कम्बसन से आग लगने का खतरा न हो।
- एक ढेरी से दूसरी ढेरी की दूरी 60 फीट होना।
- ढेरी की ऊंचाई 20 फीट से अधिक ना हो।
- 500 मन से अधिक ढेरी ना होना।
- खलिहान गांव से दूर होने चाहिये और ऐसी जगह होने चाहिये जहां पर पानी आसानी से मिल सके।
- गांवों में अधिक बाड़े आदि नहीं होने चाहिये।
- बाड़ या फूस आदि पर कांच के टुकड़े आदि नहीं फैंकने चाहिये।
- खलिहानों या कच्चे छप्परों के पास आतिशबाजी नहीं करें।
- रेलवे लाईन से पर्याप्त दूरी होना।
- खलिहानों में चाय नाश्ता आदि ना बनावें।
- कच्चे मकानों या खलिहानों को बनाते समय बिजली के तारों का ध्यान रखना अतिआवश्यक है।
- गांवों में फायर पार्टी का गठन करना चाहिये। उनको समय–समय पर ट्रेनिंग व संयुक्त अभ्यास करवाना चाहिये। गांव के बीच जहां चौपाल हो वहां पर फायर की स्थापना जैसे घण्टी (साईरन) बीटर्स, फावड़े बैलचे कापा हुक, बाल्टी, टार्च, स्टेम्प नजदीकी फायर बिग्रेड के नम्बर आदि होना। समय–समय पर अचानक डिमोंटेशन करना आदि पानी के टैंक होना।

हाई राइज बिल्डिंग या अपार्टमेण्ट स्टोर्स या मार्केट

- किसी भी बिल्डिंग को बनवाने से पहले यह जरूरी है कि मार्केट में आग लगने पर इसको बचाने के लिए बड़ी गाड़ियां आराम से चारों तरफ घुम सके।
- पानी का पर्याप्त स्टोरेज होना। बिल्डिंग कोड रूडकी द्वारा पास।
- किसी भी बिल्डिंग में दो स्टेपर केस (सीढ़ी) होना अतिआवश्यक है।
- निकासी का रास्ता साफ सुथरा हो।
- उसमें आग बुझाने के यंत्रों जैसे स्प्रीकंलर डेन्चर, राईजर, हाईड्रेन्ट पाईन्ट इत्यादि की पूर्ण व्यवस्था होनी चाहिये।
- बिजली की पानी मोटर व डीजल पम्प की व्यवस्था होना।
- जगह—जगह पर फायर पाईन्ट की व्यवस्था होना।
- अपार्टमेण्ट में रहने वालों का वॉच ड्यूटी स्टाफ को फायर की ट्रेनिंग होना।
- फायर सर्विस से एनएसी लेकर ही पेट्रोल पम्प, फैक्ट्री, होटल, अपार्टमेण्ट मार्केट बिल्डिंग का निर्माण करवाया जावें, जिससे कि वहां पर पर्याप्त मात्रा में पानी की गाड़िया भी पहुंच सके।
- बिजली या ट्रांसफार्मर आदि का सही स्थान का चयन।
- पेट्रोल पम्प, सिनेमाघरों, फैक्ट्रियों आदि में समय—समय पर अग्निशमन यंत्रों की चैकिंग या संयुक्त अभ्यास करवाना इत्यादि।

ग्रामीण क्षेत्रों में लगी आग से निपटने की व्यवस्था

ग्रामीण क्षेत्रों में आग लगने पर प्रायः ग्रामवासी स्थानीय स्तर पर स्वयं ही सामूहिक रूप से आग पर काबू पाने का प्रयास करते हैं, किन्तु सूखे हुए तालाबों के कारण पानी की कमी से यदि वे आग को नियन्त्रित कर पाते तो तत्काल निकटस्थ फायर स्टेशन/थाना/ब्लॉक/तहसील/जिला मुख्यालय पर सूचना देते हैं। यह सूचना आदमी भेजकर या टेलीफोन (यदि नजदीक उपलब्ध है) के माध्यम से भेजकर दी जाती है।

आग लगने पर कार्यवाही

यदि सूचना सीधे फायर स्टेशन पर प्राप्त होती है तो अग्निशमन दल तत्काल घटना स्थल के लिए प्रस्थान करेगा और साथ ही अग्निकाण्ड की सूचना सम्बन्धित थाना/तहसील/जिला मुख्यालय को भेजेंगे। सूचना की गम्भीरता के परिप्रेक्ष्य में सम्बन्धित जिला कलक्टर स्वयं स्थल पर शीघ्र पहुंचेंगे और राहत कार्य का संचालन प्रारम्भ कर देंगे। तहसील मुख्यालय पर सूचना प्राप्त होने पर सम्बन्धित तहसीलदार जो भी वरिष्ठतम अधिकारी उपलब्ध होंगे यथाशीघ्र घटनास्थल पर पहूंचेगें। समस्त राहत/बचाव कार्यों का समन्वय करेंगे। स्थिति की गम्भीरता के मूल्यांकनोपरान्त साइट इमरजेन्सी डाइरेक्टर यह निर्णय लेंगे कि जनपद मुख्यालय से किस प्रकार की ओर कितनी सहायता प्राप्त की जानी है और तदनुसार जिला कन्ट्रोल रूम के माध्यम से अध्यक्ष, ''समेकित आपदा प्रबन्ध समिति'' को सूचित करेंगे।

यदि अग्निकाण्ड की सूचना सीधे जिला मुख्यालय पर कन्ट्रोल रूम को प्राप्त होती है तो कन्ट्रोल रूम जिला कलक्टर को सूचित करते हुए यह जानकारी प्राप्त करेगा कि संबंधित क्षेत्र के फायर स्टेशन से अग्निशमन दल घटनास्थल के लिए प्रस्थान कर गया या नहीं। यदि अग्निकाण्ड भीषण होने की सूचना है और ऐसा अनुमान होता है कि जिला मुख्यालय से और अग्निशमन दल तत्काल भेजना आवश्यक है तो जिला मुख्यालय से अग्निशमन दल तत्काल भेज दिया जायेगा। इसी प्रकार यदि जिला मुख्यालय से फायर स्टेशन को सीधे सूचना प्राप्त होती है तो अग्निशमन दल सीधे घटनास्थल को प्रस्थान करेगा और साथ ही घटना की सूचना कन्ट्रोल रूम तथा जिलाधिकारी/पुलिस अधीक्षक को देगा।

आग लगने पर विभिन्न विभागों की भूमिका

जिला कलक्टर

- समग्र समन्वय एवं पर्यवेक्षण
- प्रमाणिक सूचना स्त्रोत
- सहायता सामग्री की आपूर्ति एवं वितरण मय नकद सहायता

- विधि एवं शान्ति व्यवस्था संबंधी समस्याएं

अग्निशमन केन्द्र :– नियन्त्रण कक्ष

- अग्निशमन वाहनों व कर्मियों की उपलब्धता
- अग्निशमन वाहनों का समय पर प्रतिस्थापन
- समीपवर्ती जिलों एवं अन्य संस्थानों जैसे– सेना, पेट्रोलियम एसोसियेशन, पुलिस नागरिक सुरक्षा आदि में अग्निशमन वाहनों की उपलब्धता सुनिश्चित करना।
- आग से घिरे व्यक्तियों का बचाव
- अन्य अग्नि सुरक्षा सामग्री यथा लाईफ जैकेट, ऑक्सीजन सिलेण्डर सीढ़ी, मिट्टी के थैले आदि।
- रेडक्रास लायन्स क्लब एवं अन्य गैर राजकीय संस्थानों से समन्वय।

नागरिक सुरक्षा

- प्रशासन एवं जनता के साथ त्वरित संचार व्यवस्था
- प्रभावित व्यक्तियों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाना
- प्रभावित क्षेत्र समीप से जनता/जनसामान्य को हटाना
- अग्निशमन हेतु प्रशिक्षित स्वयं सेवकों की सूची तैयार करना
- डिविजन एवं पोस्ट एवं सेक्टर वार्ड नम्बर की सूची तैयार करना
- वैकल्पिक मार्ग हेतु नगर व जिले का मानचित्र

पुलिस

- आपदा प्रबन्धन में **फलोदी** जिले को आर.ए.सी. बटालियन को चिन्हित कर सामान से सुसज्जित किया गया है।
- कानून एवं व्यवस्था बनाए रखना
- जनसामान्य को सूचित करने हेतु संचार व्यवस्था
- प्रभावित क्षेत्र के पास से जन सामान्य को हटाना

विद्युत

- विद्युत आपूर्ति की समुचित देखभाल
- प्रभावित क्षेत्रों की बिजली काटना

जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग

- नियमित एवं अन्य स्त्रोतों की उचित आपूर्ति
- अग्निशमन वाहनों हेतु अतिरिक्त जल की उपलब्धता

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी

- प्राथमिक उपचार
- राजकीय एवं निजी अस्पतालों की सूची
- राजकीय एवं निजी रोगी वाहनों की सूची
- पीड़ितों को समय पर अस्पताल पहुंचाना
- मेडिकल स्टोर/थोक एवं खुदीर विक्रेताओं की सूची

- औषधियों की सूची
- चिकित्सकों एवं पेरा मेडिकल स्टाफ की उपलब्धता

गैर राजकीय संगठन

- प्रतिबद्ध स्वयं सेवकों की उपलब्धता
- राहत शिविर एवं मनोचिकित्सा
- सहायता सामग्री का वितरण

पशुपालन

- पशु चिकित्सालयों की सूची
- पशुधन की देखभाल हेतु उपलब्ध कर्मियों की सूची

नगर परिषद

- राहत शिविर (रैन बसेरा)
- सुरक्षित स्थानों की सूची
- प्रभावित क्षेत्रों की समुचित सफाई व्यवस्था एवं स्वास्थ्यकर स्थितियों की देखभाल
- टेण्ट हाउस की सूची
- राहत शिविर हेतु विद्यालयों एवं अन्य बड़े प्रतिष्ठानों की सूची

सार्वजनिक निर्माण विभाग

- राहत शिविरों हेतु सरकारी/निजी परिसरों की सूची
- दुर्घटना उपरान्त परिसर की संरचनात्मक सुरक्षा की जांच

वन विभाग

- अग्नि रेखाओं को तैयार करना एवं उनका रखरखाव
- आग लगने की दिशा में प्रति अग्नि व्यवस्था करना
- अग्नि के परिप्रेक्ष्य में असुरक्षित वन क्षेत्र की जांच करना

खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति

- भोजन पैकेट एवं राहत सामग्री का वितरण
- आवश्यक वस्तुओं की उपलब्धता
- कपड़े, बर्तन, गेंहू, दाल, चावल, चाय, चप्पल, ब्रेड, दूध
- व्यापारियों की सूची
- राहत सामग्री हेतु स्वयं सेवकों के साथ समन्वय
- एक पैकेट में रखी जाने वाली सामग्री की सूची

आग लगने पर क्या करें, क्या न करें

क्या करें –

- परिवार के सभी सदस्यों को आग से निपटाने के लिए प्रशिक्षण दें।
- आग लगने पर तुरन्त अग्निशमन विभाग को सूचित करें। फोन नम्बर 101
- बिल्डिंग में आग लगने पर लोगों को निकालने के लिए हमेशा सीढ़ियों का प्रयोग करें।
- जब यह निश्चित हो जाये कि अन्तिम आदमी भी बाहर आ गया है तो दरवाजा बंद कर दें।
- बिल्डिंग में आग लगने पर तुरन्त बाहर खुले स्थान पर पहूंच जायें।
- अगर सम्भव हो तो नाक व मूंह को गीले कपड़े से ढक लें।
- सावधानीपूर्वक निर्देशकर्ता के आदेशों का पालन करें।
- अगर आग लगने पर किसी कठिन परिस्थिति का सामना करना पड़ रहा है तो अपने कमरे में ही रहें।
- नेतृत्वकर्ता को बिल्डिंग छोड़ने से पहले यह सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि घटनास्थल पर कोई भी आदमी अन्दर न रह गया हो। यहां तक कि उसे बाथरूम की भी जांच कर लेनी चाहिये।
- सम्भावित आग लगने वाले खतरनाक बिन्दुओं को चिन्हित कर, आग लगने की सम्भावना को कम कर देना चाहिये।
- आग लगने पर मकान की छत पर न जायें।

क्या न करें –

- गैस स्टोव, बिजली के उपकरण व बटन काम में न लें।
- आग लगने पर मकान की छत पर न जायें।
- लिफ्ट का प्रयोग न करें।

5.6 रासायनिक एवं औद्योगिक दुर्घटनाएं

तीव्र औद्योगिक विकास के परिप्रेक्ष्य में औद्योगिक एवं रासायनिक क्षेत्र में दुर्घटनाओं की सम्भावनाएं बढ रही हैं। कुछ बड़ी दुर्घटनाएं जैसे– भोपाल गैस काण्ड और अग्नि एवं विस्फोटक क्षेत्रों की दुर्घटनाएं अहम हैं।

सुरक्षात्मक दृष्टि से गुणवतापूर्ण मशीनों, प्रशिक्षित मजदूरों और गहन मापदण्डों के मानक संस्थापन की आवश्यकता है। संसार में सर्वाधिक औद्योगिक दुर्घटनाएं भारत में होती है। दुर्घटनाओं को टालने के लिए उद्योगों में आन्तरिक एवं बाह्य दोनों प्रकार की योजनाएं बननी चाहिए तथा साथ ही मॉक ड्रिल का होना भी आवश्यक है।

प्रभाव : औद्योगिक दुर्घटनाओं के सम्भावित प्रभाव निम्नलिखित हैं :–

- जान की क्षति
- घाव होना अथवा आग से जलना
- जहरीले द्रवों/गैसों से बीमार होना
- माल की क्षति

5.7 ताप (लू) व शीतघात

मौसमी बीमारियों एवं लू तापघात तथा मलेरिया नियंत्रण हेतु 2022 की कार्य योजना

- जिले में आगामी गर्मी के मौसम को ध्यान में रखते हुए जिले की प्रत्येक गांव ढाणी स्तर तक मौसमी बीमारियों एवं लू तापघात तथा मलेरिया नियंत्रण हेतु निम्नानुसार दिशा–निर्देशों के अनुसार कार्य सम्पादित करवाते हुए हर प्रकार के रोग प्रकोप की स्थिति को नियंत्रण, रोग सर्वे एवं उपचार का कार्य करने हेतु जिले के सभी ब्लॉक प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के चिकित्सा अधिकारियों तथा उपखण्ड पर उप मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी उपखण्ड को कार्य करने हेतु निर्देशित कर दिया गया है :–
- जिला स्तर पर गर्मीजनिक बीमारियों तथा लू तापघाव एवं मलेरिया नियंत्रण हेतु निदेशालय के निर्देशानुसार नियंत्रण कक्ष स्थापित किया हुआ है। जहां से जिले में किसी भी स्थान पर रोग विशेष के प्रकोप की स्थिति में तत्काल चिकित्सा दल पर्याप्त मात्रा में औषधियों के साथ भेजा जाकर रोग सर्वे, उपचार एवं रोग रोकथाम की कार्यवाही की जाती है।
- इसी प्रकार जिले के प्रत्येक ब्लॉक प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र को आपात स्थिति में रोग पर प्रभावी नियन्त्रण हेतु आपात चिकित्सा दल अपने–अपने चिकित्सा संस्थानों पर गठित करने एवं पर्याप्त मात्रा में वांछित औषधियों के भण्डार करने तथा पेयजल शुद्धिकरण हेतु पर्याप्त मात्रा में ब्लीचिंग पाउडर उपलब्ध रखने हेतु निर्देशित किया जा चुका है।
- उप मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी उपखण्ड को अपने–अपने उपखण्ड क्षेत्र में मौसमी बीमारियों, लू तापघात एवं मलेरिया तथा अन्य गर्मीजनित रोगों के प्रकोप की सूचना मिलने की स्थिति में उनके स्तर पर भी तत्काल संबंधित क्षेत्र में चिकित्सा दल भिजवाकर रोग सर्वे, उपचार एवं रोकथाम की कार्यवाही तत्काल करने हेतु निर्देशित किया जा चुका है।
- गर्मी के मौसम में शुद्ध पेयजल आपूर्ति करना आवश्यक है। अतः जलजनित बीमारियों जैसे– हैजा, उल्टी दस्त, आंत्रशोध, पीलिया, मस्तिष्क ज्वर, टाईफाइड एवं मलेरिया आदि की रोकथाम हेतु जिले में आम जनता को पीने के लिए वितरित किये जाने वाले पानी के नमूने लेकर उसकी तत्काल जांच कर उसके परिणाम स्वरूप संबंधित क्षेत्रों में जहां के पानी के नमूने असंतोषप्रद पाये जाते हैं, वहां के जलदाय विभाग से सम्पर्क कर पीने के पानी में सुपरक्लोरीनेशन करवाने तथा लीकेज, ब्रेकेज आदि ठीक करवाने, पेयजल वितरण करवाने हेतु निर्देशित किया जा चुका है।
- बासी/विषाक्त भोजन एवं दूषित जल से उल्टी दस्त की बीमारी से बचने के संबंध में बीमारी की जानकारी, नियंत्रण एवं उपचार हेतु आम जनता को स्वास्थ्य शिक्षा देने हेतु सभी संबंधित को निर्देशित किया जा चुका है ताकि आम जनता में जन जागृति पैदा हो एवं रोग प्रकोप की स्थिति नहीं बने।
- जल शुद्धिकरण/नमूनीकरण के कार्य की समीक्षा की जाकर प्रभावी नियंत्रण एवं रोकथाम की कार्यवाही जिला स्तर से मोनेटरिंग की जा रही है ताकि उसकी क्रियान्विति सुचारू हो सके।
- किसी भी प्रकार की बीमारी का प्रकोप पाये जाने पर रोकथाम एवं नियंत्रण की कार्यवाही अविलम्ब करने एवं उसकी सूचना जिला नियंत्रण कक्ष के दूरभाष नम्बर 02925–299200 पर देने हेतु सभी जिले के चिकित्सा संस्थानों को सूचित कर पाबंद किया जा चुका है।
- लू तापघात हेतु दवाइयों की व्यवस्था जिले के सभी उपकेन्द्र स्तर तक पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध करवा दी गई है तथा ओ.आर.एस. पैकेट्स भी पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध करवा दिये गये हैं।
- लू बापघात के लक्षण एवं उससे बचने के उपाय यथा तेज गर्मी में नंगे सिर बाहर नहीं निकलना तथा ज्यादा से ज्यादा ठण्ड पेय पदार्थ यथा छाछ, लस्सी, इमली के पानी का उपयोग करने यदि धूप में निकलने की आवश्यकता हो तो सिर एवं गर्दन को मौटे सूती कपड़े से ढककर जाना तथा हृदय रोगी को ज्यादा समय तक तेज गर्मी में नहीं रहने हेतु स्वास्थ्य शिक्षा देने के लिए सभी संबंधित कर्मचारियों को निर्देशित किया जा चुका है।
- लू तापघात के रोगी के अस्पताल में आने पर उसकी सर्वोच्च प्राथमिकता से इलाज करने, उनके लिए अलग से वार्ड में व्यवस्था कर पर्याप्त मात्रा में उपचार तत्काल करने हेतु निर्देशित किया जा चुका है।
- जिले में सभी आईस फैक्ट्रियों, होटलों, ढाबों आदि पर खाद्य पदार्थों को ढककर रखने तथा दूषित एवं सड़े गले खाद्य पदार्थ विक्रेताओं द्वारा विक्रय नहीं करने हेतु आवश्यक कार्यवाही करने हेतु जिला खाद्य निरीक्षकों को समय–समय पर उचित कार्यवाही करने हेतु निर्देशित किया जा चुका है।

मलेरिया की रोकथाम हेतु जिले की कार्य योजना 2025

फलोदी जिले में मलेरिया के बढ़ते हुए कैसेज को देखते हुए वर्ष 2025 के लिए इसकी रोकथाम हेतु निम्नानुसार कार्य योजना तैयार की गई हैं :–

- जिले में प्रत्येक गांव ढाणी में बुखार के रोगीयों की जांच एवं रक्त पट्टिकाओं के संचयन हेतु प्रत्येक प्रसाविका/बहुउद्वेशीय कार्यकर्ता को उनके अधीनस्थ गांवों तथा ढाणियों में घर–घर जाकर बुखार के रोगियों की खोज कर उनकी रक्त पट्टिकाएं संचयित करने व उनको उपचार देने की व्यवस्था कर ली गई है तथा समस्त कार्यकर्ताओं को कलेण्डर ऑफ एक्टीवीटी के अनुसार घर–घर जाकर विजिट कर गेरू स्टेन्सियल बनाने तथा उनमें पाक्षिक विजिट करने हेतु निर्देशित कर दिया गया है।
- प्रसाविकाओं तथा बहुउद्वेशीय कार्यकर्ताओं द्वारा ली गई रक्त पट्टिकाओं के परीक्षण हेतु सप्ताह में दो बार अपने–अपने परीक्षण केन्द्रों पर परीक्षण हेतु भेजने की व्यवस्था सुनिश्चित कर ली गई है।
- रक्त पट्टिकाओं के परीक्षण के पश्चात् उनमें से घोषित मलेरिया पोजिटिव कैसेज को उसी दिन या दूसरे दिन आमूल उपचार (रेडिकल ट्रिटमेंट) देने हेतु निर्देश प्रदान कर दिये गये हैं।
- प्रत्येक पीएफ केस को प्रत्येक सप्ताह फोलो अप कर फोलोअप स्लाइड का परीक्षण उसी समय कर उनके रिजल्ट की रिपोर्ट प्रत्येक सप्ताह इस कार्यालय को प्रेषित करने हेतु निर्देश दे दिये गये हैं।
- लेबोरेट्री टैक्नीशियनों को अपनी दैनिक डायरी मेनटेन करने एवं उनके पास आई हुई प्रत्येक रक्त पट्टिका तथा मलेरिया पोजिटिव कैसेज को एमएफ 7–8 एवं 9 रजिस्टर में इन्द्राज करने एवं फोलो अप रजिस्टर खोलने हेतु अविलम्ब उन्हें स्टेन कर परीक्षण करने हेतु निर्देशित कर दिया गया है।
- सप्ताह में एक बार चिकित्सा अधिकारी प्रभारी, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र को लेबोरेट्री के रिकार्ड का निर्धारण तथा अन्य लेबोरेट्री के कार्यों के निरीक्षण हेतु निर्देशित कर दिया गया है।
- प्रत्येक प्रसाविका व बहुउद्वेशीय कार्यकर्ता को जिस गांव/ढाणी में बुखार के रोगीयों की बढ़ोतरी होते ही अपने संबंधित प्राथमिक, ब्लॉक प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, उप मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी उपखण्ड तथा इस कार्यालय को तुरन्त सूचना भेजने हेतु निर्देशित कर दिया गया है।
- जिले में मुख्यालय स्तर, ब्लॉक प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र स्तर तक चिकित्सा दल बनाकर तैयार कर ली गई है ताकि बीमारी की सूचना प्राप्त होते ही वे मौके पर जाकर रोगियों को मौके पर ही जांच व उपचार देने की व्यवस्था सुनिश्चित कर ली गई है।
- यदि एक ही गांव में 5 पी.बी. कैस या 3 पी.एफ. कैस एक साथ निकलने पर इसकी सूचना तुरन्त संबंधित प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, ब्लॉक प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, उप मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, उपखण्ड एवं इस कार्यालय को सूचित करने हेतु निर्देशित कर दिया गया है ताकि स्थिति पर कड़ी निगरानी रखते हुए तत्काल समुचित कार्यवाही की जा सके।
- प्रत्येक ब्लॉक प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, उप मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी उपखण्डों एवं उपकेन्द्र स्तर तक क्लोरोकुनैन तथा प्राईमा कुनैन गोलियों क उचित स्टॉक रखने की व्यवस्था सुनिश्चित कर ली गई है।
- प्रत्येक परीक्षण केन्द्र पर माइक्रोस्कोप, स्टेन समुचित मात्रा में रखने की व्यवस्था सुनिश्चित कर ली गई है।
- जिले के समस्त औषधि वितरण केन्द्रों, फीवर ट्रिटमेण्ट डिपों तथा मलेरिया क्लिनिकों को फंक्शनल रखने एवं वहां पर रिवाल्विंग सप्लाई देने हेतु निर्देश प्रदान कर दिये गये हैं।
- नगर परिषद, नगरपालिकाओं, सार्वजनिक निर्माण विभाग, सिंचाई विभिाग, पंचायतों को मच्छरों की उत्पत्ति को रोकने हेतु गढ्ढों में भरे हुए पानी को बहाव में लाने तथा गढ्ढों को पाटने (भरने) हेतु निवेदन कर दिया गया है।
- स्थायी जल स्त्रोतों में गम्बुचिया मछलियां छुड़वाई गई है तथा छोड़ने की कार्यवाही समय–समय पर मांग के अनुसार जारी है।
- गंदे पानी के गढ्ढों में एम.एल.ओ. डालने हेतु निर्देशित कर दिया गया है तथा एम.एल.ओ. प्रत्येक ब्लॉक स्तर तक पहुंचा दिया गया है।
- उपरोक्त समस्त गतिविधियों को सुचारू संपादित करवाने हेतु जिले के सभी चिकित्सा अधिकारियों को पाबन्द कर दिया गया है तथा उक्त सभी कार्यों को अपने–अपने उपखण्ड में सुचारू रूप से ही इसकी मोनेटरिंग करने हेतु संबंधित उपखण्ड के उप मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी उपखण्ड को निर्देश प्रदान करें। उनके द्वारा किये गये कार्यों का पूर्ण विवरण प्रत्येक सप्ताह इस कार्यालय को भेजने हेतु निर्देशित कर दिया गया है।
- घरों में स्थित पानी की टंकिए व कूलरों को सप्ताह में एक बार सूखा रखने तथा मलेरिया रोग के बचाव के लिए पेम्पलेटस, पोस्टर्स, बुकलेट्स, गेरू स्लोगन आदि के द्वारा व्यापक प्रचार प्रसार कर जन–जागृति उत्पन्न करने हेतु निर्देशित किया गया।

फलोदी जिले में लू तापघात एवं मलेरिया से प्रभावित प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र क्षेत्र

लू से प्रभावित क्षेत्र	मलेरिया से प्रभावित क्षेत्र
• बाप • जाम्बा • कानसिंह की सीड • केलनसर • कानासर • बारू • पीलवा • लोहावट • खारा • चाडी • देणोक • सांवरिज • भोजासर • सोमेसर • सेतरावा	• पीलवा • भोजसर • फलोदी • कानासर • बारू • कानसिंह की सीड • सेतरावा • देचू

5.8 वज्रपात

वज्रपात एक प्राकृतिका आपदा है आसमान में अपोजिट एनर्जी के बादल हवा से उमड़ते और घुमड़ते रहते है। ये विपरित दिशा में जाते हुए टकराते हैं। इससे होने वाले घर्षण से बिजली पैदा होती है जो धरती पर गिरती है। आसमान में किसी तरह का कंडक्टर न होने से बिजली पृथ्वी पर कंडक्टर की तलाश में पहुंच जाती है,जिससे नुकसान पहुंचता है। धरती पर पहुंचने के बाद बिजली को कंडक्टर की जरूरत पड़ती है। आकाशीय बिजली जब लोहे के खंभों के अगल–बगल से गुजरती है तो वह कंडक्टर का काम करता है। उस समय कोई व्यक्ति यदि उसके संपर्क में आता है तो उसकी जान तक जा सकती है।

आसमानी बिजली का असर ह्युमन बॉडी पर कई गुना होता है। डीप बर्न होने से टिश्यू डेमेज हो जाते है। उनको आसानी से ठीक नहीं किया जा सकता है। बिजली का असन तंत्रिका तन्त्र पर पड़ता है। हृदय घात होने मृत्यु हो जाती है। इसके प्रभाव से शारीरिक अपंगता का खतरा होता है। लोगों द्वारा जोखिम को कम करके और अपनाए जाने वाले सुरक्षा उपायों के बारे में जागरूकता की कमी के कारण बिजली गिरने और वज्रपात के दौरान चोट और मृत्यु हो जाती है।

वज्रपात के दौरान घर या कार्यस्थल पर हो तो क्या करें और क्या न करें

क्या करें–

- आसमान में अंधेरा छा जाये और तेज हवा हो तो सतर्क हो जाएं।
- यदि आप गड़गड़ाहट सुनते हैं,तो समझ लें कि वज्रपात होने वाला हैं।
- जब तक बिल्कुल आवश्यक न हो,बाहर न जाएं।याद रखें,बिजली की चमक और गड़गड़ाहट के बीच सेकंड की गिनती करके और 3 से विभाजित करके,आप स्ट्राइक से अपनी दूरी का अनुमान लगा सकते हैं(किमी में)
- अद्यतन जानकारी और चेतावनी निर्देशो के लिए स्थानीय मीडिया की निगरानी रखें।
- घर के अंदर रहें और यदि संभव हो तो यात्रा से बचें।(अपने घर के बाहर खिड़कियों और दरवाजों और सुरक्षित वस्तुओं को बंद करें (जैसे,फर्निचर,डिब्बे,आदि)
- अनावश्यक बिजली के उपकरणों को अनप्लग करें।
- पेड़ की लकड़ी या किसी अन्य मलबे को हटा दें जो हवा में उड़कर दुर्घटना का कारण बन सकता है।
- वज्रपात पशुधन के लिए एक बड़ा खतरा है। आंधी के दौरान पशुधन अक्सर पेड़ो के नीचे इकट्ठा हो जाता है,और एक ही वज्रपात में कई जानवरों की जान जा सकती है।वज्रपात के दौरान जानवरों को आश्रय में ले जाना चाहिए।

क्या न करें–

- स्नान करने से बचें और बहते पानी से दूर रहें,क्योंकि बिजली धातु के पाइप के साथ यात्रा कर सकती है।
- दरवाजे,खिड़कियां,स्टोव,रेडिएटर्स,सिंक,बाथटब या किसी अन्य इलेक्ट्रिकल कंडक्टर से दूर रहें।
- बिजली के उपकरणों का उपयोग करने से बचें।

वज्रपात के दौरान बाहर या खुले में हो तो क्या करें और क्या न करें

क्या करें–

- तुरंत सुरक्षित आश्रय पर जाएं।इमारतें आश्रय के लिए सर्वोतम हैं लेकिन यदि कोई इमारत उपलब्ध नहीं है,तो आप एक गुफा,खाई या एक घाटी में सुरक्षा पा सकते हैं।
- यदि आपको कोई आश्रय नहीं मिल रहा है,तो क्षैत्र की सबसे ऊंची वस्तु से बचें। यदि आस–पास केवल पेड़ हैं तो जमीन में नीचे झुककर बैठ जाए।
- नीची सतह वाले आश्रय के नीचे छुपें और सुनिश्चित करें कि चुने गये सीान में बाढ़ की संभावना नहीं है।
- धातु की वस्तुओं और संरचनाओं से बचें।
- टापकी गर्दन या पीठ की त्वचा पर झुनझुनी होने या बाल खड़े होने लगे तो समझे कि वज्रपात आसन्न है,तुरंत जमीन पर लेट जाए।

क्या न करें–

- जमीन पर सीधे न लेटें बल्कि सिमट कर गठरीनुमा आकार में लेटें।
- फोन एवं बिजली के तार की फेन्सिग,पेड़ आदि से दूर रहें।

- पानी से बाहर निकलें। यदि छोटी नाव आदि में हैं तो भी तुरंत बाहर निकलें।
- पेड़ के नीचे कदापि शरण न लें क्योंकि लंबे पेड़ बिजली को आकर्शित करते हैं।
- रबर–सोल वाले जूते और कार के टायर बिजली से सुरक्षा प्रदान नहीं करते हैं।

वज्रपात के दौरान यदि यात्रा कर रहें हों तो क्या करें और क्या न करें

क्या करें–

- साइकिल,मोटरसाइकिल,टैक्टर आदि वाहनों से नीचे उतरें क्योकि यह बिजली को आकर्शित कर सकते हैं।
- एक सुरक्षित आश्रय में जाओं।
- यदि नौका विहार या तैराकी कर रहे हों तो पानी से निकलकर जल्दी से जल्दी जमीन में पहुंचे और शरण लें।
- तुफान के दौरान,आपके वाहन में तब तक रहें जब तक मदद नहीं पहुॅचती या तुफान गुजर नहीं जाता (खिड़किया ऊपर होनी चाहिए। गाड़ी को पेड़ो और बिजली लाइनों से दूर पार्क करें।

वज्रपात के दृष्टिकोण से खतरनाक स्थान :–

- बड़े पेड़ो वाले जंगलो के किनारे के भाग
- खुले सीानों पर स्थित खलिहान,छोटे चर्च,चौपाल,लकड़ी की गाड़िया,वॉच टॉवर,झोपड़िया आदि खतरनाक हो सकती है।
- विद्युत लाइनें व धातु संरचनाए।
- फ्लैग मास्ट,टीवी एंटीना मास्ट,पाइप या किसी भी वर्टिकल मेटल फिक्सचर के पास न जाए।
- झीलें और स्विमिंग पूल।
- गोल्फ कोर्स और अन्य खुले मैदान। यहां वजृपात की संभावना अधिक होती है।
- खड़ी चट्टानों और पहाड़ो का किनारा।
- पहाड़ी की चोटी /धाटी की तुलना में बिजली पहाड़ी से टकराती है।
- वज्रपात की सुरक्षा के बिना नाव और टेंट।
- घोड़े,साइकिल,मोटरसाइकिल या खुले ट्रैक्टर की सवारी करना।
- धातु के औजार जैसे कुदाल,कुल्हाड़ी,छाता,धातु का झुला,बगीचे की धातु की कुर्सी आदि।
- खुले मैदान में या छोटे–असुरक्षित कमरों में लोगों की सभाएॅ।
- कार के नजदीक या बहार खड़ा होना।
- गैर–धातु वाले विमानों उड़ान भरना।

वज्रपात सुरक्षा के उपाय :–

- बिजली की गतिविधि के दौरान सबसे सुरक्षित सीान एक बड़ी और बन्द इमारत है,न कि पिकनिक शेल्टर या शेड। एक सुरक्षित भवन वह है जो छत ,दीवारों और फर्श से पूरी तरह से घिरा हुआ है जैसे कि घर,स्कूल कार्यालय भवन या भॉपिंग सेंटर।
- एसयूवी,मिनीवैन,बस,ट्रैक्टर आदि भी कुछ हद तक सुरक्षित हो सकते हैं। यदि आप अपने वाहन में आश्रय चाहते हैं,तो सुनिश्चित करें कि सभी दरवाजे बंद हैं, और खिड़किया बंद हैं। किसी भी धातु की सतहों को न छुए।
- सुरक्षित आश्रय की तला ा करें जब आप पहली बार गड़गड़ाहट सुनते है तथा अंधेरे व गरज वाले बादल देखते हैं।
- लम्बे–लम्बे वृक्षों के नीचे आश्रय न लें । पेड़ आपको सूखा रहने में मदद कर सकता है,लेकिन बिजली की चपेट में आने से आपके जोखिम को बढ़ा देगा। बारि ा आपको नहीं मारेगी,लेकिन बिजली मार सकती हैं।

वज्रपात होने पर की जाने वाली सावधानियां :–

- धातु के औजार जैसे कुदाल,कुल्हाड़ी छाता,धातु का झुला,बगीचे की धातु की कुर्सी आदि।
- छाते,कैची,चाकू आदि जैसी धातु की वस्तुओं से निकटता से बचें।
- दोनो पैरो और घुटनों को मोड़कर फर्श पर बैठें जैसा नीचे द ार्शाया गया है–

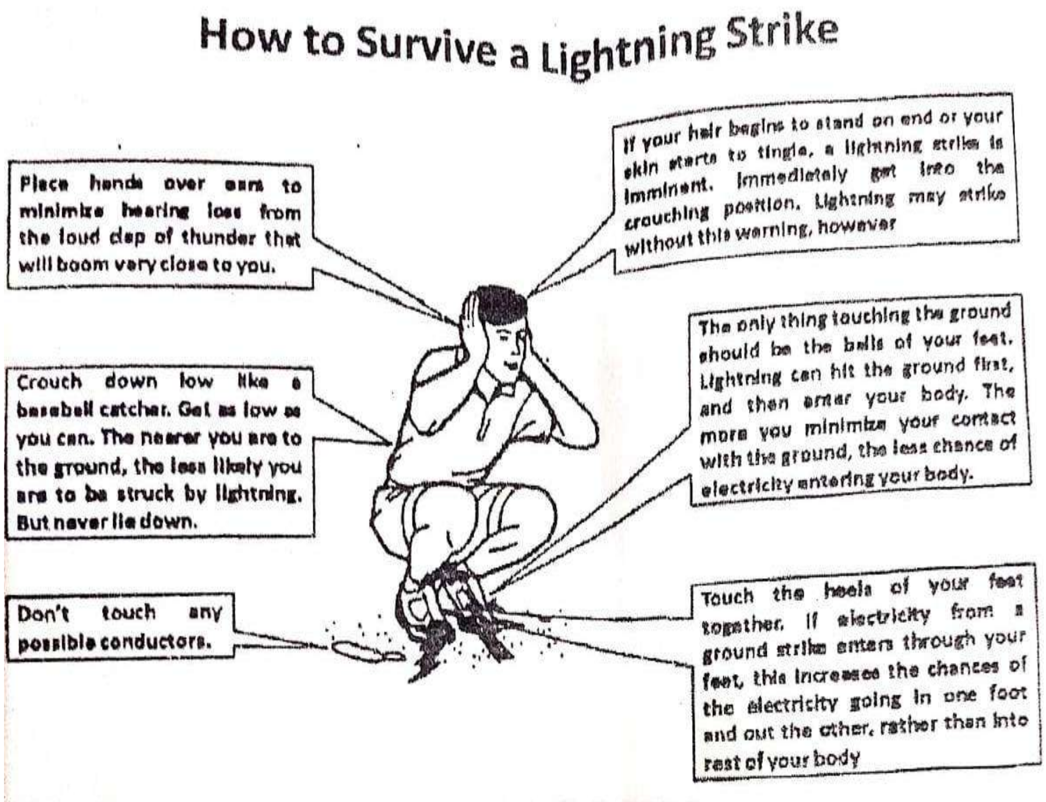

परिशिष्ट – 1 महत्वपूर्ण दूरभाष नम्बरों की सूची

ADMINISTRATIVE						
S.N.	NAME OF OFFICERS/MINISTERS	DESIGNATION	MOBILE NO.	STD CODE	OFFICE	RESIDENCE
1.	डॉ. प्रतिभा सिंह	संभागीय आयुक्त		291	2650540	2650353
2.	श्री हरजी लाल अटल	जिला कलक्टर एवं जिला मजि. फलौदी	9414890094	291	222323	
3. 4.	श्री अजय	अतिरिक्त जिला कलक्टर, फलौदी	9414401041			
5.	श्री गौतम चौधरी	अति.मुख्य कार्यकारी अधिकारी, फलौदी	9929902198			
6.	श्री कौशल गुप्ता	जिला रसद अधिकारी	9772201975			
7.	श्री अशोक आसेरी	संयुक्त निदेशक,सूचना प्रौद्योगिकी एव संचार विभाग फलौदी	9983053744			
8.	श्री सुनिल पंवार	उपखण्ड अधिकारी, फलौदी	9950510429	02925	294301	
9.	श्री पुनमचंद	उपखण्ड अधिकारी, लोहावट	6265523250			
10.	श्रीमती अमृता खण्डेलवाल	उपखण्ड अधिकारी, देचू	7023539169	02921	277050	
11.	श्री सुखाराम पिण्डेल	उपखण्ड अधिकारी, बाप	8955556837			
12.	श्री गजेन्द्र शर्मा	उपखण्ड अधिकारी, बापिणी	8328198470			
13.	श्री गजेन्द्र शर्मा (अति. प्रभार)	उपखण्ड अधिकारी, आऊ	8328198470			
14						
15	श्री भारत मीणा	सहायक सूचना एवं जनसम्पर्क अधिकारी फलोदी	7065597992			
16	CMHO, PHALODI	डॉ. प्रताप सिंह राठौड़	9414703357			
17	PMO, PHALODI	डॉ. प्रेमप्रकाश सुथार	9414671513			
18	जिला रसद अधिकारी फलौदी	श्री कौशल गुप्ता	9772201975			
19	आयुक्त नगरपरिषद, फलौदी	श्री विक्रम सिंह चारण	7737750806			

20	सहायक वन संरक्षक वन विभाग फलौदी	श्री कृष्ण कुमार व्यास	9413608077			
21	महाप्रबन्धक जिला उद्योग एवं वाणिज्यिक विभाग फलोदी	श्रीमती अंजुला आसदेव	8769798259			
22	उपनिदेशक पशुपालन विभाग फलोदी	श्री भागीरथ सोनी	9166369909			
23	अधीक्षण अभियन्ता jvvnl.	श्री यू.के. व्यास	7014084408			
24	अधीक्षण अभियन्ता phed.	श्री ओमप्रकाश वर्मा	8302570782			
25	अधीक्षण अभियन्ता pwd	श्री हजारीराम विश्नोई	9414496199 8107919696			
26	जिला शिक्षा अधिकारी फलोदी	श्री सोहनराम विश्नोई	6350263775			
27	संयुक्त निदेशक/उपनिवेश कृषि विभाग फलोदी	श्री जगदीशचन्द्र मेघवंशी	9414301947			

BDO LIST OF DISTRICT PHALODI

S.N.	NAME OF OFFICERS	PANCHAYAT SAMITI	MOBILE NO.	STD CODE	OFFICE
1	श्री कैलाश पंचारिया	BAP	9982613728		
2	श्री हंसराज गुर्जर	BAPINI	9694700550		
3	श्री धीरेन्द्र प्रताप सिंह	AAU	7021109101		
4	श्रीमती सुनिता परिहार	GHANTAYALI	8107629288		
5	श्री ईश्वरसिंह चौहान	DECHU	7665578138		
6	श्री नारायण सुथार	LOHAWAT	8739849196		
7	श्री ललित गर्ग	PHALODI	7023150175		

TEHSILDAR

S. No.	NAME OF OFFICERS	TEHSIL	MOBILE NO.	STD CODE	OFFICE
1	श्री हड़मानराम भील	BAP	9828270694		
2	श्री झुडांराम	BAPINI	9413857302		
3	श्री हातिम खां	AAU	9414356106		
4	श्री भजनलाल मीणा	GHANTAYALI	9414451740		
5	श्री निरभाराम कोडेचा	DECHU	9414566271		
6	श्री विजय कुमार भाकर	LOHAWAT	6378619146		
7	श्री रामनिवास गोदारा	SETRAWA	9414587910		
8	श्री अजीतपाल सिंह यादव	PHALODI	6398833908		

DISTRICT INDUSTRIES CENTER					
क्र.स.	अधिकारी	पदनाम	कार्यालय	कार्यालय दूरभाष नं.	अधिकारी का मोबाईल नं.
1	ANJULA AASDEV	MANAGEMENT DIRECTOR	DISTRICT INDUSTRIES CENTER JODHPUR		8769798259

परिशिष्ट – 2 आपदा नियन्त्रण कक्ष की सूची – जिला फलौदी

फलौदी शहर/जिलें में विभिन्न विभागों/उपखण्ड़ों पर स्थापित नियन्त्रण कक्षों की सूची/टेलीफोन नम्बर मानसून सत्र – 2025

क्ण्म्ण्व्ण्ब्ण (जिला बाढ़ नियंत्रण कक्ष) कन्ट्रोल रूम	02925.299200
01. प्रभारी अधिकारी–श्री रावतराम जयपाल, नायब तहसीलदार, कार्यालय हाजा फलौदी	82399803218
02. सहायक प्रभारी अधिकारी –श्री अश्विनी भटनागर, अति0 प्रशा0 अधिकारी, कार्यालय हाजा फलौदी	9829259366
3. राज्य स्तरीय इमरजेन्सी ऑपरेशन सेन्टर(एस.ई.ओ.सी.) श्री मक्खन लाल, विषेशाधिकारी, प्रथम, जयपुर	**0141-2227296,2385776,2385777, 0141-2227885 Toll Free No. 1070**

एस.डी.आर.एफ. (कन्ट्रोल रूम)	
श्री गुलाबाराम, कम्पनी कमाण्ड़र,जोधपुर	9414703502,8963814099
श्री भूपेन्द्र सिंह, नियंत्रण कक्ष प्रभारी जयपुर	9352803636

जिला फलौदी की समस्त तहसीलों के कन्ट्रोल रूम की सूची

फलौदी (कन्ट्रोल रूम)	
प्रभारी अधिकारी श्री प्रेम प्रकाश मीणा अति.ओके	9414610260
सहायक प्रभारी अधिकारी श्री रामलाल भू.अ.निरीक्षक	8890458641
लोहावट	
प्रभारी अधिकारी श्री विजय कुमार भाकर, तहसीलदार लोहावट	6378619146
सहायक प्रभारी अधिकारी श्री चैतन प्रकाश गैचन्द ओके	9549625379
देचू	
प्रभारी अधिकारी श्री निरभाराम कोडेचा, तहसीलदार देचू	9414566271
सहायक प्रभारी अधिकारी श्री अर्जुन सिंह अति. ओके	9950980603
सेतरावा	
प्रभारी अधिकारी श्री रामनिवास गोदारा, तहसीलदार, सेतरावा	9414587910
सहायक प्रभारी अधिकारी श्री हरि राम बि नोई भू.अ.नि.	7976643402
आऊ	
प्रभारी अधिकारी श्री हातिम खां तहसीलदार, आऊ	9414356106
सहायक प्रभारी अधिकारी श्री श्रवण कुमार कुलदीप ओके	7014760895
बापिणी	
प्रभारी अधिकारी श्री झुडांराम, तहसीलदार, बापिणी	9413857302
सहायक प्रभारी अधिकारी श्री किशन सिंह, ओके	9636265846
घंटियाली	
प्रभारी अधिकारी श्री भजनलाल मीण तहसीलदार घंटियाली	9414451740
सहायक प्रभारी अधिकारी श्री भरत लाल भू.अभि. निरीक्षक	9799965873
बाप	
प्रभारी अधिकारी श्री हड़मानराम भील तहसीलदार बाप	9828270694
सहायक प्रभारी अधिकारी श्री रामेश्वर लाल, उप तह. भोखासर	9783872538

जोधपुर विद्युत वितरण निगम फलौदी	
श्री यू.के.व्यास अधीक्षण अभियन्ता	7014084408

पशुपालन विभाग (कन्ट्रोल रूम)	
श्री भागीरथ सोनी, संयुक्त निदेशक	9166369909

सी.एम. एच.ओ. (कन्ट्रोल रूम)	
डॉ. प्रताप सिंह राठौड़	9414703357

पुलिस (कन्ट्रोल रूम)– फलौदी	
प्रभारी प्रथम– श्री हुकमा राम हैड कॉनस्टेबल 108	02925.299107ए 8905582100
प्रभारी द्वितीय– पीरा राम हैड. कॉन. 63	7562482233

पी.एच.ई.डी. (कन्ट्रोल रूम) फलौदी	
श्रीमती भारती मंगलानी अधीक्षण अभियन्ता	**9414480604**

बी.एस.एन.एल फलौदी	
श्री मुकेश कुमार जेटीओ, फलौदी	9465791300

जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक– फलौदी (कन्ट्रोल रूम)	
श्री सोहनराम विश्नोई	6350263775

परिशिष्ट – 3 जिला मुख्यालय पर पदस्थापित अधिकारियों/पीएमओ/बीसीएमओ की सूची

DISTRICT LEVEL OFFICER'S				
S. No.	**OFFICE NAME**	**NAME OF OFFICERS**	**CONTACT NO.**	**OFFICE PHONE NO.**
1	CMHO, PHALODI	DR PRATAP SINGH RATHORE	9414703357	
2	PMO, PHALODI	DR PREM PRAKASH	9414671513	
3	PMO, LOHAWAT	DR PRADEEP BISHNOI	9636396129	

BCMO DISTT. PHALODI

S.No.	Block	BCMO	Name	Mobile
1		**AAU**	DR SANJAY SINGH	9694135159
2		**BAP**	DR PRABAT SINGH BHATI	9549009072
3		**BAPINI**	DR RAGHUVEER RAM DHATTARWAL	8949206359
4		**DECHU**	DR MANGILAL SONI	9001800771
5		**GHANTIYALI**	DR SHANKAR LAL	7877019132
6		**LOHAWAT**	DR DHEERAJ BISSA	9660874797
7		**PHALODI**	DR HAJARI MAL SONI	9414418301

CHC'S

S.No.	Block	CHC	Name	Mobile
1	PHALODI	BAWADI KHURD	DR VIJAY BATHOLIYA	7339992252
2	BAP	BAP	DR DINESH	7976860134
3		JAMBA	DR PEMARAM GWALA	7610937181
4		TEPU	DR KARTIK CHOUDHARY	9413058990
5		BARU	DR PARBAT SINGH BHATI	9549009072
6		NOKH	DR SUNIL KUMAR	7062584153
7	GHANTIYALI	KELANSAR	DR APOORVA GODARA	8209120270
8	LOHAWAT	JALODA	DR HARISH KUMAR	9116324343
9	AAU	AAU	DR NAVNEEP CHOUDHARY	9799546612
10		DENOK	DR GAURAV RODIWAL	7568181841
11	DECHU	SDH DECHU	DR KAILASH BISHNOI	6377044960
12		SETRAWA	DR SONAM JATOLIYA	9116324434
13		CHANDSAMA	DR MD. RIZWAN	7728937087
14		PEELWA	DR ISHWAR PANWAR	9929333373
15		BAPINI	DR RAGHUVEER RAM DHATARWAL	8949206359

16	BAPINI	MATODA	DR SHAKIR	9558816063

PHC'S

S.No.	Block	CHC	Name	Mobile
1	PHALODI	KHARA	DR DHARMPAL SINGH BHATI	7610936275
2		SANVREEJ	CHAINSUKH PALIWAL	7568713345
3		LORDIYA	RAMSINGH MEENA	7976248087
4		DHADHU	GIRISH KUMAR VYAS	9782837054
5		HOPARDI	RAHUL RANGA	8114471592
6		NANEU	DR SANGEETA VISHNOI	7728079699
7		MOKHERI	RAHUL RANGA	8114471592
8		MALAR	DR JYOTI SHARMA	6375425839
9		BENGATI HADBUJI	DR JHUMARLAL	7219936473
10		KESHAV NAGAR	MADHURI RANGA	7597068138
11	BAP	KRISHNA NAGAR KALLA	DR PARBAT SINGH BHATI	9549009072
12		KAN SINGH JI KI SHEED	DR PARBAT SINGH BHATI	9549009072
13		KANASAR	DR PARBAT SINGH BHATI	9549009072
14		JALUWALA	DR NARPAT RAM	8239997604

15		**MADASAR**	DR NARPAT RAM	8239997604
16	**GHANTIYALI**	**GHANTIYALI**	DR ABHIMANYU	7976136611
17		**LUNA**	DR SUSHIL BURANIYA	9116435213
18		**BHOJASAR**	SANJAY KUMAR BURDAK	8441980199
19		**BHIYASAR**	SANJAY KUMAR BURDAK	8441980199
20		**RANISAR**	DR NARENDRA KUMAR	9672714981
21		**CHAMPASAR**	DR ABHIMANYU	7976136611
22		**CHAKHU**	SR SUSHIL BURANIYA	9116435213
23		**SADRI**	DR AVINASH PRJAPAT	7792997967
24		**SS NAGAR**	DR DHEERAJ BISSA	9660874797
25		**BHIKAMKOR**	DR KULDEEP SARAN	7014723608

26	LOHAW	PALLI	DR NITIN CHAUDHARY	7597203571
27		HARIOM NAGAR	DR DHEERAJ BISSA	9660874797
28		DAYAKOR	DR DHEERAJ BISSA	9660874797
29		NOSAR	DR PRIYANKA CHOUDHARY	9772956918
30	AAU	CHADI	DR OMPRAKASH	9784276468
31		BARSINGO KA BAS	DR SANJAY SINGH	9694135159
32		MORIYA	DR KAMAL KISHOR	7891354630
33	DECHU	MANDLA KALLA	DR TARACHAND PALIWAL	8949192859
34		KOLU PABUJI	DR RADHA KISHAN	9079260129
35		KALAU	DR MANGILAL SONI	9001800771
36		ASARLAI	DR MANGILAL SONI	9001800771
37		JAITSAR	DR MANGILAL SONI	9001800771
38		CHORDIYA	DR YOGENDRA SINGH	9024935480
39	BAPINI	JAKHAN	DR KUSHAL PRAKASH	8947883604
40		ISHRU	DR RAJENDRA KUMAWAT	9829473722
41		PADASALA	DR MAHAVEER CHOUDHARY	8561000220

परिशिष्ट– 7 एम्बुलेंसो की सूची (108 एम्बुलेन्स बेस लोकेशन जिला फलौदी)

S.NO.	BLOCH NAME	NO. OF AMBULENCE	BASE LOCATION	NAME VEHICLE CHALAK	MOBILE NO.	TYPES OF AMBULENCE
IAP VEHICAL BASE LOCATION LIST						
1	BAP	RJ 14 PE 8168	CHC BARU	Madhav ram suresh	8824735322 9828989798	108
2	BAP	RJ 14 PE 8156	CHC BAP	SANDEEP NARPAT	9521152477 9602461304	108
3	BAP	RJ 14 PE 9777	CHC BAP	RAJU	6375701973	104
4	BAP	RJ 14 PF 6758	CHC JAMBHA	SUBHASH	9875874625	104
5	BAP	RJ 43PA 0513	CHC BAP	DEV BHARTI	9928319893	AMBULENCE TRUST
6	BAP	RJ 15 PA 3027	CHC NOKH	PAPPU	9784323754	AMBULENCE TRUST
7	PHALODI	RJ 14 PE 7603	DIST HOSPITAL	RAMPAL	6350422903	108
8	PHALODI	RJ 14 PE 6447	DIST HOSPITAL	HANUMAN	7340471529	108
9	PHALODI	RJ 14 PE 6710	PHC SANVREEJ	DINESH SONI	8690986540	104
10	PHALODI	RJ 14 PE 9938	DIST HOSPITAL	SAHIRAM	8690985967	104
11	DECHU	RJ 14 PF 7029	CHC DECHU	JODHARAM	9602018858	108
12	DECHU	RJ 14 PF 7112	CHC SETRAVA	UMED SINGH	9928012965	108
13	DECHU	RJ 14 PF 7092	CHC PEELWA	MOHAN RAM	9680627044	108
14	DECHU	RJ 14 PE 9771	CHC DECHU	KISHOR	9783736908	104
15	DECHU	RJ 19 PA 6540	CHC SETRAVA	CHHATRAPAL SINGH	6378211434	104
16	GHANTIYALI	RJ 14 PE 8167	CHC KELANSAR	LAXMAN SHRAWAN	9784105078 7742496814	108
17	GHANTIYALI	RJ 14 PE 9525	CHC KELANSAR	SUBHASH	8560090252	104
18	LOHAWAT	RJ 19 PA 6534	PHC SADRI	SHISHPAL		104
19	LOHAWAT	RJ 14 PE 7116	PHC BHIKAMKOR	GHANSHYAM	7023722233	108
20	BAPINI	RJ 14 PF 7005	PHC BAPINI	BAJRANG RAM	9950089052	104
21	AAU	RJ 14 PF 7137	CHC AAU	DINARAM	9460415923	108
22	AAU	RJ 14 PE 9739	CHC AAU	SUNIL KUMAR	9929230285	104
23	AAU	RJ 14 PF 5843	PHC CHADI	KALYAN SINGH	8690986538	104

परिशिष्ट – 7 गैस एजेन्सियों की सूची

DISTRICT PHALODI GAS AGENCY LIST						
AGENCY NAME	ADDRESS	DISTRICT	PIN CODE	OIL COM.	TELEPHONE	MOBILE NO.
PHALODI GAS AGENCY	PHALODI-NAGAUR ROAD, PHALODI - 342301	PHALODI	342301	IOCL	2925222125	2925222674
BAAP INDANE	BIKANER-PHALODI HIGHWAY, BAAP, JODHPUR-342307	BAAP	342307	IOCL	2921277482	
VAYUSENA GAS	STATION COMMANDER, PHALODI AIR FORCE BASE, PHALODI, DIST.-JODHPUR	PHALODI	342301	BPL	2925248808	
DECHU HP GAS RGGLV	SURVEY NO-2113 V&P- DECHU JODHPUR-DECHU HIGHWAY , 342610 , JODHPUR, RAJASTHAN	DECHU	342610	HPCL	2928218251	
DHANOPESHAWRI HP GAS	V&PO-AAU, NEAR BUS STAND, JODHPUR, 334803	AAU	334803	HPCL	2923255401	
SHREE HARI OM & BAGTESH HP GAS RGGLV	VILL./POST. PEELWA, THE-PHALODI, DIST. JODHPUR,	PEELWA	342309	HPCL		9982105310

DISTRICT PHALODI RURAL GAS AGENCY LIST				
गैस एजेन्सी का नाम	पता	पीन कोड	कम्पनी का नाम	मोबाइल नम्बर
बाप इण्डेन गैस	बाप	342307	IOCL	9001456465
बजरंग इण्डेन ग्रामीण वितरक	राईमलबाड़ा, बापिणी	342312	IOCL	9116179431
कानासर इण्डेन ग्रामीण वितरक	कानासर बाप	342307	IOCL	8976105275
नवदुर्गा इण्डेन ग्रामीण वितरक	देणोक, लोहावट	322308	IOCL	9352680143
फलौदी गैस एजेन्सी	नगर परिषद फलौदी	342301	IOCL	9461030497
राज इण्डेन ग्रामीण वितरक	सेतरावा, शेरगढ़	342025	IOCL	9413132452
रामसरापीर इडियन सर्विस	नगर परिषद फलौदी	342301	IOCL	9460663003
विन्धय इण्डेन ग्रामीण वितरक	बारू बाप	342301	IOCL	9982941310
विष्णु इण्डेन ग्रामीण वितरक	केलनसर बाप	342311	IOCL	9145253257
धनानी एचपी गैस ग्रामीण वितरक	खारा फलौदी	345023	HPCl	9549232029
श्री पदमकृपा एचपी गैस एजेन्सी	सावरिज फलौदी	342314	HPCl	9929856597
श्री हरीओम बगतेश एचपी गैस एजेन्सी	पीलवा लोहावट	342309	HPCl	8209831032
देचू एचपी गैस ग्रामीण वितरक	देचू	342314	HPCl	8949429432
जम्भसरोवर एचपी गैस एजेन्सी	जाम्भा बाप	342301	HPCl	9725912929
बालाजी एचपी गैस एजेन्सी	लोहावट	342302	HPCl	9828949433
हाजी अट्टा मो. भारत गैस	बेगटी कला फलौदी	342301	BPCL	9511576669
श्री आवड़ जी भारत गैस	कानसिंह की सिड बाप	342307	BPCL	8769185015
श्री गुरू कृपा भारत गैस	लूणा बाप	342307	BPCL	9649081451

DISTRICT PHALODI PETROL PUMP LIST					
S. NO.	NAME OF AGENCY	NAME OF PETROL PUMP OWNER	NAME OF COMP.	ADDRESS	MOBILE NO.
1	MS. REGISTHAN MOTORS	SHRI SHARWAN KACHHAWAH	HPCL	MS REGISTAN TORS PHALODI-HP PETORL PUMP-PHALODI RAJASTHAN 342301	9413329651
2	HSD REGISTHAN MOTORS	SHRI SHARWAN KACHHAWAH	HPCL	MS REGISTAN TORS PHALODI-HP PETORL PUMP-PHALODI RAJASTHAN 342301	9413329651
3	PALIWAL AUTOMOBILES	RAMESH CHANDRA PALIWAL	HPCL	M/S PALIWAL AUTOMONILES -HPCL PRTROL PUMP -ON JODHPUR JAISALMER NH 125 VILLAGE DECHU	9414418520
4	TAK FILLING STATOIN	RAM KUMAR VISHNOI	HPCL	M/S TAK FILLING STATOIN -HPCL PETROL PUMP ON PHALODI BAAP NH11-VILLAGE KHEERWA -JODHPUR 342001	9414135964
5	MARUDHAR FILLING STATOIN	SHAITAN SINGH SOLANKI	HPCL	M/S MARUDHAR FILLING STATOIN HPCL PETROL PUMP ON PHALODI BAAP NH 11-PHALODI -DIST JODHPUR PHALODI 342301	9828016711
6	BEGHELA FILLING STATOIN	RAMESH KUMAR	HPCL	BEGHELA FILLING STATOIN HPCL PETROL PUMP ON PHALODI RAMDEVRA NH11- VILLAGE KALRAN- DISTRICT PHALODI	9460039909
7	BABA RAMDEV FILLING STATION	KIRTA RAM MEGHWAL	HPCL	M/S BABA RAMDEV FILLING STATION -HPCL PETROL PUMP ON JODHPUR NAGAR SH19 VLLLAGE KHEECHAN DISTRICT PHALODI	941300400
8	DUNGAR NIDA FILLING STATION	DUNGER SINGH INDA	HPCL	M/S DUNGAR INDA FILLING STATION -HPCL PETROL PUMP ON JODHPUR NAGAR SH19 VLLLAGE KHEECHAN DISTRICT PHALODI	9602401461
9	SHRI MOHAN FILLING STATION	SUBHASH SAHU	HPCL	M/S SHRI MOHAN FILLING STATION -HPCL PETROL PUMP PHALODI GHOOMANPURA SH-28 AIKA BHATIA-PHALODI	9950495389
10	TARUN FILLING STATION	LEELADHAR PALIWAL	HPCL	M/S TARUN FILLING STATION -HPCL PETROL PUMP PHALODI BIKANER NH-11 BAP PHALODI	9414703207
11	TULSI HP	REKH CHAND PALIWAL	HPCL	M/S TULSI HP PETROL PUMP JODHPUR JAISALMER NH-125 VILLAGE GHOOMANPURA- PHALODI	9783271091
12	GOSWAMI FILLING STATION	ROOP PURI GOSWAMI	HPCL	M/S GOSWAMI FILLING STATION -HPCL PETROL PUMP PHALODI OSSIAN-VILLAGE LOHAWAT PHALODI	9414498514
13	SHRI LAXMAN FILLING CENTRE	SEEMA	HPCL	M/S SHRI LAXMAN FILLING CENTRE -HPCL PETROL PUMP PHALODI NAGAUR-SH-19 VILLAGE AAU- PHALODI	9982031605
14	SHRI SUMER FILLING STATION	LAL SINGH	HPCL	M/S SHRI SUMER FILLING STATION -HPCL PETROL PUMP GHOOMANPURA CHANDSAMA ROAD VILLAGE CHANDAMA PHALODI	9983409655
15	BHAT FILLING STATION	MAHIPAL SINGH	HPCL	M/S BHAT FILLING STATION -HPCL PETROL PUMP SHETRAWA SHERGARH 342025	9783795972
16	MANWAR FILLING STATION	MANGI LAL VISHNOI	HPCL	M/S MANWAR FILLING STATION -HPCL PETROL PUMP PHALODI NAGAUR-SH-19 VILLAGE MAURYA- PHALODI -342302	9983398543
17	SHRI BALWANT FILLING STATION	SAROJ KANWAR	HPCL	M/S SHRI BALWANT FILLING STATION -HPCL PETROL PUMP PHALODI NAGAUR-SH-19 VILLAGE CHADI-PHALODI -342312	9828979523
18	SHRI BABA RAMDEV FILLING STATION	ANAND M KARELA	HPCL	M/S SHRI BABA RAMDEV FILLING STATION -HPCL PETROL PUMP VILLAGE KAN SINGH KI SID BAAP- PHALODI -342307	9530180730

19	MODHERN FILLING STATION	DALPAT HINGRA	HPCL	M/S MODHERN FILLING STATION -HPCL PETROL PUMP VILLAGE MANDLAKALAN-JODHPUR JAISALMER NH-125	7568924444
20	VEER TEJAJI PETROLEUM	RAJA RAM	HPCL	M/S VEER TEJAJI PETROLEUM -HPCL PETROL PUMP VILLAGE RAMDEVPURA-PHALODI NAGAUR SH19 -342314	9828031775
	JAI BHAWANI FILLING STATION	HAYDAYAL SINGH CHAMPAWAT	HPCL	M/S JAI BHAWANI FILLING STATION -HPCL PETROL PUMP VILLAGE BAMNOO JODHPUR -345021	9636621291
21	BALAJI FILLING STATION	PUSHPLATA	HPCL	M/S BALAJI FILLING STATION -HPCL PETROL PUMP VILLAGE KHIDRAT ON BAAP BIKANER NH-11 -342307	9414987198
22	SAI FILLING STATION	KUSUM RATHOD	HPCL	M/S SAI FILLING STATION -HPCL PETROL PUMP ON PHALODI JODHPUR ROAD SH-61 PHALODI 342301	9571292943
23	SHREE BHAADARIYA RAY FILLING STATI	PRAKASH CHAND	HPCL	M/S SHREE BHAADARIYA RAY FILLING STATION -HPCL PETROL PUMP VILLAGE NANEU JODHPUR-342301	9460748240
24	B.P. FUEL	SH. ARVIND DAGA	HPCL	BIKANER – JAISALMER ROAD NH 15 AIKA BHATIYA PHALODI DIST PHALODI -342301	9413300298 9414882233
25	AAU FILLING STATION	SMT. BIRMA DEVI SMT. VEENA VISHNOI	HPCL	PHALODI – NAGAUR ROAD (SH-2)VILLAGE AAU TESIL PHALODI DIST PHALODI 342311	9414129728 94612669619 9982090226
26	SHRI JAMBHESHWAR FILLING STATION	SH. SATYA NARAIN RAO (BISHNOI)	HPCL	OSIYAN PHALODI ROAD (SH-2)VILLAGE LOHAWAT TESIL PHALODI DIST PHALODI 342301	9772987353 9414069119
27	SHREE BABA RAMDEV FILLING STATION	SMT. CHANCHAL	HPCL	VILLAGE PUNASER TTESHIL OSIYAN DIST -JODHPUR -342312	9828955381 8058844284
28	JAI BABA RAMDEV FILLING STATION	SH. HARISH KUMAR MALI	HPCL	VILL. EKAN BHATIYAN ON MUKHERI TO EKAN BHATIYAN TEHSIL PHALODI DIST -PHALODI 342301	9413579405 9982211461
29	JAMBH SHAKTI FILLING STATION	SH. RESHMA RAM BISHNOI	HPCL	VILLAGE – MALAR PHALODI TO BAAP ON NH-12 TEHSIL BAAP DIST PHALODI 342301	9828149834 8233294406 9414195353
30	LEELA PETROLEUM	SMT. SAMPAT GODARA	HPCL	VILLAGE – KALRA ON KALRA - RAMDEVRA ROAD NH 15 TEHSIL PHALODI DIST PHALODI	9352930225
31	RAMDEV FILLING STATION	SH. RAMRAKH RAM MEGHWAL	HPCL	VILLAGE SANWRIZ TEHSIL PHALODI DIST PHALODI 342301	9928752085 9928829392
32	NILKANTH FILLING STATION	SMT. LALITA	HPCL	PHALODI NAGAUR ROAD PHALODI (SH19) VILLAGE RAGUNATHPURA TEHSIL LOHAWAT DIST PHALODI 342301	8094209330
33	UDAY FILLING STATION	SH. SUMER	HPCL	PHALODI TO NAGAUR RAOD SH 19 VILLAGE SHAITAN SINGH NAGAR TEHSIL LOHAWAT DIST PHALODI 342301	9783098080 9649081451

LIST OF IOCL PETROL PUMPS IN PHALODI DISTRICTS AS ON 20.06.2024

NAME		DEALER NAME	ADDRESS	CONTACT NO
1	LICHMICHAND RADHEYSHYAM	JAGDISH PALIWAL	INDIAN OIL BAAP TEHSIL PHALODI DISTRICT PHALODI	9414134867
2	SAMARATHAL FILLING STATION	HUSSAIN MOHOMMED	INDIAN OIL DEALER CHADI CHOTINA TEHSIL PHALODI DIST PHALODI	9772987353
3	SHRI RAM SINGH OL .F/S	SHRIRAM SINGH	INDIAN OIL DEALER KHINYASARIAN NH -114 SHETRAWA DIST PHALODI	9829348166
4	SHRI RADHEYSHYAM PALIWAL IN CO	BHANWAR LAL PALIWAL	INDIAN OIL DEALER ADARSE NAGAR NH15 PHALODI DIST PHALODI	9413329506
5	KALYAN FILLING STATION	MOTI SINGH	INDIAN OIL DEALER DECHU TEHSIL SHERGARH DIST PHALODI	9982600424

6	PARVATI AUTOMOBILES	GANGA BISHAN RATHI	INDIAN OIL DEALER BAAP TEHSIL PHALODI DIST – PHALODI	8766068281
7	MANOHAR AUTOMOBILES KSK	MANOHAR PALIWAL	INDIAN OIL DEALER NENAU TEHSIL PHALODI DIST PHALODI	9413319705
8	SHIRI LAXMI KISAN SEWA KENDRA	UMEDRAM / RAJU SINGH	INDIAN OIL DEALER KALAU TEHSIL SEERGARH DIST PHALODI	9414128056
9	BHAKAR KISAN SEWA KENDER	PREMLATA CHOUDHRY	INDIAN OIL DEALER OSIAN ROAD AAU TEHSIL PHALODI DIST PHALODI	9950793726
10	D/D PALIWAL COM.	LILADHAR PALIWAL	INDIAN OIL DEALER SANVARU TEHSIL PHALODI DIST PHALODI	9602604051
11	JAI GOPAL KISAN SEWA KENDER	SANGEETA KANWAR	INDIAN OIL DEALER BAWRI KALAN TEHSIL PHALODI DIST PHALODI	9660179554
12	M/S MR PALIWAL PETROLEUM	REWATI LAL PALIWAL	VILLAGE EKA BHATIYA MOKHERI PHALODI DIST PHALODI	9828205965
13	HARSHTI INDIAN OLN	RAMESH KUMAR VISHNOI	VILLAGE MORIYA TEHSIL PHALODI STATE HIGHWAY 19	9414562325
14	SH RAMU RAM CHOUDHARY LO KSK	MADAN RAM	VILLAGE CHIMANA POST CHIMANA TEHSIL PHALODI DIST PHALODI	9461943809
15	SHRI OM SHANTI FILLING STATION	DENESH KUMAR JAIN	VILLAGE KHICHAN PHALODI BETWEEN KM STONE 5 TO 15	9414495845
16	MAA KRIPA KISAN SEWA KENDER	LEELAN KANWAR	VILLAGE SIHIDA PHALODI DIST PHALODI	9928851724
17	JAI JAMBHESHWAR FILLING	BIRMA RAM VISHNOI	VILLAGE PABUCHHANWARA TEHSIL PHALODI DIST PHALODI	9783615040
18	GUMANPURA FILLING STATION	KIRTI SINGH	VILLAGE GUMANPURA TEHSIL SHERGARH ON NH 114	9602630157
19	SHRI GURU KRIPA FILLING STATION	RAJESH	VILLAGE AAU TEHSIL PHALODI DIST6 – PHALODI	7726044233
20	JAY PETROLEUM	NARESH KUMAR VYAS	VILLAGE PHALODI TEHSIL PHALODI DIST PHALODI	9509437171
21	FOJI FILLING STATION	BHANWAR LAL	VILLAGE BAINGTI KHURRD TEHSIL PHALOD DIST – PHALODI	8529730291
22	SETRAWA FILLING STATION	MOHAN SINGH RATHORE	VILLAGE SETRAWA TEHSIL SHERGARH DIST PHALODI	9799793001
23	HAJI UMAR FILLING STATION	SAGAR KHAN	HAJI NAGAR TEHSIL BAAP DIST PHALODI	9928172787
24	MAHADEV FILLING STATION	SURJI DEVI	UDAY NAGAR TEHSIL BAPINI	9828344127
	MAHADEV FILLING STATION KANASER	SANJAY KUMAR VISHNOI	VILLAGE KANASER TEHSIL BAAP DIST PHALODI	9923226701
	SHRI LAXMI FILLING STATION	MAHIPAL SINGH	VILLAGE NOKH ,POKRAN	9799224458
	VISHNU PETROLEUM KUNDAL	BHAKAR RAM VISHNOI	PHALODI TO BANGTI KALAN ROAD KUNDAL TEHSIL PHALODI DIST PHALODI	9460533305
	JAKHAR KISAN SEWA BHADLA	VISHAL JAKHAR	VILLAHE BHADLA TEHSIL BAAP DIST PHALODI	9549030000
	MARWAR FILLING STATION	SHARDA VISHNOI	VILLAGE PHALODI TEHSIL PHALODI DIST PHALODI	9828665764
	DHUNDHWAL INDIAN OIL	DEVARAM DHUNDHWAL	VILLAGE SHREE RAM DEV NAGAR TEHSIL AAU DIST PHALODI	8769697555

परिशिष्ट – 9 ब्लड बैंकों की सूची

PHALODI	GOVT. HOSPITAL PHALODI	GOVT.
PHALODI	KLAPURNA HOSPITAL KHEECHN	GOVT.

परिशिष्ट – 10 पुलिस फलौदी शहर की सूची

पुलिस अधीक्षक फलौदी में उपलब्ध सामान की सूचीः–

पुलिस आयुक्तालय में उपलब्ध रैस्क्यू सामान की सूचीः–

01. ड्रेगन लाईटः– पुलिस लाईन में 01 नग हाईडेनसिटी सर्च लाईट उपलब्ध है। शेश सभी कार्यालयो एवं पुलिस थानों में भी ड्रेगन लाईट/हाईडेनसिटी सर्च लाईट उपलब्ध है।
02. पेट्रोमेक्स /रस्सा/ट्यूब/माईक सिस्टम जिसमे से जिले में फस्ट एण्ड बोक्स 01 उपलब्ध है।

जिले में उपलब्ध तैराक की सूचीः–

क्र.स.	ब्लॉक का नाम	गाव का नाम	तैराक नाम	मोबाईल नम्बर
1.	**देचू**	लालपुरा	श्री रतनाराम पुत्र श्री धोकलाराम	9928352696
2.	देचू	जालपुरी	श्री मूलाराम पुत्र श्री मंगलाराम	9783635271
3.	देचू	जालपुरी	श्री गेनाराम पुत्र श्री रूघाराम	9783650173
4.	देचू	शिवपुरा	श्री गंगाराम	9783679950
5.	देचू	शिवपुरा	श्री गणेश	9672133186
6.	देचू	शिवपुरा	श्री जगदीश	7849848463
7.	देचू	लिछमण नगर	श्री सुखसिंह पुत्र श्री गिरधारी सिंह	9672321077
8.	देचू	खेड़ाबागोड़िया	श्री बाघ सिंह पुत्र श्री लूणसिंह	9588076671
9.	देचू	पीलवा	श्री ईश्वर सिंह पुत्र श्री खीवसिंह	7878292409
10.	देचू	सेतरावा	0	0
11.	**बाप**	रमजानुपरा	श्री मोहम्मद शरीफ	9783816470
12.	बाप	भींवजी का गांव	श्री सदाम	8302579115
13.	बाप	रमजानपुरा	श्री सतार	8619687423
14.	बाप	भीवजी का गांव	श्री अकूब खां	7878492449
15.	बाप	हिंडालगोल	श्री हनीफ	9414427827
16.	बाप	बाप	श्री सिकन्दर	9772020725
17.	बाप	जैतडासर	श्री शाबीर	9352850166
18.	बाप	बाप	श्री बजरंगलाल	9571929295
19.	बाप	बाप	श्री प्रेमसुख	7734813592
20.	बाप	बाप	श्री नारायण	7665590039
21.	बाप	बाप	श्री पूनमचंद	7877363704
22.	बाप	बाप	श्री जगदीश	8764036399
23.	बाप	बाप	श्री हरीश	8764036399
24.	**घंटियाली**	केलनसर	श्री मोहनराम	8094983839
25.	घंटियाली	केलनसर	श्री सुखराम	9783898537
26.	घंटियाली	केलनसर	श्री सुनील	9549519108
27.	घंटियाली	चिमाणा	श्री मोडाराम	9460053644
28.	घंटियाली	चिमाणा	श्री युवराज	6367916848
29.	घंटियाली	रोहिणा	श्री तुलछाराम	9610700454
30.	घंटियाली	बुगडी	श्री माधाराम	9549534741
31.	घंटियाली	बुगडी	श्री अरविन्द	9680828459

32.	घंटियाली	घंटियाली	श्री पन्नाराम	9772184819
33.	घंटियाली	घंटियाली	श्री उमाराम	9549731863
34.	घंटियाली	जैसला	श्री विकास	
35.	घंटियाली	लुणा	श्री पदमसिंह	
36.	**लोहावट**	आमला	श्री देवाराम	7742297943
37.	लोहावट	रामदेवनगर	श्री तिलोकराम	6376124612
38.	लोहावट	कालीमाली	श्री जयनारायण	6350142025
39.	लोहावट	इंदों की ढाणी 2	श्री मूलसिंह	9468888386
40.	लोहावट	केरलानाडा	श्री कृश्ण भार्मा	6377276782
41.	लोहावट	चैनपुरा	इब्राहीम	8239886761
42.	लोहावट	छीला	ओमप्रकाश	9928305094
43.	लोहावट	बेरियों की ढाणी	गुलाब बसीर	9024506980
44.	लोहावट	जम्भेश्वर नगर	राधेश्याम	9414562131
45.	लोहावट	सुन्दरनगर	धनाराम	9982486252
46.	लोहावट	जेरिया	प्रकाश	7878072489
47.	लोहावट	जांगुबाना की ढाणी	गनी	9610696936
48.	लोहावट	जालोडा	भैरूसिंह	8239509181
49.	लोहावट	ढेलाना	महेश	7742685449
50.	लोहावट	दयाकोर	शिवराम	9001384810
51.	लोहावट	चिकनीनाडी	अशोक सुथार	9828201160
52.	लोहावट	धोलासर	नेक मोहम्मद	8003646117
53.	लोहावट	नयाबेरा	किशनगिरी	8875445566
54.	लोहावट	नोसर	पूनम विश्नोई	9636479547
55.	लोहावट	पल्ली	सुरजाराम	6376525809
56.	लोहावट	पल्ली प्रथम	मांगीलाल	8769132090
57.	लोहावट	बेन्दों का बेरा	सुगनाराम	9509048683
58.	लोहावट	भीयाडिया	गोपाल विश्नोई	8209770460
59.	लोहावट	भीकमकोर	मुकेशं	9680971910
60.	लोहावट	मूलराज	बनवारीलाल	9982382274
61.	लोहावट	रूपाणा जैताणा	घमण्डाराम	6377663852
62.	लोहावट	लोहावट जाटावास	दिनेश चौधरी	9587581694
63.	लोहावट	हीरामोतीनगर	इलियास	9983455078
64.	लोहावट	लोहावट विशनावास	राजेन्द्र कुमार	7974726092
65.	लोहावट	भौतानसिंहनगर	खींयाराम	7737831316
66.	लोहावट	सदरी	श्रीराम	9528340592
67.	लोहावट	भजननगर	भूराराम	9571052924
68.	लोहावट	विष्णुनगर	बुधाराम	9983923987
69.	लोहावट	पल्ली द्वितीय	रमेश	9024505655
70.	लोहावट	हरिओमनगर	राजू प्रजापत	7851050357
71.	लोहावट	हंसादेश	ओमप्रकाश	9660958450
72.	लोहावट	फतेहसागर	ओमप्रकाश	9694447571
73.	लोहावट	कुशलावा	श्यामलाल	9982514301
74.	लोहावट	धाराबागापुराण	महिपाल विश्नोई	9950610123
75.	**फलौदी**	मलार	महेश चाण्डा	8200180001
76.	फलौदी	मलार	विनय चाण्डा	9602214735
77.	फलौदी	मलार	कैलाश	6375719172
78.	फलौदी	मलार	अजरूद्दीन	9649990886
79.	फलौदी	फलौदी	पन्नालाल पहलवान	9461144411
80.	फलौदी	फलौदी	महेश व्यास	7440313131
81.	**आऊ**	पलीना	श्रवणसिह पुत्र श्री किस्तुरसिंह	9511599626
82.	आऊ	केरला	जमाल खॉ पुत्र श्री बाबू खॉ	9712154594
83.	आऊ	सियोलनगर	नारायणराम	97720600746
84.	आऊ	सियालनगर	प्रेमाराम	7877014066
85.	आऊ	श्री लक्ष्मण नगर	शंकर विश्नोई	9549365318
86.				
87.				

जिले में उपलब्ध ट्रेक्टर, क्रेन, जे.सी.बी. की सूचीः–

क्र.स.	संबंधित तहसील का नाम	मालिक का नाम	गांव का नाम	मोबाईल नम्बर	वाहन का प्रकार
1	देचू	1. योगराज सिंह पुत्र कालूसिंह	उंटवालिया	9983366910	जेसीबी
		2. देवाराम पुत्र पाबूराम	अणदनगर	9664249310	जेसीबी
		3. नकताराम	चांदसमा	9983326178	जेसीबी
		4. नारायण सिंह	चांदसमा	9001818160	जेसीबी
		5. जसुराम	शिवपुरा	9783106301	ट्रेक्टर
		6. रेवन्तराम	शिवपुरा	6350303339	ट्रेक्टर
		7. झब्बर सिंह	चांदसमा	8239860960	ट्रेक्टर
		8. नकताराम	जवाहरपुरा	9983326178	जेसीबी
		9. घमेखां	लालपुरा	9602961855	जेसीबी
		10. हनीफ खां	लालपुरा	8890625540	जेसीबी
		11. नारायण सिंह	लालपुरा	9001818160	जेसीबी
		12. प्रहलादराम पुनियां,	रावतगढ	9649541365	ट्रक,
		13. सलीम खां,	लालपुरा	9001930286	ट्रक,
		14. उम्मेद सिंह,	कोलू निम्बायत	8306696656	जेसीबी
		15. ओम सिंह ,	सोढो का मडला	9587539159	जेसीबी
		16. सुभाष,	रिड़मलसर	9928293417	जेसीबी
		17. राधेश्याम,	मड़ला खुर्द	7568475046	जेसीबी
		18. इब्बास,	मोहरसर	6378923195	ट्रेक्टर
		19. भंवरू राम,	बाबा रामदेव नगरी	9828615585	ट्रेक्टर
		20. जसवंत सिंह,	रावत नगर	9610166371	जेसीबी
2.	सेतरावा	1. श्री राजेन्द्र कुमार भार्मा	सेतरावा	9772989826	जेसीबी
		2. श्री जोसेफ खा	पदमपुर	6375580550	जेसीबी
		3. श्री प्रभुसिंह	चौरडिया	6376483533	जेसीबी
		4. श्री गोरधराम हुड्डा	भींवसागर	9828127829	जेसीबी
		5. श्री रमेश भाकर	कलाऊ	8949092677	जेसीबी
		6. श्री हिरसिंह	आसरलाई	8610458911	जेसीबी
3.	घंटियाली	1. श्री सुखराम	केलमसर	9783898537	ट्रेक्टर
		2. श्री भंवरलाल	चम्पासर	9772729917	जेसीबी
		3. श्री रामनिवास	केलमसर	9024401814	ट्रेक्टर
		4. श्री मोमराज	केलमसर	9660989377	ट्रेक्टर
		5. श्री सोनाराम	चिमाणा	7665742439	ट्रेक्टर
		6. श्री बन्नेसिंह	चिमाणा	7665173148	ट्रेक्टर
		7. श्री मांगीलाल	चिमाणा	9828125439	जेसीबी
		8. श्री प्रेमसिंह	रोहिणा	9828695443	जेसीबी
		9. श्री अशोक शर्मा	रोहिणा	9983994003	ट्रेक्टर
		10. श्री सवाई सिंह	बुगडी	7020602008	जेसीबी
		11. श्री लिखमाराम	नारायणपुरा	8239280270	जेसीबी
		12. श्री खेमाराम	नारायणपुरा	7742518459	ट्रेक्टर
		13. श्री सुजाराम	चाखु	9928524208	ट्रेक्टर
		14. श्री देबुराम	चाखु	9828097034	ट्रेक्टर
		15. श्री कन्नीराम	घंटियाली	9982246199	ट्रेक्टर
		16. श्री गौतम	घंटियाली	9664079311	जेसीबी
		17. श्री रामप्रताप	लुणा	8209159911	जेसीबी
		18. श्री केशुराम	लुणा	9783772130	ट्रेक्टर
		19. श्री महेन्द्रसिंह	लुणा	9783139315	ट्रेक्टर
		20. श्री सुभाष	जैसला	9982105713	जेसीबी
		21. श्री हडमानराम	जैसला	8112211974	ट्रेक्टर

4.	बाप	1. श्री कमल सुथार 2. श्री राधे याम 3. श्री ईशाक खा 4. श्री हाजी सराहदीन 5. श्री हाजी बिलाल 6. श्री बालमदीन 7. श्री रेशमाराम 8. श्री हजारीराम 9. श्री भैरूसिंह 10. श्री केसूराम 11. श्री भंवरसिंह 12. श्री यारू खां 13. श्री सांगसिंह भाटी 14. श्री कृशणपालसिंह	बाप बाप जैतडासर जैतडासर हिण्डालगोल घटोर जाम्बा कानासर बडीसिड कल्याणसिंह की सिड मनचीतिया घटोर कानसिंह की सिड कानसिंह की सिड		क्रेन/हाईड्रो ट्रेक्टर जेसीबी जेसीबी ट्रक, जेसबी ट्रेक्टर ट्रक ट्रेक्टर ट्रक, जेसबी ट्रेक्टर ट्रक, जेसबी ट्रेक्टर ट्रक, जेसबी ट्रेक्टर ट्रक ट्रेक्टर ट्रक ट्रेक्टर ट्रक ट्रेक्टर कैम्पर गाडी ट्रेक्टर जेसबी
5.	लोहावट	1. श्री रमजान 2. श्री कुंभाराम 3. श्री जेठूसिंह 4. श्री हिमताराम 5. श्री अशोक 6. श्री हाजी खा 7. श्री शाबीर 8. श्री इंसाफ 9. श्री श्याम 10. श्री अशोक 11. श्री राकेश 12. श्री उमर 13. श्री मदन 14. श्री विजयसिंह 15. श्री जोले खां 16. श्री सिकन्दर 17. श्री ईशाक 18. श्री श्रवण 19. श्री दिनेश 20. श्री प्रदीप 21. श्री मोहनसिंह 22. श्री पूनाराम 23. श्री महिपाल 24. श्री अचलसिंह 25. श्री सहीद 26. श्री भोमसिंह 27. श्री पपुराम मायला 28. श्री अदरीम रफीक 29. श्री महेन्द्र 30. श्री ईशाक 31. श्री भूरे खां 32. श्री मांगीलाल 33. श्री महेन्द्र 34. श्री नैनाराम	पल्ली II रामदेवनगर कालीमाली इंदों की ढाणी II केरलानाडा चैनपुरा छीला डेरियों की ढाणी जम्भेश्वरनगर चन्द्रनगर जेरिया जांगुबाना की ढाणी जालोडा ढेलाना दयाकोर चिकनीनाडी धोलासर नयाबेरा नोसर पल्ली पल्ली I बेन्दों का बेरा भीयाडिया भीकमकोर मूलराज रूपाणा जैताणा लोहावट जाटावास हीरामोतीनगर लोहावट वि नावास भौतानसिंहनगर सदरी भजननगर विश्णुनगर पल्ली II	9782619968 8949903393 8619385910 8190385560 9672932929 8208754427 6376308503 9649708733 9672056119 9950519527 7023917129 9680399505 9338111029 8890867055 9982770241 9799533117 9581094718 7742408045 7023702146 7727978929 9057283682 9950252615 9602413455 9928253147 9667514452 9414404777 6377397127 8949242523 6376318556 9588094718 6375617045 9636393878 9399264449 9983686964	जेसीबी जेसीबी

		35. श्री हिमताराम	हरिओमनगर	8890385560	जेसीबी
		36. श्री महेन्द्र	हंसादेश	6376318656	जेसीबी
		37. श्री सोनाराम	फतेहसागर	8696861716	जेसीबी
		38. श्री इंसाफ अली	कुशलावा	9649708733	जेसीबी
		39. श्री नैनाराम	धाराबागापुराण	9983731957	जेसीबी
6.	फलौदी	1. श्री कासम खा	रिण	9950064683	जेसीबी
		2. श्री असलम खां	रिण	8955395728	जेसीबी
		3. श्री अकरम	रिण	8209681752	जेसीबी
		4. श्री कन्हैयालाल	फलौदी	9413329779	जेसीबी
		5. श्री संतोश माली	फलौदी	9549652341	जेसीबी
		6. श्री राजू माली	फलौदी	9828135717	जेसीबी
		7. श्री पन्नालाल व्यास	फलौदी	9414412367	जेसीबी
		8. श्री रामरख	फलौदी	9983832929	जेसीबी
7	आऊ	1 श्री मेमूद खॉ	आऊ	6376684104	ट्रेक्टर
		2 श्री उब्बेदअली पुत्र दीने खॉ	आऊ	9772059232	ज्सीबी
		3 श्री राजु सिंह पुत्र खुशाल सिंह	आऊ	9549215521	ट्रेक्टर
		4 श्री हासम खॉ पुत्र श्री आमिन खॉ	आऊ	9772728191	जेसीबी
		5 श्री गणेशाराम पुत्र श्री श्रीराम	आऊ	9082538779	ट्रेक्टर
		6 श्री उम्मेद अली	आऊ	9828403954	जेसीबी
		7 श्री शोकत अली पुत्र श्री शेर खॉ	आऊ	8290169595	जेसीबी
		8 श्री जसवंत सिंह पुत्र श्री राणुसिंह	आऊ	9828140959	ट्रेक्टर
		9 श्री भागीरथ	आऊ	9137681539	ट्रेक्टर
		10 श्री भोपालसिंह	आऊ	8302447938	ट्रेक्टर
		11 श्री केसाराम	आऊ	8619476175	जेसीबी
		12 श्री मोहनराम	आऊ	9885140372	ट्रेक्टर
		13 श्री रामुराम	आऊ	6377315550	जेसीबी
		14 श्री घेवरराम	आऊ	9660370744	ट्रेक्टर
		15 श्री मोहनराम	आऊ	9785140372	ट्रेक्टर
		16 श्री धन्नाराम बरड़	आऊ	6375001300	जेसीबी
		17 श्री मोहनराम बरड़	आऊ	9572143414	जेसीबी ट्रेक्टर

परिशिष्ट – 11 पुलिस विभाग में उपलब्ध वायरलेसों, वाहनों एवं कर्मचारियों की सूची

जिला फलौदी का क्षैत्रफल 1066359 वर्ग किलोमीटर हैं, जिसमें 218 ग्राम पंचायते (राजस्व गांव 995)है। जिला फलौदी में 08 तहसीलें फलोदी, बाप, लोहावट, देचू,आउ,बापिणी,सेतरावा, घंटियाली एवं 06 उपखण्ड फलौदी, बाप, लोहावट,देचू, बापिणी,आउ, हैं। जिला फलौदी में 07 पंचायत समितियो फलौदी, बाप, लोहावट, देचू, आउ, घंटियाली, बापिणी हैं। जिला फलौदी में 02 वृत कार्यालय व 10 पुलिस थाने एवं 08 पुलिस चौकियां हैं।

जिला फलौदी की वर्तमान नफरी निम्न प्रकार हैं :

क्र.सं.	पदनाम	स्वीकृत	वर्तमान	रिक्त पद
1	पुलिस अधीक्षक	01	01	.
2	अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक	01	01	.
3	उप अधीक्षक पुलिस	03	02	01
4	पुलिस निरीक्षक	11	07	04
5	उप निरीक्षक	21	11	10
7	उप निरीक्षक एमटी	01	.	01
8	सहायक उप निरीक्षक	83	34	49
9	हैड कानि सामान्य	90	52	38
10	हैड कानि. आरमोरर	.	.	.
11	हैड कानि0 एमटी	06	02	04
12	कानि0 सामान्य	472	268	204
13	कानि. एमटी	38	19	19
.				–
योग		727	397	330

फलौदी जिले में निम्नानुसार वाहन उपलब्ध है।

क्र.सं.	वाहन का प्रकार	स्वीकृति	मौजूदा
1	लाईट वाहन(स्कोपियो,इरटीगा,एसक्रोस,रिवीफ्ट,एसयूीव,बोलेरो थार जीप,टवेरा आदि)	19	19
2	इन्टरसेप्टर	02	02
3	बेलरो कैम्पर	03	03
4	वज्र वाहन	01	.
5	मिडियम वाहन (बस)	01	01
6	मिडियम वाहन (ट्रक)	01	01
.	हैवी वाहन(बडी बस)	01	01
8	हैवी वाहन (क्रेन)	.	.
9	वाटर टैंकर बडा	.	01
10	मोटर साईकिल	37	37
11	हैवी ट्रक		
12	**एम आई वी/एम आई यू**	03	03

संचित निरीक्षक पुलिस लाईन फलौदी एवं जिला एम.टी.ओ. विभागीय वाहनों को हर समय ओके कण्डीशन में रखेंगे तथा वाहनों में ईंधन की पूर्ति तथा उनको सुरक्षित क्षैत्र में पार्किंग की व्यवस्था करेंगे।

जिला पुलिस अधीक्षक फलौदी के अधिकारियों /कर्मचारियो की पदस्थापित सूची :

क्र सं.	नाम कार्यालय / वृत्त कार्यालय / पुलिस थाना	अधिकारी का नाम	पद नाम	टेलिफोन कार्यालय	मोबाईल नं0 /	सीयूजी नं0	कॉल साईन
1.	कार्यालय पुलिस अधीक्षक	श्रीमती पुजा अवाना आई.पी.एस.	पुलिस अधीक्षक फलौदी	02925–299100	9540002444	–	TIGER
2.	कार्यालय अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक	श्री ब्रजराज सिंह चारण	अति. पुलिस अधीक्षक फलौदी	02982–220930	9413752171	–	BRAVO
3.	वृताधिकारी फलौदी	श्री अचल सिंह देवड़ा	वृताधिकारी फलौदी	02925–223540	7023892755	7220033321	PETER
4.	पुलिस थाना फलौदी	श्री महेन्द्रदत शर्मा	नि.पु.थानाधिकारी	02925–223590	9414635289	–	FORT-1
5.	पुलिस थाना नोख	श्रीमती शारदा	उ.नि. थानाधिकारी	–	9799600749	–	FORT-2
6.	पुलिस थाना बाप	श्री रमेश कुमार ढाका	नि.पु. थानाधिकारी	02921–277230	9983591733	–	FORT-4
7.	पुलिस थाना जाम्बा	श्री खेताराम	उ.नि. थानाधिकारी	–	9413744474	–	FORT-5
8.	पुलिस थाना चाखु	श्री रामेश्वरलाल	नि.पु. थानाधिकारी	–	9413801116	–	FORT-6
9.	वृताधिकारी लोहावट	श्री संग्राम सिंह	वृताधिकारी लोहावट	02923–266243	9216859058	–	PETER-1
10.	पुलिस थाना, भोजासर	श्री अशोक कुमार	उ.नि. थानाधिकारी	–	9414677395	–	FORT-7
11.	पुलिस थाना मतोड़ा	श्री दाऊद खॉ	उ.नि. थानाधिकारी	8764519538	9549171386	–	FORT-8
12.	पुलिस थाना लोहावट	श्री धर्मपाल	नि.पु.थानाधिकारी	02923–266242	9414482125	8764860097	FORT-9
13.	पुलिस थाना देचू	श्री शिवराज सिंह	नि.पु. थानाधिकारी	02928–266111	9414503898	9530441402	FORT-10
14.	रिर्जव पुलिस लाईन फलौदी	श्री श्याम सिंह	उ.नि.संचित निरीक्षक	–	7976790317	–	–

पुलिस चौकियां फलौदी :

क्र. सं.	नाम चौकी	नम अधिकारी / कर्मचारी	पद व नम्बर	मोबाईल नं. .	सीयुजी नं.
1.	सेतरावा चौकी	श्री जसाराम	ए.एस.आई.	9351909022	
2.	चौकी चाडी	श्री मुकेश	वानि 287	9982166418	
3.	चौकी आउ	श्री पिथाराम	कानि. 443	960565274	
4.	कस्बा चौकी फलोदी	श्री खुमाणा राम	हैड कानि.	7976784903	
5.	खीचन चौकी	श्री पदमा राम	सउनि	9784322662	
6.	कानासर (अस्थाई)	श्री भवरंलाल	सउनि.	9772904900	
7.	भड़ला	श्री नाशिर खॉ	सउनि0	9460008339	
8.	पिलवा	श्री गोविन्दराम	हैड कानि.	8094346157	

LIST OF NGO IN JODHPUR		
NAME	REGISTRATION NO.	ADDRESS
GYAN JYOTI SIKHSAN SANSTHAN	136/JODHPUR/03-04 (17-10-2003)	GYAN JYOTI SIKHSAN SANSTHAN VILL-BAP TEH- PHALODI DIST- JODHPUR
SAHAJ SANSTHAN	191/JODHPUR/1999-2000	B-182, JAWAHAR COLONY, KHEECHAN-342308 PHALODI RAJ.
SARWODAY VIKASH SAMITI	263/JODHPUR/09-10 28.	PHA
HIRAN RAKSHARTH SAHID SHRI SHAITANSINGH GOUSHALA SAMITI BHOJASAR	285/JODHPUR/2014-15	BHOJASAR PHALODI
SAATHI SANSTHAN	324/JODHPUR/07-08	PHALODI
SANT SURJANDAS POONIYAN DHARMARTH SANSTHA	SANT SURJANDAS POONIYAN DHARMARTH SANSTHA	PHALODI
SHREE PAKSHI CHUGGA GHAR SANSTHA KHICHAN PHALODI	COOP/2020/JODHPUR/200213	KHICHAN PHALODI
ALAKNANDA EDUCATIONAL RESEARCH AND WELFARE SOCIETY	COOP/2020/JODHPUR/200506	PHALODI
POONASAR KHURD SHRI MAHADEV GAUSHALA SAMITI	COOP/2021/JODHPUR/200745	POONASAR KHURD PHALODI
JAGADGURU JAMBHESWAR SADHU MAHASABHA SANSTHAN JAMBHA	JAGADGURU JAMBHESWAR SADHU MAHASABHA SANSTHAN JAMBHA	JAMBHA PHALODI
UTSUKTA SEWA SANSTHAN	COOP/2021/JODHPUR/201332	PHALODI
ADHIVAKTA SANSTHAN LOHAWAT	COOP/2021/JODHPUR/201754	LOHAWAT PHALODI
SANWAL NAGAR SHRI MAHADEO GAU SEVA SAMITI	COOP/2021/JODHPUR/201779	SANWAL NAGAR PHALODI
HARI KRISHNA GOPAL GOUWANSH SEWA SAMITI LAKHETA	COOP/2021/JODHPUR/201804	LAKHETA BAPINI PHALODI
SHRI BALAJI NANDI LAXMAN GAUSHALA SAMITI SADRI	COOP/2021/JODHPUR/201894	SADRI PEELWA PHALODI

SHREE TULSIDAS PARMARTH SEVA SAMITI	COOP/2021/JODHPUR/201896	PHALODI
ANADAL SATI DADI NEVA GAU SEVA SAMITI	COOP/2021/JODHPUR/201908	NEWA KANASAR BAP PHALODI
JAI SHRI BABA RAMDEV GAUSEVA SAMITI	COOP/2021/JODHPUR/202078	RAMDEV NAGAR LOHAWAT PHALODI
OM SHREE NANDI GO SEWA SAMITI	COOP/2021/JODHPUR/202445	PHALODI
SHREE HARI GAU SEWA SAMITI KALAU	COOP/2021/JODHPUR/202465	KALAU DECHU PHALODI
NAVODAYA YUVA MANDAL BARU	COOP/2021/JODHPUR/202480	BARU BAP PHALODI
SAKSHI ANUSANDHAN EVAM VIKAS SAMITI	242/2004-2005 (30-12-2004)	SAKSHI ANUSANDHAN EVAM VIKAS SAMITI VPO MOKHERI, TEHSIL PHALODI DISTT.-JODHPUR RAJASTHAN- 342301
MARWAR PARGATI SANSTHAN PHALODI	103 (10-08-2005)	MARWAR PARGATI SANSHTHAN MALAR ROAD PHALODI DIST. JODHPUR PIN 342301
SHIKSHA AVAM JAN KALAYAN SAMITI	2/92-93 (22-04-1992)	V/P KHICHAN TEHSIL PHALODI PIN-342301
SHIKSA AVAM JAN KALYAN SAMITI	02/1992 (22-04-1992)	VILLAGE AND POST- KHICHAN THESIL-PHALODI DISTT- JODHPUR,RAJASTHAN 342308
SHRI AAYAL MATA VIKAS SEVA SAMITI	311/JODHPUR/2004-2005 (17-02-2005)	RATAN SINGH C/O AAYAL MATA VIKAS SEVA SAMITI DHOLIYA, TEHSIL PHALODI, DISTT JODHPUR RAJASTHAN
SHRI MARUDHAR SIKASHAN SANSTHAN	77/JODHPUR/1998-1999 (16-09-1998)	GULAB SINGH BHATI C/O MARUDHAR SIKSHAN SANSTHAN TEKRA, TEHSIL PHALODI, DISTT JODHPUR
RUKHALI VIKAS SANSTHAN	104/07-08 (26-07-2007)	RUKHALI VIKAS SANSTHAN BEHIND COURT CAMPUS PHALODI 342301
RAJ SOCIETY FOR ENVIRONMENT AND RURAL DEVELOPMENT	28/JODHPUR/08-09 (31-05-2008)	V/P BAP TEH. PHALODI DIST. JODHPUR RAJASTHAN 342307
MARUBHOOMI ANUSANDHAN EVAM VIKAS SAMITI BARSINGON KA BASS	02-JODHPUR-10-11 (07-04-2010)	BARSINGON KA BASS DENOK PANCHAYAT SAMITI PHALODI

प्रादेशिक परिवहन कार्यालय, फलौदी

कार्यालय/विभाग/ईकाई की सूचना

क्र. सं.	शहर/तहसील/ढाणी/राजस्व ग्राम	कार्यालय विभाग ईकाई का नाम	अधिकारियों का नाम	पद	कार्यालय का पूर्ण पता	कार्यालय फोन	मोबाईल	मेल आईडी	स्टॉफ कर्मचारियों की संख्या	कार्य का विवरण/कार्य स्वरूप
1.	फलौदी	जिला परिवहन कार्यालय, फलौदी	श्री विनोद कुमार लेगा	जिला परिवहन अधिकारी	फलौदी	—	9024448474	Dto.phalodi.tport@rajasthan.gov.in	5	

आपदा अधिकारी/नोडल अधिकारी सूचना

क्र.स.	शहर/तहसील/ढाणी/राजस्व ग्राम	कार्यालय/विभाग/ईकाई का नाम	आपदा अधिकारी/नोडल अधिकारी का नाम	कार्यालय का पूर्ण पता	कार्यालय फोन	मोबाईल	स्टॉफ कर्मचारियों की संख्या	कार्य सम्पादन का विवरण
1	फलौदी	जिला परिवहन कार्यालय, फलौदी	श्री विनोद कुमार लेगा	फलौदी	.	9024448474	5	

आपदा में कन्ट्रोल रूम की सूचना

क्र. सं.	शहर/तहसील/ढाणी/राजस्व ग्राम	कार्यालय/विभाग/ईकाई का नाम	कंट्रोल रूम प्रभारी अधिकरी/कर्मचारी का नाम		कंट्रोल रूम के लिए उपयुक्त स्थान का पता/विवरण	कंट्रोल रूम का दूरभाश नम्बर
01	फलौदी	जिला परिवहन कार्यालय, फलौदी	श्री दिनेश बोहरा, परिवहन निरीक्षक		जिला परिवहन कार्यालय, फलौदी	9460107907

वाहन/परिवहन (राजकीय विभाग)

क्र. सं.	शहर/तहसील/ढाणी/ राजस्व ग्राम	वाहन का प्रकार	संख्या	विभाग का नाम	पूर्ण पता	कार्यालय फोन	मोबाईल नं.
01	फलौदी	बोलेरो	1	परिवहन विभाग, फलौदी	फलौदी	.	9460107907
02	फलौदी	बोलेरो	1	परिवहन विभाग, फलौदी	फलौदी	.	9413614436

जिले में उपलब्ध परिवहन साधन (परिवहन विभाग)

क्र. सं.	वाहन का प्रकार	आपदा के समय शहर में उपलब्धता	सम्पर्क	
		उपलब्धता स्थल	नाम	टेलिफोन नम्बर
01	बोलेरो	जिला परिवहन कार्यालय, फलौदी फलोदी	श्री दिनेश बोहरा परिवहन निरीक्षक	9460107907

			श्री आदित्य जांगड़ा परिवहन निरीक्षक	9413614436

परिशिष्ट – 14 जिला में बांधों की स्थिति एवं क्षमता की सूची

कार्यालय अधिशाशी अभियन्ता, जल संसाधन खण्ड, जोधपुर

जिला फलौदी में 300 हैक्टेयर से अधिक सिंचाई क्षमता वाले बाधों की संख्या शून्य है।

300 हैक्टेयर से कम सिंचाई क्षमता के समस्त तालाबों/बाधों कों सूची

`	तालाब/बांध का नाम	पंचायत समिति	सिंचाई क्षमता हैक्टेयर	भराव क्षमता एम.सी.एफ. टी.	गांव का नाम
1	लोर्डिया खडीन द्वितीय	फलौदी	22.00	-	लोर्डिया
2	जालोडा खडीन प्रथम	फलौदी	65.00	3.24	जालोड़ा
3	जालोडा खडीन द्वितीय	फलौदी	66.00	95.31	झरेड़े जी की भाखरी
4	कुर्ज खडीन	फलौदी	20.00	3.77	खीचन
5	मालियों का धोरा खडीन	फलौदी	21.00	2.23	खीचन
6	थोथा बालाजी	फलौदी	65.00	2.47	चैनपुरा
7	आमला खडीन	फलौदी	25.00	2.61	आमला
8	छितर का बांध	फलौदी	22.00	2.34	आऊ
9	केरला बांध	फलौदी	56.60	3.85	केरला
10	सदावता खडीन	फलौदी	70.13	3.53	सदावता
11	बैंगटी कलां खडीन	फलौदी	55.00	3.67	बैंगटी कला
12	डेडिया खडीन	फलौदी	23.00	3.08	डेडिया
13	मालियों का धोरा खडीन	फलौदी	22.00	2.50	खीचन
14	गोदरली खडीन	बाप	24.00	2.25	गोदरली
15	बडी सिड खडीन द्वितीय	बाप	65.00	7.06	बड़ी सिड
16	गाडना खडीन	बाप	26.00	1.50	बड़ी सिड
17	नया गांव खडीन	बाप	43.00	3.06	बड़ी सिड
18	बरवडी बरसिंगा खडीन	बाप	77.00	3.50	बड़ी सिड
19	कानसिंह की सिड खडीन	बाप	79.00	3.60	कानसिंह की सिड
20	बावडी कलां खडीन	बाप	40.00	1.48	बावडी कलां
21	बावडी पुरोहितान खडीन	बाप	75.00	2.97	बावडी कलां
22	भाखरी खडीन	बाप	23.00	2.47	बावडी कलां
23	बावडी खुर्द खडीन	बाप	76.00	3.40	बावडी कलां
24	सांगुरी खडीन	बाप	60.00	1.98	सांगुरी
25	आखाधाणा खडीन	बाप	27.00	1.50	अखाधना
26	बंधउडा खडीन	बाप	24.00	1.60	बंधाउडा
27	जैमला खडीन	बाप	21.00	2.00	जैसला
28	नाइयोंवाला खडीन (शेखासर खडीन द्वितीय)	बाप	80.00	4.50	शेखासर
29	नाइयोंवाला खडीन (शेखासर खडीन तृतीय)	बाप	28.00	2.47	शेखासर
30	रानेरी खडीन	बाप	55.00	4.70	राणेरी
31	भीमजी का गांव खडीन	बाप	45.00	2.50	भीमजी का गांव

`	तालाब/बांध का नाम	पंचायत समिति	सिंचाई क्षमता हैक्टेयर	भराव क्षमता एम.सी.एफ. टी.	गांव का नाम
32	रातडी खडीन	बाप	20.00	1.70	रातड़ी बड़ी ढाणी
33	रावरा खडीन	बाप	22.00	2.00	रावरा
34	खाखुरी खडीन	बाप	24.00	1.90	खाखुरी
35	कानासर खडीन	बाप	25.00	2.25	कानासर
36	ढेलाना खडीन	फलौदी	93.00	2.68	ढेलाणा
37	लोर्डिया खडीन प्रथम	फलौदी	89.00	4.87	लोर्डिया
38	इन्दों की ढाणी खडीन	फलौदी	87.88	4.94	इन्दों का बास
39	कुण्डल खडीन	फलौदी	176.00	6.17	कुण्डल
40	गोलजोड बांध	बाप	297.00		जोड़
41	बाप खडीन	बाप	101.00		बाप
42	बडी सिड खडीन	बाप	125.00	3.91	बड़ी सिड
43	मनचितिया खडीन	बाप	299.00	6.10	मनचितीया

अत्यधिक वर्षा होने एवं बांधों के टूटने से बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हो जाती हैं। वर्षा के दौरान पानी भरने वाले स्थानों को चिन्हित किया जाता हैं। जिला फलौदी के शहरी व ग्रामीण क्षेत्र में पानी भरने की अत्यधिक संभावना बनी रहती हैं, जिसके कारण मार्ग अवरूद्ध हो जाते हैं, जिससे निपटने हेतु वैकल्पिक मार्गों को चिन्हित किया जाता हैं तथा स्थिति से निपटने हेतु थाना स्तर पर तैराकों की सूची, बाढ़ बचाव उपकरण तथा सैण्ड बैग्स ट्यूब, टॉर्चे, रस्से, फस्ट–एड–बॉक्स इत्यादि उपलब्ध रखे जाते हैं तथा जिला हाजा में निम्न तैराक यथा जरूरत पड़ने पर तैयार रहते हैं:–

जिला बाढ़ नियन्त्रण कक्ष (डी.ई.ओ.सी.) फलौदी में तैनात कर्मचारियों, उपलब्ध तैराकों एवं बचाव उपकरणों की सूची

जिला नियन्त्रण कक्ष में राउण्ड द क्लाक 24 घन्टे स्वयं सेवक तैनात किये गये है। जिला नियन्त्रण कक्ष के दूरभाष नम्बर निम्न है – 02925–299200 (1077 टोल फ्री) तथा पुलिस विभाग जोधपुर द्वारा डी.ई.ओ.सी. में वायरलैस सैट भी स्थापित कर रखा है। इसके लिये पुलिस विभाग द्वारा दो वायरलैस ऑपरेटर तैनात कर रखे है।

जिला नियन्त्रण कक्ष में उपलब्ध बाढ बचाव सामग्री की सूची

क्र.सं.	बचाव उपकरण का नाम	मात्रा	वर्तमान स्थिति उपयोगी / अनुपयोगी
1.	Single Sheae Pulley	01	उपयोगी
2.	Double Sheave Pulley	01	उपयोगी
3.	Rescue Asenders	03	उपयोगी
4.	Fegure of 8 (Descender)	03	उपयोगी
5.	Dynamic Rope (100Meter Roll)	01	उपयोगी
6.	Plan Carabineer	05	उपयोगी
7.	Floating Rope	50	उपयोगी
8.	BOB ROPe 10 MM 300mtr	01	उपयोगी
9.	BOB ROPe 12 MM 300mtr	01	उपयोगी
10.	BOB ROPe 14 MM 150mtr	01	उपयोगी
11.	BOB ROPe 16 MM	01	उपयोगी
12.	USAR Knee Pads (in Pairs)	10 Pairs	उपयोगी
13.	USAR elbow Pads (in Pairs)	10 Pairs	उपयोगी
14.	Climbing Rope 10mm X 60 Mtr. Roll	120Mtr.	उपयोगी
15.	Gum Boot	20 pairs	उपयोगी
16.	Full Face Mask (With multi Gas Cartridge)	05	उपयोगी
17.	Fall Arrester	02	उपयोगी
18.	Walky talky Set 15W	5 set	उपयोगी
19.	Rope Carnametal Static 12 MM	300 Mtr.	उपयोगी
20.	Rope Carnametal Static 08 MM	300 Mtr.	उपयोगी
21.	Rope Carnametal Static 10 MM	300 Mtr.	उपयोगी
22.	Life boy Ring	30	उपयोगी
23.	Life jacket	70	उपयोगी
24.	FULL BODY HARNESS	10	उपयोगी
25.	SAFETY net	03	उपयोगी
26.	SAFETY SWIMMING GOGGLES	10	उपयोगी
27.	FIRE EXTENSION LADDER	02	उपयोगी

क्र.सं.	बचाव उपकरण का नाम	मात्रा	वर्तमान स्थिति उपयोगी/अनुपयोगी
28.	ड्रेगन लाईट	25	उपयोगी
29.	अनाउंसमेंट लाउडस्पीकर मेगा फोन	10	उपयोगी
30.	अग्निशमन यंत्र	20	उपयोगी
31.	रस्सा/नायलॉन रोप 16एमएम	20 (100 मीटर का एक)	उपयोगी
32.	कटर मशीन ए.सी.	03	उपयोगी
33.	कटर मशीन डी.सी.	03	उपयोगी
34.	कैंची लोहे के तार काटने हेतु	10	उपयोगी
35.	रिफलेक्टर टॉर्च	15	उपयोगी
36.	हाई रेंज टॉर्च सैल सहित	20	उपयोगी
37.	पानी का केम्पर 20 लीटर	50	उपयोगी
38.	बरसाती छाते	25	उपयोगी
39.	प्लास्टिक कटा	1000	उपयोगी
40.	लोहे की चारपाई जाली सहित	50	उपयोगी
41.	लोहे के बड़े बॉक्स	10	उपयोगी
42.	हाई रेंज बाईनोक्यूलर	25	उपयोगी
43.	हेल मेट फिद टॉर्च	30	उपयोगी
44.	इन्वेटर फिद बैटरी	14	उपयोगी
45.	इलेक्ट्रिक हुटर/सायरन	05	उपयोगी
46.	हेण्ड ऑपरेट मैनुअल हूटर/सायरन	05	उपयोगी

परिशिष्ट – 16 नगर परिषद की सूची

NAGAR PARISHAD PHALODI			
S. No.	Name of Officers	Post	MOBILE NO.
1	श्री विक्रमसिंह चारण	आयुक्त, फलौदी	7737750806
2	श्री सुरेश व्यास	सहायक प्रशासनिक अधिकारी	6377440094
3	श्री प्रेम गुचिया	क0लि0 (स्टोर कीपर)	9113132812
4	श्री सुरेश थानवी	सफाई प्रभारी	9414498355
5	श्री झुमरलाल	सहायक सफाई प्रभारी	9829923925
6	श्री हुकमीचन्द शर्मा	ड्राईवर	9413132737
7	श्री जेठाराम सांसी	मृत पशु ठेकेदार	7877151843 9950922414
8	श्री ओमप्रकाश मोची श्री राजु तेजी/गिरधारी	च.श्रे.क. सफाई कमचारी	9785172261 9351928906
9	श्री घनश्याम/रमेश चन्द श्री चम्पालाल	सफाई जमादार सफाई कर्मचारी	9782618335 9660616180
10	श्री प्रकाश/मदन श्री विष्णु	सफाई जमादार सफाई कर्मचारी	8107097328

`नगर परिषद फलौदी मे उपलब्ध संसाधनों एवं वाहनों की सूची

क्र.स.	नाम इक्यूपमेन्ट	मात्रा	टिप्पणी
01	जे.सी.बी.	1	
02	लोडर	1	
03	अग्नि शमन गाड़ी	2	
04	ट्रेक्टर मय ट्रोली	2	
05	ट्यूब	3	
06	टायर	11	
07	गेंती	10	
08	फावड़ा	9	
09	साम्बल	8	
10	खाली कट्टे	150	
11	रस्सा बड़ा	500 फीट	
12	गैंस	3	
13	बड़ी टार्च	6	
14	बांस 20 फीट	4	
15	लकड़िया	15	
16	बेलचा	7	
17	तगारी	12	
18	गुलाबड़ी	1	
19	छाता	9	

एयरफोर्स स्टेशन फलौदी संबंधित जानकारीः—

क्र.स.	रैंक	नाम	पद	मो. नंबर
01.	स्काड्रन लीडर	आकाश शर्मा	स्टेशन संगठन अधिकारी	9602481875
02.		सुमित परमार	प्रशासनिक समन्वय अधिकारी सिविल	8619930834

नोटः— आपदा प्रबंधन हेतु सम्पूर्ण वायु सेना स्थल कर्मी अपनी सेवा हेतु सदैव तत्पर है।